खण्ड-173, अंक-7
सोमवार, 31 वैशाख, शक संवत् 1878
(21 मई, 1956 ई0)

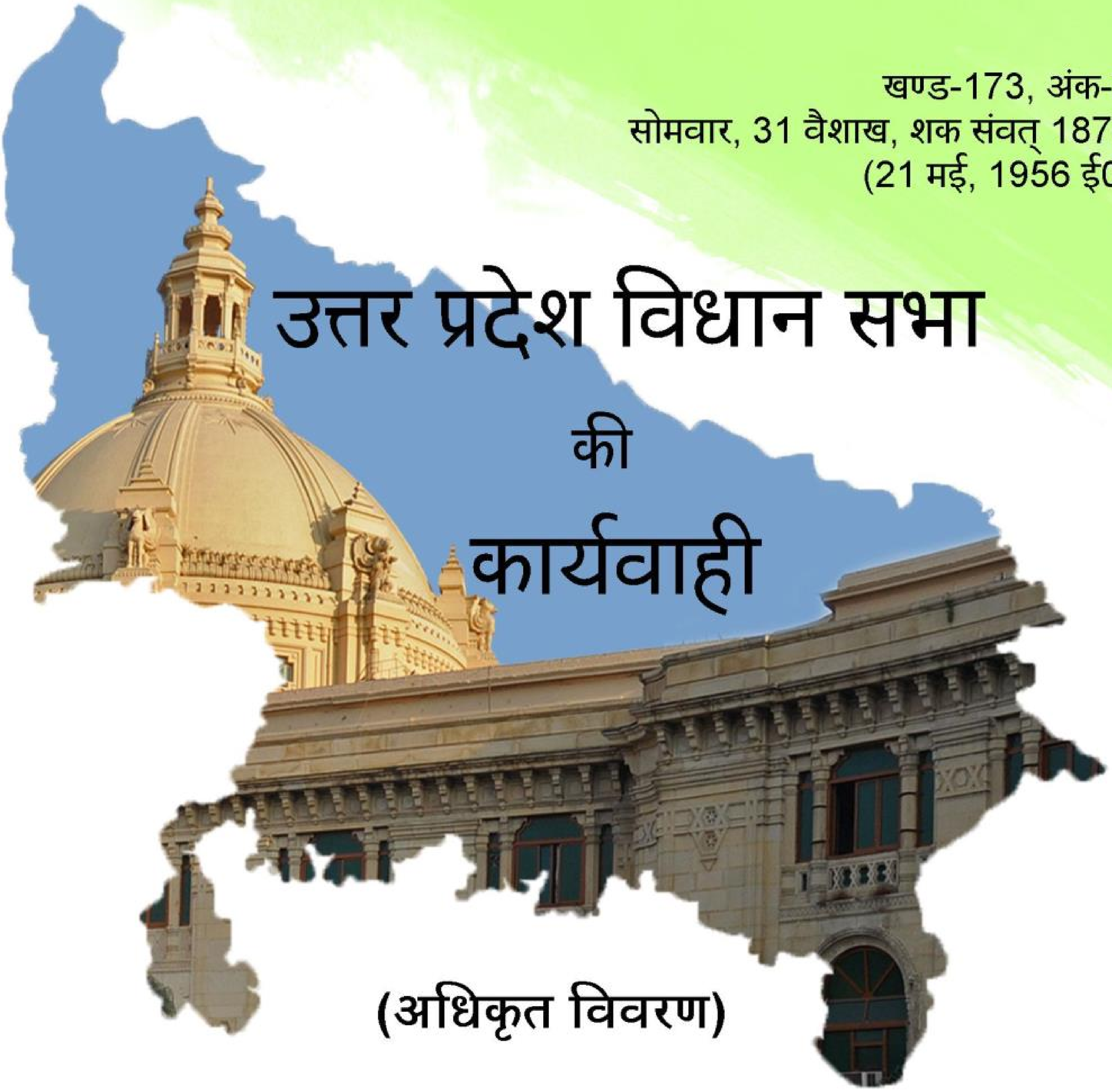

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 173 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२७४)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलाजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इर्तजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुलहक, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूदआलम खां, श्री
मगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री

मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह काश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजविहारीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवलक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री

श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मलफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुखजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ मई, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों तथा सघन क्षेत्रों की धनराशि में कमी का विचार

****१—श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र और सघन क्षेत्रों (Intensive Blocks) के लिये उपलब्ध धनराशि में कुछ कमी की जा रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—इस प्रकार का कोई आदेश अभी भारत सरकार से नहीं मिला । इस प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

****२—श्री रामस्वरूप गुप्त**—यदि हां, तो कितनी कमी होगी और क्षेत्रों के कार्य-क्रम के किन-किन अंशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?

श्री फूलसिंह—अभी यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप गुप्त—कमी करने के प्रश्न पर यदि विचार हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं और वह कितने खंडों की स्कीम की संख्या पर विचार हो रहा है या उन पर खर्च होने वाली रकम में ?

श्री फूलसिंह—दूसरी पंचसाला योजना में २६३ करोड़ रुपये का इंतजाम होना चाहिये, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल २ सौ करोड़ रुपये रखे हैं जिसके हिसाब से हमारे प्रांत को ४६.०९ करोड़ मिलने के स्थान पर केवल २६ करोड़ रुपये मिले हैं । तो ब्लाकों की संख्या कम नहीं होगी, पर ब्लाकों को जो रुपये मिलने वाले हैं उसको कम करने का विचार किया जा रहा है ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो रुपया इस प्रकार कम किया जायगा वह प्रान्त के सब ब्लाक्स पर एकसां किया जायगा या भिन्न-भिन्न रूप में ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सब जगह एकसां किया जायगा। अभी तो केन्द्रीय सरकार ने ही पूर्ण विचार नहीं किया है, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट आफिसर्स कान्फ्रेंस नैनीताल में हुई थी वहां आपके प्रान्त के प्रतिनिधियों ने यह बात रखी थी कि अपने प्रदेश के सारे प्रादेशीय नेशनल डेवलपमेंट ब्लाक्स को स्थापित किया जाय और सारे प्रदेश के ४० फीसदी संगठन जो स्थापित किये जायं तो ४६ करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता पड़ेगी और २६ करोड़ जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया मिलने वाला है तो यह विचार वहां रखा गया कि जितने रुपये अभी नेशनल एक्स्टेंशन ब्लाक्स पर खर्च होते हैं उनमें से जो साढ़े चार लाख है उनके अलावा जो तीन लाख कर्ज के होते हैं उसमें से ५० हजार रुपये कम करें और १५ लाख रुपये जो संगठन क्षेत्र में व्यय होते हैं उसको १२ लाख रुपये कर दिये जायं। तो हमें जितने प्रदेश में ७५२ नेशनल एक्स्टेंशन ब्लाक्स खोलने चाहिये खोल सकेंगे और उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे जिसकी घोषणा हमने की है। अगले पांच वर्षों में हम प्रदेश को सारे राष्ट्रीय प्रसार खंडों में बांट देंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में जो रुपये की कमी की जा रही है तो उसमें आइटम काटे जायेंगे या हर आइटम में से रुपया कम किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो अभी ब्योरे की बात है इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन साढ़े चार लाख में से जो ५० हजार की कमी कर देंगे तो फिर उसी अनुपात में जो विभिन्न दायरों में खर्च करते हैं उसमें कटौती कर देंगे।

घरेलू उद्योग-धंधों की उन्नति के लिए विस्तार अधिकारी की आवश्यकता

३—श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि गांवों में घरेलू उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में उद्योगों के लिये एक विस्तार अधिकारी रखना निश्चय हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा और उसका कार्य क्या होगा ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पशु चिकित्सा के लिए योजनायें

४—श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या कृषि मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गाय-बैलों की बीमारियों को समाप्त करने के लिये प्रान्तव्यापी कार्य चलाने की योजना है ?

कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाय, बैल, भैंस के पोकना रोग के उन्मूलन के लिये और पारजैविक (parasitic) रोगों के प्रति पशुओं का सामूहिक ढंग से उपचार करने की योजनायें हैं।

५—श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या यह सही है कि गाय-बैलों की बीमारी को समाप्त करने और एक बार इन्जेक्शन से उनकी जीवन-रक्षा सम्भव करने के लिये भारत सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है और उसमें वह भारी धनराशि खर्च करने जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह सही है कि पोकनी रोग के उन्मूलन के लिये एक इन्जेक्शन द्वारा पशुओं को रोग मुक्त करने के लिये भारत सरकार की एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है और यह योजना इस प्रदेश में भी इस वर्ष से लागू होगी जिसके लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था है।

****६—श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष वेदन या पोकना नाम की बीमारी से एक लाख पशु मरते हैं जिससे करोड़ों की वार्षिक क्षति होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं। प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में इस रोग से औसतन ४,३०० पशु प्रति वर्ष मरे हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी और उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि जिक्र हुआ है कई स्कीमें चल रही हैं। एक स्कीम जो पोकनी रोग के रोकने के लिये है उसमें २५ लाख २५ हजार रुपये के करीब खर्च होगा। और एक और स्कीम है इन्जेक्शन के लिये और फालो अप के लिये। इसके अलावा दूसरी स्कीम और भी है जिसमें २ लाख ४२ हजार रुपया खर्च होगा।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपाकर बतलायेगी कि ये आंकड़े किस प्रकार इकट्ठे किये गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जो तरीका इनके इकट्ठा करने का होता है वैसे ही किया गया। शायद थाने में ये सब रिपोर्ट्स होती हैं उसके बाद वहां से ये आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जवाब में बतलाया गया है कि एक इन्जेक्शन चलाया गया है, और अगले दो वर्ष के अन्दर हमारे जितने भी जिले हैं वहां सामूहिक ढंग से यह इन्जेक्शन लग जायगा और उसके बाद फ़ालोअप का काम होगा।

रायबरेली जिले में डलमऊ तहसीली को लालगंज ले जाने की प्रार्थना

****७—श्री गुप्तार सिंह** (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील डलमऊ से लालगंज में तहसील उठाकर लाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र जनता की ओर से सरकार को प्राप्त हुआ है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी हां, लालगंज टाउन एरिया कमेटी के प्रेसीडेंट की ओर से एक प्रार्थना-पत्र आया है।

तकावी और ऋण के प्रार्थना-पत्रों पर विचार के लिये आदेश

****८—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा हाल में जिलाधीशों को इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया है कि तकावी और ऋण प्राप्त करने वाले प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्रों का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र कर दिये जायं ? यदि हां, तो क्या उस आदेश की प्रतिलिपि माल मंत्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---जी हां, उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५९-५६१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि तहसीलों में अब तक प्लानिंग कमेटियां नहीं बनी हैं? यदि हां, तो कब तक बन जायंगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन कुछ तहसीलों में जरूर तहसील कमेटियां बन गयी हैं। सब जगह बनी है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो तकावी बांटने के लिये आदेश जारी किये गये हैं क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में तकावी के लिये कुछ कोटा निर्धारित किया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कोई कोटा नहीं निर्धारित किया गया है। वह तो जरूरत के अनुसार होता है। जिसके लिये जितनी जरूरत होती है उसको उतना दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि औसतन प्रत्येक जिले में कितना कोटा निर्धारित होता है?

श्री अध्यक्ष---वह तो कोटा के लिये इन्कार कर चुके कि कोई कोटा निर्धारित नहीं होता। इसलिये यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह जो आदेश जारी किया गया है क्या उस पर कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उम्मीद की जाती है कि जरूर कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी होगी।

फतेहगढ़ जिले में नरभक्षियों का आतंक

**९---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि फतेहगढ़ जिले में गत जनवरी से मार्च तक बघेरे व भेड़िये ४० बच्चों को उठा कर ले गये थे?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इस प्रकार ३६ बच्चों को भेड़िये और लकड़-बग्घे उठा ले गये।

**१०---श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)---क्या यह बात ठीक है कि गत वर्ष में उक्त नरभक्षियों ने लगभग १०० बच्चों को खा लिया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गत वर्ष इस जिले में ये पशु ९० बच्चों को उठा ले गये थे।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---सरकार ने जो बताया है कि ३६ बच्चे भेड़िये और लकड़बग्घे उठा ले गये, और ९० पशुओं को ले गये, तो सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसमें से कितने जिन्दा बचे और कितने मारे गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझा नहीं। बच्चों की बाबत आपने पूछा या जानवरों की बाबत?

श्री अध्यक्ष---कृपया आप एक-एक सवाल और अलग-अलग करें।

नोट---अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ९-१० श्री गज्जूराम ने पूछे।

श्री गज्जूराम--सरकार कृपा करके बतायेगी कि ३६ बच्चे भेड़िये और लकड़बग्घे जो उठा ले गये थे, उसमें से कितने मारे गये और कितने जीवित बचे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई जीवित बच्चा मिला नहीं। इससे अनुमान होता है कि सभी मारे गये होंगे।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ऐसी दुर्घटना होते हुये भी जिले के अधिकारियों का इस ओर ध्यान न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया इसका तो कोई प्रमाण है नहीं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दुर्घटनायें कितने समय तक इस प्रकार चलती रहीं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो मूल प्रश्न ही में पूछा गया है। प्रश्न अब आप पढ़ लीजिये।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो ३६ बच्चे उठा लिये गये उनमें कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स के थे और कितने सवर्ण जाति के थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--साधारण तौर से इस किस्म के जानवरों के मारने के लिये जो इनाम होता है उस इनाम को दूने से अधिक इस जिले में कर दिया गया है। उदाहरण के लिये साधारण तौर पर यह है कि लकड़बग्घे को मारने के लिये १५ रुपये का इनाम दिया जाता है। इस जिले में वह ४० कर दिया गया है। भेड़िया को मारने के लिये। साधारण तौर पर १० रुपया इनाम दिया जाता है। इस जिले में इसको ३० कर दिया गया है। इनके बच्चों को मारने के लिये साधारण तौर पर इनाम पांच रुपया दिया जाता है, इस जिले में इसको पंद्रह कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप जानवर मारे भी गये हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बावजूद इस घोषणा के इसकी रोकथाम न होने का असली कारण यह है कि उस इलाके में बन्दूक के लाइसेंस नहीं हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हम लोगों ने दरियाफ्त करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि लकड़बग्घा बड़ा कायर जानवर होता है। इसलिये अच्छे शिकारी उसको मारते ही नहीं। इसलिये बहेलिया और दूसरे लोगों के जरिये उनको मरवाने की कोशिश की गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने जानवर मारे गये, जो उनकी रिपोर्ट आयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त तक १७१ तो लकड़बग्घे मारे जा चुके हैं, और १२ भेड़िये और ९८ बच्चे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस के अधिकारियों या अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा मारने की व्यवस्था की गयी है या केवल इनाम बढ़ा कर ही इतिश्री कर दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस के पास यों ही बहुत सा काम है। पुलिस को इस तरह के काम में नहीं लगाया गया। इनाम बढ़ाया गया है, जिससे बहेलिये और दूसरे लोग जो मारा करते हैं, वे प्रवृत्त होंगे।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार इस बात की इन्क्वायरी करायेगी कि जिन बच्चों को भेड़िये उठा ले गये हैं उनमें से कुछ बच्चों को भेड़िये पाल भी रहे हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जेल वार्डरों की डायट एलाउन्स के लिए मांग

****११---**श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५५ से फैजाबाद जिला जेल तथा अन्य कई जेलों के वार्डरों ने पुलिस के सिपाहियों की भांति अपनी तनख्वाह में ४ रुपया बढ़ोत्तरी के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---जी हां, जेल वार्डरों ने ४ रु० माहवार डाइट एलाउन्स की मांग की थी।

****१२---**श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या गृह मंत्री ने उनके किसी डेपुटेशन को इस बात का आश्वासन दिया था कि वार्डरों का भी वेतन पुलिस के सिपाहियों की तरह बढ़ा दिया जायेगा?

श्री मुजफ्फरहसन---जेल वार्डरों और पुलिस के सिपाहियों का वेतन क्रम समान है। अतः प्रश्न पैदा नहीं होता। इस प्रकार का कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---तो क्या सरकार के इस उत्तर से समझा जाय कि पिछले साल से जेल वार्डरों का भी पुलिस सिपाहियों की तरह चार रुपये प्रति माह वेतन बढ़ गया है?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जो दूसरे उत्तर में दिया गया है कि जेल वार्डरों और सिपाहियों का वेतन-क्रम समान है तो इससे और चार रुपये के बढ़ने से क्या ताल्लुक है?

श्री मुजफ्फरहसन---वेतन तो दोनों का एक ही है। यह तो एलाउन्स की बात है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल वार्डरों को भी चार रुपये माहवार एलाउन्स देने के प्रश्न पर सरकार क्यों विचार नहीं कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन---इस पर विचार हुआ था और यह तय हुआ था कि यह नहीं हो सकेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से यह फैसला हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जेल वार्डरों का काम भले ही कठिन हो लेकिन नियत जेल के अहाते में ही उनको काम करना पड़ता है। पुलिस वालों का ज्यादा कठिन काम है और रात में भी करना पड़ता है। इसके अलावा डाक्टरी रिपोर्ट आयी थी कि पुलिस के सिपाहियों में टी० बी० की बीमारी बढ़ गई है, और रिपोर्ट थी कि जितनी इनको मेहनत करनी पड़ती है उतना उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। इसलिए यह चार रुपये माहवार उनका एलाउन्स बढ़ाया गया है।

मुजफ्फरनगर व शामली मंडियों में किसानों से गुड़ व लाल शक्कर पर बिक्री-कर वसूल करने की शिकायत

**१३—श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर व शामली मंडियों में गुड़ व लाल शक्कर पर किसानों से कच्चे आढ़तिये (Commission Agent) नियम विरुद्ध सेल्स टैक्स काट रहे हैं?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)—इसके बारे में जांच की गई थी लेकिन शिकायत का कोई सबूत न मिला।

**१४—श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या यह सही है कि इस प्रकार जो धन उक्त मंडियों में काटा जा रहा है उसकी कोई रसीद भी किसान को नहीं दी जाती?

श्री धर्मसिंह—ऐसी दशा में यह सवाल नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस प्रकार की सेल्स टैक्स के नाम पर कटौती मंडी में जारी है जिसको वह स्वयं तस्लीम करते हैं?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी नियोजन मंत्री जी के दौरे के समय यह शिकायत उनसे की गई थी, और सेल्स टैक्स अधिकारी को उन्होंने यह आदेश दिया था कि इस तरह के नाम पर कोई पैसा न काटे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, आपत्ति तो मेरे सामने रखी गई थी और मैंने जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की थी, तो सेल्स टैक्स अधिकारी ने यह बतलाया था कि उसे इस तरह की सूचना नहीं है। मैंने अवश्य उससे कहा था कि वह बाजार में जाकर जांच करे, यदि ऐसी कार्यवाही चल रही हो तो रोकने का प्रयत्न करे और ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने की चेष्टा करे।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर मुझे इस कार्य में इस तरह के सेल्स टैक्स के नाम पर कटौती के रोकने में मेरी इमदाद करने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मसिंह—जी हां, आपके आधार पर ही तहकीकात की गई थी। आपने और बलवन्त सिंह जी एम० एल० ए० ने शिकायत की थी कि ऐसा हो रहा है। इसके बाद होलर्स की मीटिंग बुलाई गई जिसमें बलवन्तसिंह जी भी थे। आप से यह कहा गया कि स्पेसिफिक केसेज दीजिये तो उनकी जांच की जायगी। लेकिन आपने कहा कि जनरली चार्ज किया जा रहा है। एक मीटिंग बुलाई जाने पर बलवन्त सिंह जी संतुष्ट हो गये थे और हिदायतें दे दी गई थी, और इसके बाद कोई शिकायत नहीं मिली।

इलाहाबाद नगरपालिका की आडिट रिपोर्ट

**१५—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इलाहाबाद नगर पालिका की आडिट रिपोर्ट में वहां के प्रबन्ध की कटु आलोचना की गई है? यदि हां, तो उस आलोचना की खास-खास बातों को सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह प्रश्न से स्पष्ट नहीं होता है कि सदस्य महोदय का तात्पर्य किस वर्ष की आडिट रिपोर्ट से है? सरकार के पास जो रिपोर्ट आई है वह १९५३-५४ की है, और उसके अन्तिम पैरा (concluding para) में बोर्ड के प्रबन्ध के विषय में आलोचना की गई है जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६२ पर।)

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १५-१६ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट में कौन-कौन-सी मुख्य आलोचनायें हैं।

श्री अध्यक्ष-- रिपोर्ट आप स्वयं पढ़ लें। मैं उसे पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। यह बहुत बड़ी रिपोर्ट है।

इलाहाबाद जल-कल की पुनर्गठन योजना

****१६--श्री कल्याण चन्द मोहिले** (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस बात का पता चलावेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका के वाटरवर्क्स के ठीक न होने से वहां के नागरिकों को पानी का बहुत कष्ट है?

श्री सैयद अली जहीर-- जल की कमी के सम्बन्ध में केवल दो पत्र कुछ मुहल्लों के निवासियों से प्राप्त हुए और बोर्ड के अधिकारियों ने यथासंभव जलाभाव को निवारण करने का प्रयत्न किया है। इलाहाबाद जल-कल के पुनर्गठन का कार्य पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया जा रहा है, और यह आशा की जाती है कि इसकी पूर्ति के पश्चात् जलाभाव संपूर्ण दूर हो जायगा।

आजमगढ़ वाटर वर्क्स चालू होने में विलम्ब

****१७--श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ का वाटर वर्क्स एकदम ठप्प हो गया है, और इस गर्मी में शहरी जनता को घोर कष्ट हो रहा है?

श्री सैयद अली जहीर--आजमगढ़ जलदाय अभी तक नियमित रूप से आरम्भ नहीं हुआ है, केवल पम्पिंग प्लान्ट की परीक्षा हेतु एक माह के लिये जल वितरण करना पड़ा था। नगरपालिका ने जलदाय और जल-कल नियम अभी तक नहीं बनाये हैं, और न ही आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति ही की है।

****१८--श्री झारखंडेराय**--यदि हां, तो सरकार जनता के इस कष्ट निवारणार्थ क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर--जैसे ही कर्मचारियों की नियुक्ति हो जायेगी एवं जलदाय तथा जलकल नियम स्वीकृत हो जायेंगे, जलदाय चालू हो जायेगा। सरकार ने बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान अपनी इस जिम्मेदारी की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है और आशा है कि वे लोग स्वयं अपनी कठिनाई दूर करने में अब और विलम्ब नहीं करेंगे।

श्री झारखंडेराय-- क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस जलदाय के निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और कब समाप्त हुआ?

श्री सैयद अली जहीर--तारीख तो नहीं मालूम है लेकिन इसमें रिपोर्ट यह है चीफ इंजीनियर की कि काम वहां का सब खत्म हो गया है। कुछ दिनों तक उसका ट्रायल लिया गया लेकिन उसके बाद जो बातें मैंने बतलाई हैं वह न होने की वजह से ट्रायल करने के बाद पानी बन्द कर दिया गया।

श्री झारखंडेराय-- क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस जलदाय के सिलसिले में नालियों के बिछाने का काम शहर भर में पूरा हो चुका है?

श्री सैयद अली जहीर-- नल से आपका मतलब है?

श्री झारखंडेराय—मेरा मतलब पाइप से है।

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, नल तो बिछ चुके हैं और पानी तैयार है वहां, लेकिन जब तक वह रूल्स नहीं पास करते और कर्मचारियों को नौकर नहीं रखते, तब तक उस वजह से इन्तजाम उसका नहीं हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कब तक शहरी जनता आजमगढ़ को पानी मिलने लगेगा?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो जैसा मैंने जवाब में कहा, जैसे ही वह अपने रूल्स बना देंगे और वहां के ऊपर जो जलकल और जलदाय वगैरह के टैक्स लगाने हैं वह लगा देंगे वैसे ही यह चालू हो जायगा।

गाजीपुर नगरपालिका में निर्वाचन की मांग

१९—श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार बतायेगी कि गाजीपुर नगरपालिका में निर्वाचन कराने का उसका कब तक विचार है?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार ने इस विषय में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह विषय सरकार के विचाराधीन कब से है?

श्री सैयद अली जहीर—कुछ महीनों से है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर नगरपालिका कब मुअत्तल हुई थी?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में फरवरी, सन् १९५६ में नोटीफिकेशन हुआ था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनाव कराने का विचार सरकार के अधीन कब तक रहेगा?

श्री सैयद अली जहीर—अभी तो यह तय करना है कि उसको डिजाल्व किया जायगा या सुपरसीड किया जायगा? अगर सुपरसीड किया जायगा तो चुनाव का सवाल नहीं उठता और अगर डिजाल्व किया गया तो यह सवाल उठेगा।

विधायक निवास में शीतल जल का कष्ट

२०—श्री वीरेंद्र वर्मा**—क्या वित्त मंत्री जी को ज्ञात है कि विधायक निवास 'ए' ब्लाक के बहुत से कमरों में नलों का पानी प्रातः ८ से सायं ८ बजे तक इतना गर्म रहता है कि हाथ धोना भी मुश्किल होता है?

श्री धर्मसिंह—जी हां, इसकी सूचना जरूर थी कि दिन में पानी गर्म हो जाता है पर ८ बजे प्रातः से ही पानी गर्म होने की सूचना न थी।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि विधायक निवास की फर्स्ट स्टोरी में पानी गरम रहता है, और सेकेंड स्टोरी में पानी ठंडा रहता है?

श्री धर्मसिंह—जी हां, यह बात ठीक है और उसकी व्यवस्था की गई है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या यह सही है कि पानी को गर्मी से बचाने के लिये इन टंकियों पर फूस की टट्टी लगा दी गई है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि नीचे की स्टोरी में पानी ठंडा और ऊपर की स्टोरी में पानी गरम रहता है, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--ऊपर की स्टोरी में टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिये पानी गर्म रहता है, यही कारण है।

बद्रीनाथ टाउन एरिया बनाने से इंकार

****२१--श्री गुप्तार सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ की जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बद्रीनाथ टाउन एरिया कायम करने जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं। बद्रीनाथ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, और वहां पर प्रतिवर्ष जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी होती है। साल के लगभग छः महीने में भिन्न-भिन्न स्थानों से यात्री बद्रीनाथ आते हैं। इस लगभग छः मास की अवधि में वहां पर सफाई की उचित व्यवस्था रखना बहुत आवश्यक है और इसके लिये इस समय उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ (सैनिटेशन एन्ड इम्प्रूवमेन्ट) ऐक्ट, १९४५, इस क्षेत्र में लागू है। इसके समाप्त करने और बद्रीनाथ में टाउन एरिया की स्थापना करने के प्रश्न पर कई बार सन् १९५१-५२ में मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री विचार कर चुके हैं। सरकार का निर्णय अब तक यही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुचारु रूप से कार्य चल रहा है। इसलिये इसको समाप्त करना और बद्रीनाथ के लिये कोई दूसरी व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान व्यवस्था में बद्रीनाथ शहर की २ हजार जनता को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी गवर्नमेंट को लिखा है कि इस सैनिटेशन और इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट के द्वारा जो सफाई का प्रबन्ध होता है वह ठीक नहीं होता है और सफाई का प्रबन्ध स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को दे दिया जाना चाहिये। यदि हां, तो सरकार क्या निर्णय करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

***१-२--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--[१८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]**

नोट--अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न २१ श्री दीनदयालु शास्त्री ने पूछा।

जालौन जिले के लेखपालों व पटवारियों के संबंध में पूछताछ

*३—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि अब तक जिला जालौन की प्रत्येक तहसील में कितने-कितने लेखपालों को अलग करके उनकी जगह पुराने पटवारियों को किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में प्रत्येक तहसील में कितने-कितने लेखपाल हैं और तहसीलवार हरिजन लेखपालों की कितनी संख्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश निकला है कि जिसमें नये लेखपालों को अलाहिदा करके पुराने पटवारियों को लिये जाने का हुक्म है ? अगर हां, तो सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

श्री बसन्तलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन संबंधित प्रश्नों की सूचना २ महीने से सरकार को प्राप्त नहीं हो सकी इसका क्या कारण है, तथा वह सूचना कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—डिटेल की कुछ बातें थीं, उसकी थोड़ी-सी कुछ सूचना थी जिनके आधार पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, पूरी डिटेल अभी नहीं आयी है । आशा है कि वह बहुत जल्द आ जायगी ।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में कृषि योग्य भूमि

*६—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में कितनी भूमि पर खेती होती है और कितनी भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य है पर खाली पड़ी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सूचना एकत्रित हो जाने के बाद उसकी एक प्रति हाउस की मेज पर वह रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो नियमानुसार बाद को सदन में आती ही है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सूचना जिस प्रकार एकत्रित की जा चुकी है उसको सरकार क्यों नहीं सामने रखती, और बाकी के लिये कोशिश की जाती रहे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वह रखी जा सकती है लेकिन आप अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब पूरा नहीं मिलेगा तो उससे आपको संतोष नहीं होगा, वरना जितनी सूचना है वह मैं दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—नियमानुसार आपको पूरा उत्तर देना चाहिये, क्योंकि इसमें गलती भी हो सकती है ।

लेखपालों का काम करने का समय

*७—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि लेखपाल महीने में कितने दिन तहसील में और कितने दिन देहात में काम करते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, अक्टूबर मास की १५ दिन की हाजिरी के अतिरिक्त लेखपाल को साधारणतः महीने में एक दिन तहसील में हाजिर होना पड़ता है। उसे विशेष कार्यों के संबंध में भी कभी-कभी तहसील में हाजिर होना पड़ता है जिसके लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसका शेष समय हलके में ही व्यतीत होता है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही नहीं है कि लेखपाल आधे से अधिक दिन तहसील में रहते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह शायद सही नहीं होगा। यह कहीं परिस्थिति पर होगा जब कि कहीं कोई काम परिस्थितिविशेष से हो गया होगा। तो हो सकता है कि कहीं एक आध आदमी को ऐसा हो गया हो।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि जब कभी लेखपाल अपनी तहसील के हेडक्वार्टर पर आता है तो उसको दैनिक भत्ता हेडक्वार्टर पर कार्य करने के लिये दिया जाता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नियम बने हुये हैं। नियमानुसार उसको भत्ता मिलने का अधिकार है, तो जरूर दिया जाता होगा।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में गलत तरीके से मालगुजारी वसूल करने की शिकायत

*८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि अधिकारियों तथा सरकार के पास आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के बाढ़ क्षेत्र के कुछ गांवों की मालगुजारी फसली पिछले वर्ष की वसूल करने की गलत तरीके की शिकायत आई है? यदि हां, तो उसके सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तथा सदर तहसीलों में तकावी के के लिये प्रार्थना-पत्र

*९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के तहसील कार्यालयों में कितने ऐसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के निवासियों के प्रार्थना-पत्र आये हैं जिन्हें ३१ मार्च, १९५६ से पूर्व मकान बनाने के लिये तकावी न दी जा सकी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ जिले की तहसील सदर में ३, तथा तहसील सगड़ी में ३३ ऐसे प्रार्थना-पत्र बाढ़-पीड़ित क्षेत्र से प्राप्त हुये हैं जिन पर ३१ मार्च, १९५६ से पूर्व मकान बनाने के लिये तकावी न दी जा सकी।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों के अनुसार तकावी ३१ मार्च के पूर्व क्यों नहीं मिल सकी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तीन सज्जन थे जो ३१ मार्च के पूर्व हाजिर नहीं हो सके। इसलिये नहीं दी जा सकी। ३३ जो प्रार्थना-पत्र थे उनमें जो प्रार्थी लोग थे वह जमानत नहीं दे सके और उस तारीख के पहले बांड वगैरा की कार्यवाही भी पूरी नहीं कर सके, इसलिये उनको भी नहीं दी जा सकी।

गोंडा जिले की उतरौला तहसील को तकावी

*१०—श्री अमृतनाथ मिश्र (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ के बाढ़ के सिलसिले में तकावी देने की सरकार ने जो स्वीकृति दी थी उसमें से कितना रुपया गोंडा जिला के तहसील उतरौला के लिये था और उसमें से कितना रुपया देने से बच गया? यदि बचा तो क्यों?

श्री चरणसिंह—सन् १९५५ की बाढ़ के सिलसिले में गोंडा जिला की तहसील उतरौला में १,१२,००० रुपया तकावी के रूप में वितरण करने के लिये दिया गया था। इस रकम में से ६२,७२५ रुपया वितरित किया गया और बाकी ४९,२७५ रुपया बच गया, क्योंकि इस तहसील से और तकावी के लिये मांग नहीं आई।

*११—श्री अमृतनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील उतरौला में परगना बमनीपायर तथा बूढ़ापार से कितनी दरख्वास्तें तकावी के लिये दी गई थीं? उसमें से कितने लोगों को तकावी दी गई और कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं?

श्री चरणसिंह—उत्तरौला तहसील के परगना बमनीपायर व बूढ़ापार से तकावी के लिये कुल ३४ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं और उन सब प्रार्थियों को तकावी दी गई।

*१२-१३—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[१८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—[१८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गया।]

गांव समाज की सम्पत्ति के इन्दराज के लिये आदेश

*१५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार ने जिलाधीशों को ऐसा कोई आदेश भेजा है कि गांव समाज की सम्पत्ति की पूरी छानबीन और जांच-पड़ताल करें तथा जहां-जहां आवश्यक वे समझें दावा दायर करें?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। जाड़ों के दौरे के संबंध में सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये कि जांच-पड़ताल के बाद गांव समाज की सम्पत्ति का इन्दराज सम्पत्ति रजिस्टरों में सही तौर पर किये जावें, और अनधिकार काबिजों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की जावे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसी बेदखलियों की कार्यवाही इस प्रदेश के अन्दर कितनी हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ऐसे आदेश जारी करने की सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी जब कि इस प्रकार के आदेश पहले से थे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—क्योंकि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटीज नयी बनायी गयी थी और गांव सभाओं को नये अधिकार दिये गये थे, और इस प्रकार की शिकायतें भी आयी थीं कि लोगों ने अनधिकृत तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इसलिये ऐसे आर्डर्स जारी किये गये, आशा है उन पर कार्यवाही अवश्य हुई होगी।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह आदेश कब जारी किये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक आदेश २ नवम्बर, सन् ५४ को और एक २८ अक्टूबर, १९५५ को जारी किया गया। इसी तरह के बीच में भी आदेश हुये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कितने एकड़ भूमि इस प्रकार से नाजायज कब्जे में कर ली गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो बता दिया जायगा।

*१६-१८—श्री रामस्वरूप गुप्त—[११ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२०—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—[११ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[१८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२३—श्री ब्रजबिहारी मिश्र—[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[१८ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिद्वार में विशाल उद्यान बनवाने की मांग

*२५—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में हरिद्वार में एक विशाल बाग, जैसा कि मैसूर में स्थित "वन्दावन बाग" है, उसी नमूने का बनवाने की योजना है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत हरिद्वार में पार्क, फव्वारे और छोटी-छोटी नहरें बनायी जा रही हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जवाब तो है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि इस योजना के लिये साढ़े सात लाख रुपया स्वीकार किया गया?

श्री अध्यक्ष—वे योजना का होना स्वीकार ही नहीं करते, तो यह सवाल पैदा कहां से होगा?

श्री श्रीचन्द्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरिद्वार म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर से कोई इस प्रकार का आवेदन-पत्र आया है कि हरिद्वार में फलदार पेड़ लगाये जायं?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—कृषि विभाग को तो इसकी इत्तिला है नहीं।

*२६—श्री कमलासिंह—[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में ट्रेंड व अनट्रेन्ड लेखपाल

*२७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितने-कितने लेखपाल ऐसे हैं जो अनट्रेन्ड हैं पर लेखपाली स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर करते हैं?

नोट—तारांकित प्रश्न २५ श्री दीनदयालु शास्त्री ने पूछा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील में अनट्रेन्ड लेखपालों की संख्या निम्नलिखित है :—

सगड़ी	१९	सदर	२
घोसी	३	फूलपुर	१५
मुहम्मदाबाद	७	लालगंज	६
		योग ..	५२

*२८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रेन्ड लेखपाल रहते हुये अन्ट्रेन्ड लोगों को चार्ज क्यों दिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपर्युक्त लेखपालों की नियुक्ति पहले ही सामूहिक भर्ती के क्रम में हो चुकी थी, अतः नई नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। ट्रेन्ड लेखपालों के होते हुये अब अन्ट्रेन्ड व्यक्तियों को चार्ज नहीं दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो जगहें खाली थीं और उन जगहों पर जो लेखपाल अनट्रेन्ड रक्खे गये हैं उनके बजाय पुराने पटवारी क्यों नहीं रखे गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो अनट्रेन्ड लेखपाल हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दो महीने का विशेष शिक्षण पास कर लिया है। उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वह पूरे शिक्षण में पास हो जायं। अगर पास नहीं हुए तो उनको अलहदा कर दिया जायगा। तब सवाल उठेगा कि उनकी जगह पर किस को लिया जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय— इन लेखपालों की जगह कोई अनट्रेन्ड लेखपाल रखने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लेखपाल ट्रेन्ड तो सभी हैं। अनट्रेन्ड तो वही हैं जो सामूहिक रूप से रक्खे गये थे। उनको विशेष शिक्षण दिया गया था २ महीने का। अब फिर उनको मौका दिया जा रहा है कि वह पूरे शिक्षण में पास हो जायं। अगर वे पास नहीं होंगे तो उनको निकाल दिया जायगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या यह सही है कि जितने लेखपाल हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गयी थी और उनकी परीक्षा भी ली गयी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, ट्रेनिंग हर साल होती है और परीक्षा भी होती है।

झांसी जिले में ओला वर्षा से क्षति-पूर्ति की मांग

*२९—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास मऊरानीपुर व गरौठा तहसील (झांसी) के किसानों आदि की इस आशय की शिकायतें आई हैं कि मार्च, १९५६ में उक्त तहसीलों के कितने ही ग्रामों की फसल को ओलों से बड़ी क्षति हुई है ?

*३०—क्या सरकार उक्त ग्रामों के नाम इस ब्योरे के साथ, कि किस ग्राम में कितनी हानि हुई है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा— इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आवश्यक सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

नोट—तारांकित प्रश्न २९–३० श्री गज्जूराम ने पूछे।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सूचना एकत्रित होते ही एक साल की मालगुजारी का टैक्स, एक साल की आबपाशी का टैक्स, और एक साल का ट्रैक्टर का टैक्स माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो जो नियम के अनुसार होगा वह कार्यवाही की जायगी। इसके लिए नियम बने हुए हैं।

मेरठ तथा गोरखपुर कमिश्नरियों से मालगुजारी की वसूली

*३१--श्री श्रीचन्द्र--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ तथा गोरखपुर की कमिश्नरियों के प्रत्येक जिले से १९५३ से १९५५ तक कितनी-कितनी मालगुजारी वसूल करनी थी और कितनी-कितनी प्राप्त हुई ?

*३२--क्या सरकार बतायेगी कि इन कमिश्नरियों में कितनी-कितनी मालगुजारी प्रत्येक जिले में माफ कर दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कितनी बार स्थगित किया जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह तो कार्यसूची में ही दिया हुआ है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--एक बार तो हुआ ही है, जैसा कि इससे मालूम होता है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन आंकड़ों को उपलब्ध करने में सरकार को अब तक क्या कठिनाइयां हुई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--दोनों डिवीजन्स के आंकड़े मंगाए गए हैं, उनके इकट्ठा करने में अभी देर लगेगी, विभिन्न जगहों से सूचना आनी है, इसलिये देर हो रही है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस प्रकार के आंकड़ों का योग तो प्रत्येक जिले में हर साल का रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वह रहता होगा। लेकिन अभी आंकड़े यहां नहीं आए हैं, इसलिये जवाब नहीं दिया जा सका।

जौनपुर जिले में चकबन्दी का कार्य

*३३--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में अब तक कितना कार्य चकबन्दी के सिलसिले में किया गया और कितना शेष है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत ७३५ गांव सम्मिलित हैं। इनमें से २१३ गांवों में चकबन्दी के पूर्व सर्वे की आवश्यकता थी। उनमें सर्वे का कार्य १० अप्रैल, १९५६ से प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष ५२२ गांवों में पड़ताल का कार्य समाप्त हो चुका है। २१३ गांवों के सम्बन्ध में चकबन्दी के सिद्धान्त (Statement of principles) तैयार हो चुके हैं और १३२ गांवों में चकबन्दी के प्रस्ताव (Statement of proposals) तैयार हो चुके हैं। १५ गांवों में चकबन्दी की योजना कार्यान्वित हो चुकी है, और ३ गांवों में बनाये गये चकों के अनुसार अधिकारों का परिवर्तन हो चुका है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह १५ गांव कौन से हैं जिनमें चकबन्दी की योजना लागू हो चुकी है और क्या उन ग्रामों में बने हुए चकों के अनुसार अधिकारों का परिवर्तन हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस जिले में चकबन्दी कब प्रारम्भ हुई थी और जिस रफ्तार से वह वहां चल रही है उसके अनुसार अनुमानतः कब तक समाप्त होने की आशा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जौनपुर में इसमें देर इसलिए लगी कि बाढ़ के कारण यह काम कुछ दिनों स्थगित रहा और यह जो आंकड़े मैंने दिए हैं वह १५ अप्रैल तक के हैं । उम्मेद है कि अब काम जल्द समाप्त हो जायगा और ज्यादा देर नहीं लगेगी ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन की जो जमीनें बाढ़ के कारण कटाव में आ गईं और जो सर्वे हो रहा है उसमें इन कटाव की जमीनों का क्या प्रबन्ध उनके लिए किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सर्वे में जिसकी जितना जमीन होगी, जिसका हक होगा और जो सही तरीका इस सम्बन्ध में होगा वही किया जायगा ।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में लेखपालों की बरखास्तगी

१—श्री कमला सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में किन-किन हाकिम परगनाने कितने लेखपालों को १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में बरखास्त किया और कितने अपील से बहाल किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रतापगढ़, इलाहाबाद व जौनपुर जिले के गावों में शासकीय परिवर्तन

२—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ के कितने गांव जिला इलाहाबाद एवं जौनपुर में मिला दिये गये और उनकी कितनी जनगणना एवं वार्षिक लैन्ड रेवेन्यू है ?

३—क्या सरकार बतायेगी कि जिला इलाहाबाद एवं जौनपुर के कितने गांव प्रतापगढ़ में मिला दिये गये और उनकी कितनी जनगणना तथा वार्षिक लैन्ड रेवेन्यू है ?

श्री चरण सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करने के लिये जौनपुर जिले में एकत्रित धन

४—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करने के लिये जौनपुर में कुल कितना रुपया जमा हुआ तथा उसके फलस्वरूप सरकारी मालगुजारी में कितनी कमी हुई है ?

श्री चरण सिंह—भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करने के लिये जौनपुर में ३० अप्रैल, १९५६ तक कुल ५०,७६,५२६ रुपया जमा हुआ तथा उसके फलस्वरूप सरकारी मालगुजारी में २,३८,०५२ रुपये की कमी हुई ।

*७ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न ८ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—मुझे सदन को एक सूचना देनी है। ७ मई, १९५६ ई० को तराई बंगाली उद्वास्तु समिति, दिनेशपुर द्वारा तराई में हुए शरणार्थी बंगालियों की ओर से भेजी गयी मांग सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ८ से सम्बन्धित श्री नारायणदत्त तिवारी के एक अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में जिसमें ऋण की वसूली का समय बढ़ाने के विषय में पूछा गया था, मैंने जो उत्तर दिया था उसमें कुछ शोधन की आवश्यकता है। शुद्ध उत्तर निम्नप्रकार है :—

"भारत सरकार से प्रार्थना की गई है कि ऋण की वसूली का समय बढ़ा कर ६ से १० वर्ष कर दिया जाय।"

आगामी कार्यक्रम के संबंध में पूछ-ताछ

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह सदन कब तक बैठेगा और कौन-कौन सा बिल लिया जायगा, ताकि सब सदस्यों को सुविधा हो।

श्री अध्यक्ष—अभी तो कार्यवाही चल रही है, मुझे भी कुछ सूचना देनी है, उसके बाद आप सवाल करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पंखा जो बीच में रखा हुआ है इससे बड़ी दिक्कत हो रही है और यह बड़े खतरे का कारण होता है। इसको सामने रखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, उसको अभी उठवा दिया जायगा।

प्रतिनिधानित विधान समिति बनाने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—प्रक्रिया नियमावली के नियमों के संशोधन के सम्बन्ध में जो समिति बनी थी उसने यह सिफारिश की थी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जांच के लिए एक सदन की समिति, 'प्रतिनिधानित विधान समिति' इस सदन की बना लेनी चाहिए, यानी जब तक नये नियम इस सदन के द्वारा स्वीकार न हो जायं उसके पहले ही सदन की राय लेकर इस तरह की एक समिति बना लेनी चाहिए और एक आश्वासन समिति भी। इन दो सुझावों में से आश्वासन समिति तो बन गई। अब दूसरी समिति के सम्बन्ध में नेता सदन से यह पूछा गया था कि उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है, तो उनका जवाब यह आया है कि इस तरह की समिति बना ली जाय और चूंकि संशोधन समिति की यह इच्छा थी कि मैं उक्त समिति की नामजदगी कर दूं इसलिये मैं विचार करके समिति के सदस्यों के नाम निश्चित कर दूंगा। पहले प्रश्न यह उठा था कि संयुक्त समिति इस सम्बन्ध में बनायी जाय। विधान परिषद् और विधान सभा दोनों की। लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी आपत्ति दिखाई देती थी इसलिए यह निर्णय हुआ है कि अलग-अलग समितियां दोनों सदनों की होंगी। इस सदन की अलग समिति इस कारण भी बनानी होगी क्योंकि कुछ नियम ऐसे होंगे जो इस सदन से ही सम्बन्धित होंगे और परिषद की राय उन पर लेना आवश्यक होगा। इसलिये एक विभक्त समिति इस सदन की ही बना ली जायगी और मैं उसकी

---

*७ मई, १९५६ को कार्यवाही में तदनुसार शोधन किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

घोषणा बाद में कर दूंगा। चूंकि अब सदन जल्दी उठने वाला है समिति के सदस्यों के नामों की सूचना-पत्र द्वारा ही सदस्यों को मैं दूंगा।

प्राक्कलन समिति, वित्त समिति तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरी सूचना जो प्राक्कलन समिति और वित्त समिति और २४ जो स्थायी समितियां हैं उनकी नामजदगी के सम्बन्ध में मैं देना चाहता हूं। उनकी नामजदगी तो हो चुकी है और एक दो को छोड़ कर बाकी सब की हो चुकी है। उन सब के नाम पढ़ने में तो समय बहुत लगेगा इस कारण मैं यह निश्चित करता हूं कि उनकी फेहरिस्त मैं सचिव के दफ्तर में रखवा दूंगा, उसे सब माननीय सदस्य देख लें। इनमें से ७ समितियां ऐसी हैं जिनमें केवल १४ सदस्यों के ही नामों की नामजदगी हुई है वे समितियां ये हैं :--

१--सामान्य प्रशासन, २--वन, ३--आबकारी, ४--जेल, ५--स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थान, ६--यातायात और ७--समाज कल्याण।

इनमें नामजद सदस्यों में से यदि कोई सदस्य अपना नाम वापस न लेगा मियाद के अन्दर यानी कल शाम के ५ बजे तक, तो ये नाम घोषित कर दिये जायंगे कि वह निर्वाचित हुए।

शरणार्थी स्थायी समिति में केवल दो सदस्यों की नामजदगी हुई। १२ के स्थान अभी रिक्त हैं। तो यदि दो में से किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो दो की घोषणा कर दी जायगी और १२ नामों के लिए फिर से कोई दिन मुकर्रर करके नमजदगियों के लिए समय नियुक्त होगा। उसकी भी सूचना मैं पत्र द्वारा माननीय सदस्यों को दे दूंगा।

इसके सिवा रसद स्थायी समिति जो है इसके १४ स्थानों के लिए किसी ने अपना नाम नहीं दिया। तो इसके लिए भी फिर से नामजदगी के लिए कोई दूसरी तारीख रखी जायगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--यह मिनिस्टर का रौब है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष--मैं इसमें किसी माननीय सदस्य या माननीय मंत्रिगण को जिम्मेदार करार नहीं देता हूं। मैं अपने को ही जिम्मेदार समझता हूं इस विषय में, क्योंकि पूरा सदन ही इस विषय में जिम्मेदार है, इसलिये मेरी जिम्मेदारी ही इसमें अधिक है। मुझसे सम्भवतः कर्तव्य पालन करने के सम्बन्ध में कुछ त्रुटि हो गयी होगी इसलिए नामजदगी किसी सदस्य ने इस समिति के लिए नहीं करायी। दूसरी बाकी जो १७ समितियां हैं उनमें से १४ से अधिक नामजदगियां हुई हैं। उनका भी नाम वापस लेने का समय कल शाम के ५ बजे तक है। यदि चौदह से अधिक जिनमें सदस्य हैं उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए तो बाकी निर्वाचित घोषित कर दिये जायंगे और यदि किसी समिति में १४ से अधिक नाम शेष रहे तो उसके लिये चुनाव होगा और उसके लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव होगा। मैं समझता हूं कि अगर पत्र-व्यवहार द्वारा उसके लिए हम व्यवस्था करें और पोस्टल-बैलट का प्रबन्ध अगर करना पड़े तो अधिक व्यय होगा। इसलिये यदि चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो जिस समय जुलाई में सदन फिर बैठेगा उस वक्त चुनाव करना ही उचित होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से पिछले वर्षों से रवैया रहा है कि चुनाव की परिस्थिति पैदा नहीं हुई, आपस में ही तस्फिया कर लिया गया, तो अबकी बार भी आपस में तस्फिया हो जाय तो यह कठिनाई दूर हो जाय।

यह सूचना मैंने दे ही दी है कि जो सदस्य नामजदगियों की फेहरिस्त देखना चाहें वह सचिव के दफ्तर में देख सकते हैं। यह सूचना मैं देता हूं कि प्राक्कलन समिति के लिये ३१ नाम आये हुये हैं जिनमें से २५ सदस्यों का चुनाव होना है।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--(श्री जगन्नाथ मल्ल से) आप प्रश्न करना चाहते हैं सदन के कब तक बैठने के बारे में। तो माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ सूचना दें इसके विषय में।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मेरा तो खयाल यह है कि सदन का काम कल जरूर खत्म हो जायगा, संभवतः कल दोपहर तक ही खत्म हो जाय, और मैं तो ऐसी आशा करता हूं कि शायद आज ही खत्म हो जाय, दोपहर तक ही यह काम खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष--जो कार्यक्रम में दिये हुये हैं विधेयक, उनमें से कौन से विधेयक लिये जायेंगे, इससे लोग समझ सकते हैं कि कितना समय लगेगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इतना तो निश्चय है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक इस समय नहीं लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--उसके पहिले जो कार्यक्रम में विधेयक दिये हैं वे सब लिये जावेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो इसका मतलब यह है कि अगर उक्त विधेयकों को आज ही सदन खत्म कर दे तो आज ही सदन की बैठक समाप्त हो जायगी, वरना कल तक बैठना अनिवार्य होगा। इसमें से पहले जो दो विधेयक हैं आर्डिनेंस वाले उनके लिये तो यहां निश्चय हो चुका है कि एक दिन में वे समाप्त कर दिये जायंगे, दो-दो घंटे का समय प्रत्येक के लिये है। तो उसके अनुसार ही मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री और सदस्यगण भाषण देंगे कि दो घंटे का समय हर एक विधेयक के लिये है।

*उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

यह एक छोटा सा विधेयक है। इसमें मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। दो तीन संशोधन हैं। जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, यह जो विधेयक लाया गया है यह जनहित में लाया गया है। हम आजकल यह देखते हैं कि चारों तरफ सड़कों पर या जो पब्लिक प्लेसेज इत्यादि हैं बहुत से नागरिक उनपर अधिकार कर लेते है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्यगण बाहर जाना चाहें वे जरा शांतिपूर्वक चले जायं।

---

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की प्रतियां २ मई, १९५६ को मेज पर रखी गयीं।

श्री धर्म सिंह—इस चीज को लेकर यह विधेयक लाया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सड़कों की तरफ देखें या जो पार्क इत्यादि हैं, बहुत से स्थान हैं, वहां बहुत से लोगों ने कब्जा कर लिया है, न तो वे किराया देने की चेष्टा करते हैं तो अब तक जो हमारे यहां कानून है.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपस में बहुत जोर से बातें हो रही हैं और लोग माननीय वित्त मंत्री जी को सुन नहीं रहे हैं।

श्री धर्म सिंह—तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब तक जो हमारा पुराना ऐक्ट था उसके अन्दर जो डेफनीशन बिल्डिंग की दी गई है वह पूरी नहीं थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिये जो हम संशोधन इसमें करना चाहते हैं हम इस तरह के जो लोग पूरे तरीके से कब्जा कर लिये हैं जो उनको हम हटाने में असमर्थ थे इसलिये इस धारणा को ले कर यह विधेयक ले आये हैं। जैसा कि सदन पूरे तरीके से जानता है बाजारों में बहुत से लोग बैठ जाते हैं अगर उनको उठाने की कोशिश की जाती है तो नहीं उठते यहां तक कि अगर एक बार नोटिस दी गई कि आपके अधिकार की यह वस्तु नहीं है, आप यहां से उठ जायं तो वह कोर्ट्स में चले जाते हैं। तो कोर्ट्स में जाने का उनको अधिकार है लेकिन लिटीगेशन में इतना समय लग जाता है जिसके कारण परेशानी बढ़ती है कि जो जनहित के रूप में कार्य हो जाना चाहिये था वह नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर सरकार इस बात की कोशिश करती रही है और उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में और खास तौर से लखनऊ में जिन लोगों ने स्टाल्स रख लिये हैं या इस तरह से कब्जा कर लिया है उनको वहां से हटाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न किये गये लेकिन उनमें कामयाबी नहीं हो पाई। तो इसी उद्देश्य को लेकर इसमें दो-तीन धारायें हैं जिनके आधार पर यह विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस ऐक्ट का संबंध है उसमें दो धारायें अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़कर बतलाऊं धारा २(सी) में यह लिखा हुआ है कि:—

"Government premises means any premises belonging to, taken on lease or requisitioned by the State Government."

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इसका अनुवाद भी कर दें।

श्री धर्म सिंह—इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के जो प्रेमिसेज हैं वह राज्य सरकार के हों, पट्टे पर लीज हो या उनकी जो जगह दखल की गई। इस तरह से पुराने ऐक्ट में दिया गया है लेकिन इस नई धारा के अनुसार उसमें दो शब्द और जोड़ दिये गये हैं "ओन्ड" और "हैल्ड"। "ओन्ड" का अभिप्राय है उसके स्वामित्व में हो और दूसरा शब्द जो "हेल्ड" है उसका अभिप्राय "अधिकृत" हो यानी उनके पास हो। आगे चल कर इसी धारा २(डी) में पुराने ऐक्ट के यह है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मूल विधेयक पहले भी हिन्दी में ही पारित हुआ था तो यदि आप कोई मूल अधिनियम की धारा का उदाहरण दें तो हिन्दी में दें।

श्री धर्म सिंह—अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे मेरे पास हिन्दी में इस समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो फिर अनुवाद कर दीजिये।

श्री धर्म सिंह—तो धारा २ (डी) के आधार पर जो अब तक बिल्डिंग की परिभाषा थी वह पूरे तरीके से विस्तार में नहीं थी। उसमें बहुत-सी बातें थीं लेकिन इस नयी धारा के अनुसार इसमें दो-तीन बातें जोड़ दी गई हैं कि कोई छोटी दूकान या छोटे खेमे

या अन्य कोई निर्माण चाहे लकड़ी का बना हो या और किसी सामग्री का वह भी भवन की परिभाषा में रखा जायगा यानी बिल्डिंग की परिभाषा में यह दो तीन बातें जो मैंने बतलाई हैं वह भी सम्मिलत की जायेंगी।

आगे चल कर धारा ९ में संशोधन किया गया है और उसके आधार पर यदि कोई छोटी दूकान या छोटा खेमा या कोई दूकानों के सामने इसी तरह से फैलाकर या लकड़ी या दूसरे सामान लगाकर कोई दूकान वहां पर लाकर फैला देते हैं उसके लिये स्टे आर्डर्स न देने की व्यवस्था की गई है। सदस्य यह कह सकते हैं कि यह तो इस चीज का अपहरण किया जा रहा है उस चीज को ले कर के। यदि वह डिस्ट्रिक्ट जज के यहां एप्लाई करता है तो डिस्ट्रिक्ट जज उनको अधिकार दे सकता है इस बात के लिये कि उनको अधिकार मिले। लेकिन जहां तक स्टे आर्डर्स का संबंध है इस बात के लिये आगे चल कर धारा ११ में कहा गया है जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट जज इस बात के लिये मौका देगा कि अगर उसकी अपील मंजूर होगी तो अपील मंजूर होने के बाद में जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी उसके द्वारा इस तरीके से उसको अधिकार मिल सकता है। इसमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक दो-तीन धाराओं का संशोधन है। मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको पास करने की कृपा करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, यह विधेयक जो कि अभी विधान परिषद से पारित हो कर आया है और जिसको अभी माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से एक एक छोटा सा विधेयक कहा गया है वह वास्तव में छोटा तो है लेकिन खोटा भी है। खोटा इस माने में कि जो मौलिक अधिकार हिन्दुस्तान के विधान में सुरक्षित है उसके आर्टिकिल १४ के विरुद्ध जाता है। संविधान का आर्टिकिल १४ इस प्रकार है:

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law within the territory of India."

इसका हिन्दी में अर्थ यह हुआ कि राज्य किसी भी व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देने से इंकार नहीं करेगा और भारत की सीमा के अन्दर कानून का समान व्यवहार होगा।

अब श्रीमन्, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण के दूसरे भाग को देखें। उसमें लिखा हुआ है :

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में डिस्ट्रिक्ट जज को अधिनियम की धारा ७ के अधीन जारी की गयी बेदखली की आज्ञा को स्थगित करने का अधिकार दिया गया है। शीघ्रता, श्रीमन्, हिन्दी में शीघ्रता है और अंग्रेजी में है एक्सपीडिएंसी। तो पहले तो वित्त मंत्री जी यह देखें कि एक्सपीडिएंसी का अनुवाद शीघ्रता होता है।

श्री अध्यक्ष---वह एक्सपीडाइट का रूपान्तर शायद उन्होंने एक्सपीडिएंसी कर दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक्सपीडिएंसी का अर्थ तो सुभीता होता है। तो आगे है :

"शीघ्रता के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि यदि संबंधित भूगृहादि कोई छोटी दूकान १ खुला हुआ छोटा कैम्प या अन्य कोई ऐसा ही सुदृढ़ निर्माण हो तो बेदखली की आज्ञा डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा स्थगित न की जा सके।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अब श्रीमन् यहां पर भेद उठता है। मूल अधिनियम की धारा ८ और ९ को आप देखने की कृपा करें। उसमें लिखा है:—

"८—कोई व्यक्ति जो धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञा से असंतुष्ट हो उस संबंध में सूचना की प्राप्ति से १५ दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास लिखित अपील कर सकता है; डिस्ट्रिक्ट जज समर्थ अधिकारी से रिपोर्ट मांगने के बाद आवश्यकता के अनुसार और अधिक जांच करने के बाद ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा अंतिम होगी।

९—यदि धारा ८ के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी हो तो डिस्ट्रिक्ट जज धारा ७ के अधीन दी गयी बेदखली की आज्ञा का कार्यान्वित करना ऐसे समय के लिये और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ जिनको वह उचित समझे, रोक सकता है।"

तो धारा ९ में डिस्ट्रिक्ट जज को इस बात का अधिकार है कि जब धारा ९ के अनुसार अपील हो जाय तो वह बेदखली का स्टे आर्डर दे सकता है। आप देखें कि भू-गृहादि की परिभाषा क्या है, पहले क्या थी और अब क्या है। धारा २ की उपधारा (ख) के भाग १, २ व ३ में लिखा है कि भूगृहादि का तात्पर्य किसी इमारत या इमारत के भाग से है :—

"(१) ऐसे उद्यान, भूमि या वाह्य गृह (आउट हाउसेज) जिनका अधिसंबंध (एपरटेनिंग) उक्त इमारत या इमारत के भाग से हो,

(२) ऐसे उपस्कर (फर्नीचर) जिसको भूस्वामी (लैंडलार्ड) ने उक्त इमारत या इमारत के भाग में उपयोग के लिये दिया हो,

(३) ऐसा सामान (फिटिंग) के उक्त इमारत या उसके भाग में इस प्रयोजन से स्थिर रूप से लगा दिया गया है कि उक्त इमारत या उसके भाग का अधिक सुखप्रद उपभोग (मोर बेनीफिशियल इंजौयमेंट) हो सके।"

श्रीमन्, भू-गृहादि की परिभाषा यह है जो मैंने मूल अधिनियम से पढ़ी है। अब संशोधित अधिनियम में सरकार ने भू-गृहादि की परिभाषा को बदल दिया गया है। इसमें खेमा, तम्बू और फड़ भी आ जायेंगे। भू-गृहादि की परिभाषा से सरकारी भू-गृहादि की परिभाषा अलग है। अन्ततोगत्वा इसका अर्थ यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज किसी इमारत की बेदखली को स्थगित कर सकते हैं, फर्नीचर की बेदखली को स्थगित कर सकते हैं, किसी उद्यान से कर सकते हैं लेकिन फड़ से या तम्बू से नहीं कर सकते हैं। यह कमजोरी इसमें पड़ती है। मैंने एक सरकारी इमारत ली उसमें एक आउट हाउस है, तम्बू है, और एक फड़ है। मैं इमारत से बेदखली के स्थगन की आज्ञा ले सकता हूं लेकिन तम्बू की नहीं ले सकता हूं। इमारत की मेन बिल्डिंग पर बेदखली की आज्ञा स्थगित हो सकती है, लेकिन तम्बू वगैरह पर नहीं हो सकती है। इस तरह से एक भेद पैदा कर के यह विधान की मर्यादा के विरुद्ध विधेयक जाता है। श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाता और आगे अगर उचित समझूंगा तो उठाऊंगा। लेकिन आप ने ऐसी व्यवस्था दी और सदन के ऊपर इसको छोड़ा है, इसलिये मैं इस समय इसे नहीं उठाता हूं और आप से विशेष आग्रह नहीं करूंगा। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यदि आप उचित समझें तो अपनी ओर से जानकारी प्राप्त करें कि यह कहां तक डिसक्रिमिनेटरी है और सरकार ने ऐसा विधान क्यों बनाया कि छोटे तम्बू और छोटी दुकानों की बेदखली की आज्ञा को स्थगित नहीं कर सकते हैं और इमारत की कर सकते हैं तो सरकार ने ऐसा प्राविजन क्यों रखा है? इसको न तो सरकार ने स्पष्ट ही किया है और न कोई कारण ही मालूम देता है।

श्रीमन्, जिस समय यह मूल अधिनियम १९५२ में उपस्थित किया गया था तो उसका कारण दूसरा बतलाया गया था और माननीय वित्त मंत्री ने यह बतलाया था कि लोग सड़क की पटरियों पर सो जाते हैं और लोग सरकारी बिल्डिंग्स पर अधिकार, कब्जा कर लेते हैं। इसलिये हम विधेयक ला रहे हैं लेकिन उस समय शरणार्थियों का नाम लिया था कि शरणार्थियों ने बहुत से क्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया है और कहीं यह बतलाया कि हमें कुछ का अलाटमेंट करना है इसलिये यह रखा गया। १९५२ में तो यह बतलाया गया था। लेकिन आज के और उस समय के कारणों में बहुत अन्तर है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है? जो कारण उस समय सही थे वह आज दूसरे हो गये हैं और उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? मान लीजिये नगर की पटरी पर कोई सो जाता है तो वह भू-गृहादि की परिभाषा में कैसे आयेगा। वह तो म्युनिसिपैलिटी की लिमिट हो सकती है, टाउन एरिया की हो सकती है, सरकार की नहीं है। अगर किसी स्थानीय संस्था, लोकल बाडी की लिमिट के अन्दर इस ऐक्ट को लागू करने का सवाल उठता है तो मैं समझता हूं कि वहां यह ऐक्ट लागू नहीं हो सकता। वहां म्युनिसिपैलिटी के बाईलाज लागू हो सकते हैं, टाउन एरिया के बाईलाज लागू हो सकते हैं, किसी स्थानीय संस्था के बाईलाज लागू हो सकते हैं लेकिन इस ऐक्ट को वहां लागू करना तो इस ऐक्ट की मर्यादा के बाहर की बात है।

दूसरी बात इसके सम्बन्ध में जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि सन् १९५२ में यह विधेयक इसलिये काम में लाया गया था कि शरणार्थियों को जो मकान एलाट किये गये हैं उनका नियन्त्रण किया जाय। इस नियंत्रण के लिये यह विधेयक लाया गया। आज चार साल बीत चुके हैं इस बीच में गंगा और गोमती में बहुत पानी बहा है। जो क्वार्टर उस समय शरणार्थियों के लिये एलाट किये गये थे वह नयी स्कीम के अनुसार शरणार्थियों के स्वयं के होने जा रहे हैं। जो क्वार्टर अलग-अलग प्रदेशों में बनाये गये थे, अलग-अलग शहरों में बनाये गये थे, उनका नयी स्कीम के अनुसार जो सेटिलमेंट की स्कीम या लोन की स्कीम बनी है उसके अनुसार वह उन्हीं को दिया जा रहा है। उनका पाकिस्तान में जो रुपया जमा था और उसके सम्बन्ध में जो पाकिस्तान से समझौता हुआ है, उन्हीं के क्लम के सम्बन्ध में यह स्कीम बनी है। उसके अनुसार यह तमाम क्वार्टर शरणार्थियों के स्वयं होने जा रहे हैं। इसलिये बेदखली का वह सारा पुराना कानून जो उस समय सही हो सकता था उसकी आज आवश्यकता नहीं है।

मैं तो यह समझता था कि बजाय इस विधेयक को इस प्रकार संशोधित करने के, सरकार अपने मूल विधेयक को ही कह देती कि यह रिपील हो गया क्योंकि उसकी अब आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि रेंट कंट्रोल ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट पहले से ही मौजूद है जो सारे राज्य में लागू है। कोई भी मकान मालिक और उसका किरायेदार, उसका रिश्ता क्या होगा, आपस में किस प्रकार वह किराया देगा, जब किरायेदार किराया न देगा तो उसकी बेदखली का क्या रास्ता होगा, किरायेदार कहां अपील कर सकेगा, कितनी अपीलें कर सकेगा, कितना जुर्माना देगा, मकान मालिक के क्या अधिकार होंगे और रेंट कंट्रोलर के क्या अधिकार होंगे, यह सब बातें रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट में लिखी हुई हैं। जब एक रेंट कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट पहले से ही यह सदन बना चुका है तो फिर क्या आवश्यकता है कि सरकार अपने लिये एक फेवर्ड ट्रीटमेंट करे और विशेष प्रकार के अधिकार अपने हाथ में ले और अपने लिये एक अलग कानून बनाये। जब सारे प्रदेश के मकानों के लिये एक कानून बना हुआ है, जब सारे किरायेदारों और मकान मालिकों के लिये एक कानून बना हुआ है तो अपने मकानों के लिये उसको अलग से ऐक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमन्, अभी-अभी, आपने समाचार-पत्रों में देखा होगा कि जो ला कमीशन इंडिया का है, जो इस समय काम कर रहा है, उसने एक सिपारिश की है और बहुत उचित सिपारिश की है और उसकी प्रेरणा राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी की रही है। उस सिपारिश में उसने कहा है कि सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को ऐसे सामान्य अधिकार हस्तगत

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नहीं करने चाहिये जो दूसरे सामान्य नागरिकों को न हों। बहुत से और दूसरे मुल्कों में, दूसरे देशों में जो नागरिकों को सामान्य अधिकार प्राप्त हैं उनसे अधिक असाधारण और असामान्य अधिकार सरकार अपने कर्मचारियों के लिये प्राप्त नहीं करती। तो इस सिद्धांत की सिपारिश यहां भी ला कमीशन ने की है कि यहां अपने देश की सरकारें भी अपने लिये ऐसे विशेष कानून न बनायें कि जो सामान्य नागरिक से परे हों और जो उसको प्राप्त न हों। तो यहां बिल्कुल ऐसा ही डिस्टिंक्शन किया गया है। जो सामान्य नागरिक को सुभीते प्राप्त हैं उनसे अधिक विशेष अधिकार इस ऐक्ट के द्वारा सरकार लेने जा रही है जो किसी प्रकार जो जुरिस्प्रूडेंस का सिद्धान्त है, जो न्याय शास्त्र का एक सामान्य सिद्धान्त है उसके विरुद्ध भी है। सन् १९५२ में यह विधेयक उस सिद्धांत के विरुद्ध था, वह नियम भी विरुद्ध थे, लेकिन उससे कहीं अधिक विरुद्ध यह संशोधन विधेयक, जो आज पास होने जा रहा है वह है। और यह उस सामान्य जुरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत के विरोध में जाता है, न्याय शास्त्र के विरोध में जाता है। श्रीमन्, आप देखें कि जिस अधिनियम को हम संशोधित करने जा रहे हैं उसमें कितनी अधिक शक्ति सरकारी कर्मचारियों को है। उस अधिनियम की धारा ४ को अगर आप देखें, नहीं धारा ३ को, माफ कीजिये। धारा ३ में यह है कि सरकारी अधिकारी या समर्थ अधिकारी जो बताये गये हैं वह बिना कोई किसी प्रकार के कारण को बताये हुये अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी सरकारी मकान में रहने वाले को बेदखल कर सकते हैं। कारण बताने की जरूरत नहीं है। भले ही उसने किराया ठीक प्रकार से अदा किया हो, भले ही उसने मकान को सुरक्षित रूप से रखा हो और भले ही उसने मकान की हालत को किसी प्रकार से बिगाड़ा न हो, बिना किसी कारण के समर्थ अधिकारी किसी भी किरायेदार को बेदखल कर सकता है। यह लिखा हुआ है "समय विशेष पर प्रचलित किसी भी बात के रहते हुये समर्थ अधिकारी किसी भी ऐसे स्थान को बगैर अलाटमेंट ले ले या उस को निरस्त कर सकता है जिसने उस पर किसी प्रकार से भी अधिकार कर लिया हो।"

इसमें यह भी लिखा है कि उस आर्डर की अपील नहीं हो सकती। यह उसमें खास बात है। इसके अलावा जब कि सारे रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट में किरायेदार को २ महीने का समय मिल सकता है कि वह अदालत में किराया जमा कर दे। इसमें केवल एक मास का मौका दिया गया है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील करने का जो उसमें अधिकार है उसके लिये अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इस विधेयक में वह अधिकार नहीं दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संशोधित विधेयक जो संशोधित किया जा रहा है यह दोनों प्रकार के सामन्जस्य से न्याय की परिभाषा के विपरीत जाता है और एक प्रकार की असमानता पैदा करता है साधारण किरायेदारों में और सरकारी किरायेदारों में. . . . . .

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर) ––इस समय श्रीमन्, हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और सदन की गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं वक्ता को भाषण ऐसा देना चाहिये जिसमें सब यहां पर बैठे रहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, यह विधेयक ही इतना बुरा है कि इस पर अच्छा भाषण दिया ही नहीं जा सकता।

श्रीमन्, इस विधेयक में भू-गृहादि की जो परिभाषा दी गयी है यह इतनी अस्पष्ट है और इसकी आवश्यकता क्या है ? यह सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया। आखिर हमको माननीय वित्त मंत्री बतलायें कि जो इसमें लिखा हुआ है कि लकड़ी की छोटी दुकान और उडेन स्टाल तो सरकार ने कहां इनको बनाया और कहां पर सरकार की उडेन स्टाल

बनाने की योजना है। हमने प्रथम पंच वर्षीय योजना को पढ़ा और दूसरी पंचवर्षीय योजना को पढ़ा लेकिन कहीं पर भी लकड़ी के स्टाल बनाने का प्रोग्राम हमने नहीं देखा। तो यहां पर रखने का क्या अर्थ है इसको हम नहीं समझ पाये। फिर लिखा है कि खुले हुये छोटे खेमे। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमे लिखा है कि "इसी प्रकार का अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण", तो इसका क्या अर्थ निकलता है। कोई सुदृढ़ निर्माण की क्या परिभाषा है इस भूगृहादि में तो फिर इसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं। किस चीज के लिये यह परिभाषा लिखी गयी है, यह स्पष्ट नहीं है। तो मैं तो यह समझता हूं कि बजाय इसके कि सरकार इस संशोधित विधेयक को हमसे पास कराये सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिये और सरकार को देखना चाहिये कि यह विधान की धारा १४ के अनुसार मर्यादा के विरुद्ध है या नहीं? यह संशोधन विधेयक अवैधानिक है या नहीं, और यह कामन ला जो ज्युरिस्प्रूडेंस का है उसके विरुद्ध है या नहीं? अगर सरकार अपनी बुद्धि से विचार करे और इस नतीजे पर पहुंचे तो मेरा आग्रह होगा कि उसको यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमें इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े भी मिलने चाहिये। वह यह कि इस प्रदेश में कितने भू-गृहादि हैं और उनमें से कितनों का अलाटमेंट किया गया और कितने लोगों के इजेक्टमेंट की आवश्यकता पड़ी। इस विषय में मैंने सिविल सप्लाई विभाग की रिपोर्ट को देखने की चेष्टा की और यह देखना चाहा कि इस अधिनियम के मातहत कितने मकानों के लिये इन अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा लेकिन मुझे कुछ ज्ञान न हो सका। कितने छोटे खेमे हैं और कितनी छोटी दूकानें हैं और कितने सुदृढ़ निर्माण हैं, यह भी हमें मालूम होना चाहिये। लेकिन सरकार की ओर से ऐसे कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये। इसलिये इससे मालूम होता है कि सरकार की जो मंशा है वह अनिश्चित और अपर्याप्त है।

श्री तेजप्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक उस गरीब व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने वाला है जो सरकारी भूगृहादि में रहते हैं। इस विधेयक के द्वारा डिसक्रिमिनेशन भी होता है और जो गरीब हैं उनको जो मौलिक अधिकार पहले बिल में दिये हुए थे, उनको हटाने वाला है। अब आप देखेंगे कि सरकारी भू-गृहादि की डैफीनीशन में स्टाल्स को भी शामिल कर लिया गया है, छोटे-छोटे खेमे और टेंट्स को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह से जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया है और आगे चल कर यह व्यवस्था की गयी है कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो यह अधिकार था कि जो लोग अपील करेंगे उनके इजेक्टमेंट के आर्डर्स के विरुद्ध बेदखली को रोक सकता था। सन् ५२ में जो अधिनियम बना था उसकी धारा ९ में यह अधिकार दिये हुए हैं और समान रूप से छोटे बड़े सभी मकानों के लिये हैं। लेकिन आज जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके लिये तो इजेक्टमेंट आर्डर्स के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज स्टे आर्डर्स दे सकता है लेकिन छोटी बिल्डिंग्स के लिये ऐसा अब नहीं रखा गया है। पहले गरीब और अमीर जो भी व्यक्ति हो सब की समान रूप से रक्षा होती थी। लेकिन अब यह अधिकार गरीबों से छीन लिया गया है। मैं समझता हूं जब कोई डिस्प्यूट हो दो पार्टीज में, तो यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को रहना ही चाहिये लेकिन अब आप देखेंगे कि जो अधिकार इस प्रकार का मूल अधिनियम में दिया हुआ था वह छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स के लिये हटा लिया गया। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज को अगर यह अधिकार ही न होता कि वह किसी के खिलाफ किसी भी मकान के इजेक्टमेंट आर्डर्स के खिलाफ स्टे आर्डर्स दे सकता, तब तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन बड़ी-बड़ी इमारतों के लिए स्टे आर्डर्स लोग ले सकते हैं और उनकी बेदखली रोकी जा सकती है पर जो छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बेदखली निश्चित ही हो जायगी, उसको नहीं रोका

[श्री तेजप्रताप सिंह]

जा सकता जब कि होना यह चाहिए था कि जो छोटे टेनेन्ट्स हैं उनको अधिक सुभीता दिया जाना चाहिये था क्योंकि वह छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स वाले लोग तो गरीब होंगे, उनके साधन कम होंगे और वह जल्दी से कोई रहने के मकान या दूकानों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके साथ तो अधिक सुभीता होना चाहिए था लेकिन यहां उसके बिल्कुल विपरीत व्यवस्था की गई है और उनको स्टेआर्डर्स भी न पाने की बात रखी गई है। इस तरह से तो जो छोटे-छोटे और करीब लोग हैं और जो छोटे स्ट्रक्चर्स या स्टाल्स में रहते हैं उनको यह सुविधा न देकर उनके अधिकारों का हनन किया गया है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह उठती है कि यह जो बिल आप लाए हैं मुझे आशा थी कि पहले आप बतलाते कि सरकार के सामने कौन सी दिक्कतें आईं जिनकी वजह से आप यह तब्दीली करना चाहते हैं? कहां आप को बेदखली कराने में दिक्कत हुई? इससे तो यह प्रकट होता है कि जो छोटे-छोटे स्टाल्स के टेनेन्ट्स हैं उन्हीं की बेदखली कराने में आपको बाधा हुई है, हम जानना चाहते हैं कि कहां ऐसे स्टाल्स लोगों ने लगा रखे हैं जहां आप को दिक्कतें हुई हैं, क्यों दिक्कतें हुईं कैसे हुईं, कहां हुईं यह आप बतलाते तो हम उन को समझ सकते थे और मुमकिन है मान भी सकते थे। जहां आप बिल्डिंग्ज और गवर्नमेंट प्रेमिसेज की परिभाषा को रद्दोबदल कर रहे हैं उसको हम उचित समझ सकते थे लेकिन वह भी समझ में नहीं आता कि इस तब्दीली की क्या जरूरत हुई।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां एक प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड ३ में बढ़ाया गया है वह उसकी स्थगन आज्ञा जारी न कर सकने के बारे में है, उसकी आखिरी २ लाइनों में कहा गया है कि "किन्तु डिस्ट्रिक्ट जज, यदि अपील स्वीकार हो जाय तो, यह आदेश दे सकता है कि बेदखल किए गए व्यक्ति को भूगृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय।" मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज क्या फैसला दे सकता है, इस को हम पहले से नहीं समझ सकते और इसलिए हमें इस चीज को पहले से ही ऐक्ट में नहीं लाना चाहिए, जैसे पहले दिया हुआ था कि वह जो उचित समझे निश्चित कर सकता है, आप तो यहां इस तरह से पहले से ही जजमेंट डिक्टेट कर रहे हैं। जो आर्डर उसको सर्व होगा, उस के विरुद्ध किसी को शिकायत होगी तो वह अपील करेगा और जब जज अपील सुनेगा तो वह उस का फैसला क्या करेगा यह तो आप को जज पर ही छोड़ना चाहिए था लेकिन आप कह रहे हैं कि जज सिर्फ इतना कर सकता है। यह आप देखें कि किसी जज के फैसले के बारे में पहले से ऐसे आदेश रखना कहां तक उचित हो सकता है। वैसे तो यह हो सकता था या होना चाहिए था कि जो गरीब आदमी हैं जो स्टे आर्डर भी नहीं ला सकते और बेदखल हो जायं और जिन्हें कहीं न कहीं खुद अपना ठिकाना लगाना पड़ेगा, उनके बेदखल किए जाने पर उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपील जीत जाता है उस की बेदखली सही नहीं मानी जाती है और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा कहा जाता है कि यह सही नहीं हुआ तो उसको न सिर्फ दखल ही फिर से मिले बल्कि उस बीच के वक्त में जो कुछ उसका खर्च हुआ है दूसरी जगह रहने में वह भी सरकार से दिलाया जाता। लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की गई है और उस को कम्पेनसेशन देने की बात नहीं आई। मैं समझता हूं कि बिल में यही २ धारायें प्रमुख हैं और इन कारणों से यह अनुचित हैं, मैं समझता हूं कि सरकार को इसे वापस ही लेना चाहिए। श्री अवधेश प्रताप सिंह का प्रस्ताव था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। लेकिन वह पेश नहीं हुआ तो कम से कम इसको वापस ही लिया जाय या इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें क्योंकि यह डिसक्रिमिनेटरी है और गरीबों के विपक्ष में है।

*श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी सरकार अध्यादेश द्वारा कोई विधेयक का काम लेती है तो इसका अर्थ समझना चाहिये कि कोई गैर मामूली हालत में सरकार पड़ी हुई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री जी की ओर से जो बात कही गयी उससे कोई बात ऐसी नहीं मालूम हुयी कि सरकार गैर मामूली हालत में थी और इसलिये उसने इस विधेयक के स्थान पर एक अध्यादेश स्थापित किया। मैं सदन के इस हक को मुनासिब समझता हूं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर कौन सी बात थी जिसकी वजह से सरकार ने इसको मंजूर नहीं किया कि सदन आगे बैठने वाला है और उसमें हम इस विधेयक को ले आकर के अपना काम पूरा कर सकते हैं और उसने अध्यादेश जारी किया। शिकायत तो यह भी हो सकती है कि जब कोई विधेयक हमारे सामने इस प्रकार का लाया जाय तो उसके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी जो है वह करायी जाय। जब यह कहा जाता है कि पुराना ऐक्ट जो था वह काफी नहीं था और उसमें निम्न निम्न प्रकार से संशोधन कर देना आवश्यक है तो वह नाकाफी क्यों था क्या यह जानने का हक सदन को नहीं है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर इंचार्ज को कम से कम इस बात के लिये तैयार हो कर आना चाहिये कि वह सदन को उन सारी दिक्कतों की जानकारी करायें और फिर सदन से वह इस बात की मांग करे कि वह इस सरकार के विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करे। हम अगर सरकार की इन दिक्कतों को सुनने का मौका पा सकें तो मैं समझता हूं कि यह कठिनाई कम हो सकती है। अब हम अंधेरे में टटोलने के लिये इस वक्त आजाद हैं कि सरकार के सामने क्या-क्या कठिनाइयां आयीं। हमारे सामने जो बातें आती हैं उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं और अध्यक्ष महोदय, जो इसके उद्देश्य में यह बतलाया गया है कि शब्द 'भूगृहादि' की परिभाषा के अन्तर्गत लकड़ी की छोटी दुकानें (वुडेन स्टाल) खुले हुये छोटे खेमों आदि निर्माणों का सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो गया है, जिससे कि ये छोटी दुकाने तथा खुले हुये खेमे आदि उन व्यक्तियों से खाली कराये जा सकें, जो कि उन पर अनधिकृत रूप से अपना कब्जा बनाये हुये हैं।" मालूम नहीं १९४७ से कितना जमाना गुजर चुका। अब आठ वर्ष के बाद इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि वह काठवाले झोंपड़ों और खेमों में बैठे लोगों को बेदखल किया जा सके। मुझे अगर यह बात मालूम होती तो मैं सदन का तो शायद वक्त जाया न करता। लेकिन मुझे जो जानकारी है वह श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जरूर रखना चाहता हूं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि जो मकानात सरकार ने बनवाये हैं उन मकानात की ऐसी अवस्था है और इस प्रकार का किराया है कि वह न तो हाइजीनिक प्वाइंट आफ व्यु से और न आर्थिक दृष्टि से, वह जिन लोगों को उन काठ के झोंपड़ों से निकालना चाहती है, वह उनको अनुकूल नहीं पड़ते हैं जो ये नये मकानात बनाये गये हैं सरकार की तरफ से। उनको उन मकानात से काठ के झोंपड़े ज्यादा अनुकूल पड़ते हैं। इसलिये वे काठ के झोंपड़ों में और खेमों में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं, लेकिन उन मकानात में जाना पसन्द नहीं करते हैं। मैंने कुछ मकानात को जा कर देखा है। हमारे राजस्व और परिवहन मंत्री जी बैठे हुये हैं। उनके इलाके में अभी मैं थोड़े दिन हुये गया था। उरई स्टेशन के पास लाखों रुपया सरकार ने शरणार्थी भाइयों के मकानों पर खर्च किया है। लेकिन वे मकान सबके सब खाली हैं। उन मकानों में एक आदमी भी, कोई शरणार्थी आज कल नहीं रह रहा है।

श्री अध्यक्ष--मालूम होता है कि उरई वाले उप-मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह--असल में अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जानबूझ करके आदमी नहीं सुनता है। तो हमको ऐसा लगता है कि उसको वह अनसुनी कर रहे हैं उप-मंत्री जी। क्योंकि बात सच्ची है और उनको भी शिकायत कई बार हुई होगी, उन्होंने डिपार्टमेंट को लिखा पढ़ी की होगी। लेकिन अब चूंकि यह बात यहां आ रही है इसलिये उसको अनसुनी कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिर उन मकानों में क्यों नहीं लोग रह रहे हैं। क्या वजह है, कई वर्षों से मकान खाली हैं, लाखों रुपया सरकार का खर्च हुआ है, वे मकान कुछ दिनों में बे मरम्मत हो कर गिरेंगे। तो सरकार का पैसा बरबाद हुआ और कोई रहने वाला न हो, आखिर क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय, उरई तो दूर है मैं अब बहुत ही नजदीक पड़ोस की बात कहना चाहता हूं। लाल बाग में भोपाल हाउस के नाम से एक इमारत बनी, काफी बड़ी इमारत है और उस इमारत के सम्बन्ध में उसके निवासी जो हैं उनमें और म्यूनिसिपल बोर्ड से और सरकार से इस कदर लिखा पढ़ी हुयी है कि जिससे सरकार भी परेशान है और निवासी भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूं। दर्जनों मर्तबा वह हमारे पास आये कि भाई तुम तो हमारी खोज खबर लो। हम कहते हैं कि तुम्हारा लखनऊ का मामला है तुम अपनी ताकत भर जितना हो सके अनुनय विनय सब कुछ कर लो। तो आज उन्होंने मुझसे आकर कह दिया कि भाई मुझसे कुछ नहीं बनता। मेरे मन में एक बात आयी कि भू-गृहादि के सम्बन्ध में नियम आने वाला है मैंने सोचा कि इस मौके पर सरकार का ध्यान दिलाऊं तो कुछ भला हो सके। अब वह उस मकान में नहीं रहना चाहते, वह खेमों में रह लेना पसन्द करते हैं लेकिन उसमें रहना पसन्द नहीं करते इसलिये कि वह कहते हैं कि क्योंकि किराया इसका साधारण तौर पर जो दुकानें दूसरी हैं उनसे ज्यादा है और उसका कारण उन्होंने बताया कि जो ढाई रुपया पर हुंडरवेट पर लोहा उन्होंने नीलाम में खरीदा म्युनिसिपल बोर्ड ने उसको २५ रुपया मन पर ठेकेदार को दिया और ४ रु० १३ आने मन सीमेंट खरीदा वह ६ रु० मन ठेकेदार को दिया और यह बीच वाली रकम जो है वह जितनी आयी वह मिसलेनियस करके जमा कर ली अपने यहां। अब यह सारी रकम अध्यक्ष महोदय, मकान की कीमत हो गयी और मकान की कीमत हो जाने की वजह से वह कहते हैं कि हमको ८ परसेंट किराये की शकल में दो। वह शरणार्थी भाई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे लिये तो मेहर चन्द खन्ना साहब ने नियम बना दिया है और दिल्ली के रिफ्यूजीज के मिलने पर कहा था कि सारे हिन्दुस्तान की स्टेट गवर्नमेंट को यह डायरेक्ट कर रहे हैं कि वे कभी भी साढ़े तीन परसेंट से ज्यादा किराया न लें मकान की लागत का। अब साढ़े तीन परसेंट किराया दिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि तुम ८ परसेंट दो, दुगने से भी ज्यादा तो उनको बहुत खलता है। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और भी बहुत शिकायतें हैं जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। पेड़ काट लेना, बरामदे न दुरुस्त कराना, यह सब शिकायतें तो हैं ही उनको जिससे मकान में रहने में दिक्कत खड़ी हो सकें। तो यह दिक्कत उनके सामने है। अब अगर वह कहते हैं, उन्होंने यह भी कहा, गवर्नमेंट को लिखा कि हम इसकी मालगुजारी नहीं देंगे और कुछ दिनों तक उन्होंने मालगुजारी रोक रखी, अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या होता है, जो हमारा अधिनियम है मूल, उस अधिनियम के मुताबिक छठवीं धारा देखेंगे तो उसमें यह है कि अगर कोई आदमी इस तरह से बकाया रखे तो बकाया रखने वाला आदमी अपने इस अधिकार से हाथ धो बैठेगा कि वह उस मकान में बना रहे। वह बगैर उस हक के मकान में रहा हुआ माना जायगा और फिर उसके बाद सातवीं धारा में उसको निकाल देने का अख्तियार सरकार को है। तो यह सारी मुसीबतें तो आसकती थीं सामने और आ ही सकती हैं, ऐसी मुसीबतें आ रही हैं क्योंकि एफिश्येंटली जो काम करना चाहिये, सरकार को, वह सरकार नहीं करती है। हम अगर उन्हीं चीजों की देखभाल करें, किफायतशारी से करें, जो नियम है, ४ रु० १३ आने मन सीमेंट मिलती है तो क्यों ६ रुपये मन जो सीमेंट उसमें लगायी जाय उसकी कीमत रखी जाय, ढाई रुपये पर हुंडरवेट लोहा लिया गया तो क्यों उसकी कीमत २५ रुपया रखी गयी ? अगर सही रकम रखी जाती कुदरती तौर पर जो कीमत हुयी वह रखी जाती तो उसकी कीमत कम आती और फिर आठ परसेंट भी जोड़ा जाता, यह आठ परसेंट और साढ़े तीन परसेंट का भेद होते हुए भी, तो भी किराया कम आता। तो मूल बातों की ओर तो माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने और माननीय नारायण दत्त जी ने ध्यान दिलाया है सरकार का लेकिन मैं तो इस ओर ध्यान दिला रहा हूं। यह जो

एक वास्तविक दिक्कत है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट समय और लेना चाहूंगा । मैं पिछले वर्षों में तराई के इलाके में गया था । शरणार्थियों के जो मकान वहां पर बने हुये हैं ऐक्चुअली इसी तरह से मैंने देखा, एक तरफ अभी वह पूरा मकान किया हुआ नहीं कहा जाता है कागज में और दूसरी तरफ उसकी छत जमीन पर, और मैं अकेले नहीं था, नारायणदत्त जी भी मौजूद थे, मैंने कहा भाई किसी मिनिस्टर साहब को लाकर यहां दिखाओ कि मकान तैयार नहीं और छत जमीन पर । लकड़ी कैसी लगायी गयी थी अध्यक्ष महोदय, जो लकड़ी हम लोग किसी भी हालत में साधारण बुद्धि वाले भी कभी छत की शहतीर के काम में नहीं ला सकते । अब उनकी छत की शहतीर में इतनी कच्ची लकड़ी लगा दी गयी है और ऊपर से मिट्टी डाल दी गयी है, पानी पड़ा और एक वर्ष में ही सड़कर वह लकड़ी नीचे आ जाती है । अब उनके लिये यह था कि १८ वर्ष में तुमको पूरी कीमत देनी पड़ेगी । पूरी कीमत १८ हजार हो या जो कुछ भी हो १८ वर्ष में, १८ हिस्सों में उनको देनी है । तो मैं इस बात की ओर खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां हम सख्ती के लिये कोई कानून बनायें वहां सख्ती की क्यों जरूरत पड़ रही है इस पर भी गौर क्यों न करें । हम नहीं चाहते कि सख्ती हम करें । डेमोक्रेसी में हम समझते हैं आज शरणार्थियों की आवश्यकता सरकार को नहीं है क्या ? है आवश्यकता । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कभी उनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश की । अध्यक्ष महोदय, कभी मैं आपके पास उन्हें अपनी शिकायतें सुनाने के लिये भेज दूंगा । ऐड-मिनिस्ट्रेटर साहब यह उनसे कहते हैं कि तुम्हारे जी में जो आवे सो तुम कर लो, हम नहीं सुनते तुम्हारी बात । फिर वह दौड़ते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास और सबके पास । माना मैंने कि उनकी कुछ बातें ऐसी हों कि जिन बातों को कसौटी पर तौला जाय तो शायद सही न निकलें लेकिन ढाई रुपये की जगह २५ रुपया दिखाया जाय और ४ रु० १३ आने की जगह ६ रुपया दिखाया जाय वह तो ऐसी शिकायतें हैं कि जिनकी सफाई सरकार को देनी चाहिये और म्युनिसपल बोर्ड को देनी चाहिये । अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी सख्ती वाले कदम को उठाने के पहले दस मर्तबे कम से कम सोचना चाहिये कि इस सख्ती के कदम के उठाने की जरूरत है या नहीं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने है मैं उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं । सन् ५२ से लेकर अबतक हमारे प्रदेश में लाखों रिफ्यूजी आये, उनको शरण दी गयी, रहने के लिये मकान और दुकानें दी गयी हैं। जायज और नाजायज उचित और अनुचित जहां भी उन्होंने चाहा, अपनी दुकानें खोल लीं । आज सड़कों पर जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है । मैं आज गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा और हाउस के आनरेबिल मेम्बरों से भी कहना चाहता हूं कि पारसाल से सड़कें इतनी कंजेस्टेड हैं कि कोई अधिकारियों के आदेश को मानने वाला नहीं है । पारसाल किसान हायर सेकेंडरी स्कूल बस्ती के एक अध्यापक अपने भाई के साथ आ रहे थे । भीड़ इतनी ज्यादा थी सड़क पर कि दोनों भाई मोटर के नीचे आये और मर गये, महज सड़क पर भीड़ होने के कारण जो इधर-उधर दुकानें खोल लीं गयी हैं । तो इस चीज के लिये गवर्नमेंट के पास ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसके जरिये से इन को रोके । ये जो झोपड़ियां और हट्स बना लेते हैं, तख्त लगा लेते हैं गवर्नमेंट के पास इनको हटाने का अख्तियार नहीं है । इसलिये गवर्नमेंट को आवश्यकता हुयी कि इस बिल को हाउस में लाकर पास कराये ।

हमारे मित्र ने कहा कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के माने एक दम, फ्रीडम के नहीं हैं कि कोई आदमी ला एंड आर्डर को मेन्टेन न करे । इस समय अनुशासन-हीनता की तो चर्चा होती है अब अराजकता की भी होने लगेगी । इसलिये आवश्यकता थी ऐसे कानून की । यह अवश्य है कि ऐसे लोगों को बसाने की सरकार की जिम्मेदारी है । सरकार ने कुछ दूकानें बनवाई है अब चाहिये कि लखनऊ में जो ऐसी दूकानें बनी हैं उनमें वह शिफ्ट हो जायं । इसके अलावा कुछ सरकारी इमारतें ऐसी हैं, जैसा कि गेंदा सिंह ने कहा कि वह गिर जाती हैं ।

[श्री शिवनारायण]

यह सही है कि वह गिर जाती हैं और उनको देखने भालने वाला कोई नहीं है। हमारे सामने दीवानी कचहरी की इमारत गिर गयी और जज साहबान और मुवक्किल लोग बाल-बाल बच गये। यह पी० डब्लू० डी० वाले न जाने कहां सो जाते हैं, जिनको इस बात का भी पता नहीं है कि एक मकान की कितनी लाइफ है और कितने वर्ष तक की उसकी वैल्यू है। तो मैं हाउस में यह बतलाना चाहता हूं कि हम वक्त बेवक्त गवर्नमेंट को इनफार्म करते रहते हैं कि जो हमारी इमारतें हैं और मकान हैं उनकी देखभाल करें। दूसरी बात मान्यवर यह है कि बहुत लोग मकान इसलिये नहीं छोड़ना चाहते कि जहां पहले २ रुपये उसका किराया था जोकि चला आ रहा है, आज के हिसाब से १०–१२ रुपया है। गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स और टैक्सेशन करना पड़ता है और वह आमदनी सरकार की मानी जाती है : इसलिये सरकार ने सोचा कि हम अपने अधिकार को इस बिल के जरिये से लें जिससे जनतंत्र में किसी को हानि न पहुंचे। इसलिये इसको रख रहे हैं, कोई जबरदस्ती और ज्यादती नहीं है। कानून मुनासिब है और सही माने में दुरुस्त है। इसलिये मैं समर्थन करता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं इस बिल का स्वागत और समर्थन करता हूं, लेकिन एक शरणार्थी परिवार का अंग होने के नाते जो बातें इस भवन में कही गयी हैं उन पर कुछ विशेषता से कहना चाहता हूं। मेरे इलाके में सहारनपुर, रुड़की, हरद्वार में यह सही है कि सन् ४७ से अब तक आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां कि शरणार्थी भाइयों ने कठघरे बनाये और दुकानें खोलीं और उससे ट्रैफिक को, आने जाने वालों को दिक्कतें भी हुयी थीं, लेकिन पिछले ७–८ वर्ष में उनमें से बहुत से स्थान खाली हो चुके हैं और बहुत सी सुविधायें हो गयी हैं। आज भी ऐसे स्थान हैं जहां कि ट्रैफिक को दिक्कत होती है और वह दूर होनी चाहिये, इस लिहाज से अगर यह बिल लाया जाता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये, लेकिन जैसे कि मेरे से पहले शिवनरायण जी ने कहा, ऐसा जरूर होना चाहिये कि जिनको हम हटाते हैं उनको बसाने का प्रबंध हम कर लें, तो हटायें। मेरे से पहले गेंदा सिंह जी ने भूपाल हाउस की बात कही। हमारे भी कुछ मित्र उसमें रहते हैं और वह अपनी दिक्कतें बताते हैं। इसी प्रकार अमीनाबाद में बहुत से कठघरे और दुकानें बनी हुयी हैं उन्हें भी हटाने का बार-बार प्रयत्न किया गया। म्यूनिसिपैलिटी उनको नोटिस देती है लेकिन यह सोचना चाहिये कि जो दुकानदार अमीनाबाद में कमा सकते हैं वे दूसरी जगह कुछ कमा भी सकेंगे या नहीं। इसलिये वे यह नहीं चाहेंगे कि किसी भी जगह बनी हुयी दुकानों में वे चले जावें। मेरे से पहले वक्ता ने उरई में खाली मकानों के बारे में कहा है। यह अवश्य है कि सन् ४७–४८ में शरणार्थियों के लिये खराब मकान बने क्योंकि वे जल्दी में बनाये गये थे और उनमें आंधी पानी की दिक्कत हो सकती थी। लेकिन पिछले ३ या ४ सालों में जो मकान बनाये जा रहे हैं वे अच्छे बने हैं और उन्हें शरणार्थी खुशी से लेते हैं। कुछ इसलिये भी लेते हैं कि जो मुआविजा सरकार ने उनके लिये मंजूर किया है उसमें यह तय किया है कि ४ हजार की रकम से ज्यादा नकद नहीं मिलेगी और उससे ऊपर के लिये ये क्वार्टर लेने होंगे। सहारनपुर रुड़की वगैरह में जो मकान बने हैं उनमें कोई भी खाली नहीं है। वहां लोग मकान लेने की होड़ में रहते हैं और पश्चिमी जिलों में जहां पंजाबी अधिक सख्या में आये हैं कोई मकान खाली नहीं है। अगर कोई मकान खाली होता है तो उसके लिये ५-७ उम्मीदवार होते हैं। लेकिन ऐसी भी बस्तियां हैं जहां शरणार्थियों की दिक्कतें पहले जैसी हैं। हरिद्वार में अभी अर्धकुम्भी के पहले लकड़ी के स्टाल सड़कों पर थे लेकिन अभी मेले से पहले सरकार ने समझदारी बरती और पक्की दुकानें बना दीं। आज वहां रास्ता भी साफ है और इसी प्रकार दूसरे शहरों में भी किया जा सकता है। यह कहना कि यह कानून नहीं होना चाहिये, मेरी समझ में नहीं आता। इस कानून के साथ यह भी होना चाहिये कि हटाने से पहले उन लोगों के लिये कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिये नहीं तो वे फिर शरणार्थी हो जावेंगे। इस प्रकार समस्या पहले से और खराब हो जायगी। यहां वाले तो दूसरी व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन शरणार्थियों के लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको अपने पुराने कष्ट फिर से याद न आजावें।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सदन के हर सम्मानित सदस्य का जो प्रजातन्त्र में विश्वास करता है, जो यह आस्था रखता है कि आज की यह सरकार प्रजातन्त्र के तरीकों पर चल रही है, और जो यह समझता है कि प्रजातन्त्र के तरीकों पर चलने से देश के अवाम को लाभ होगा, उसे यह अधिकार है कि इस बिल का जैसा कि यह है घोर विरोध करे। इसके केवल २, ३ क्लाज हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो क्लाज ३ को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसका प्रतिबन्धात्मक वाक्य इस प्रकार है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध भू-गृहादि, छोटी दूकान (स्टाल), खुला हुआ छोटा खेमा (कियास्क) या इसी प्रकार का अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण हो, तो कोई भी ऐसी स्थगन-आज्ञा जारी नहीं की जायगी, किन्तु डिस्ट्रिक्ट जज, यदि अपील स्वीकार हो जाय तो यह आदेश दे सकता है कि बेदखल किये गये व्यक्ति को भू-गृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय।" इसके दो पहलू हैं।

पहला तो यह है कि जज स्टे आर्डर नहीं कर सकता है। इससे साफ जाहिर है कि यदि सरकार लोअर कोर्ट में गई और उसने उस व्यक्ति के खिलाफ फैसला दिया तो फिर उसका कारण होना चाहिए और यदि यह फैसला हुआ कि उसका बनाया हुआ स्टाल उजाड़ दिया जाय या उस पर कब्जा कर लिया जाय तो फिर उसका पालन होना चाहिए और यदि वह अपील करता है तो जज साहेब स्टे आर्डर नहीं कर सकते हैं और यदि उसकी जीत हुई तो उसे कब्जा दे सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि वह अन्तिम लाइन को स्पष्ट कर दें कि यदि अपील स्वीकार हो जाय तो यह आदेश दे सकता है कि बेदखल किये गये व्यक्ति को भू-गृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय। इसका मतलब क्या यह नहीं है कि अपील स्वीकार होने पर कब्जे के सिवाय कोई भी फैसला डिस्ट्रिक्ट जज उसके हक में नहीं दे सकता। यानी अगर सरकार के रूल्स के खिलाफ किसी आदमी की सम्पत्ति को क्षति पहुंचा है तो क्या डिस्ट्रिक्ट जज को यह अधिकार है या नहीं कि भू-गृहादि पर कब्जा देने के साथ-साथ वह उसके लिए कुछ मुआविजा या हरजाना सरकार पर या जो भी व्यक्ति हो उस पर आरोपित करे? मैं देखता हूं कि सरकार अपने हाथ में ताकत ले रही है कि उस व्यक्ति को केवल कब्जा ही मिले। क्या सदन यह चाहता है कि ऐसा हो? कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, अमूमन ८० फी सदी फैसले सरकार की इच्छा के अनुकूल होते हैं। जिन माननीय सदस्यों का सम्बन्ध लोअर कोर्ट से नहीं रहा हो उन्हें शायद नहीं मालूम हो, लेकिन जो किसानों के बीच में गांवों में काम करते हैं वे जानते हैं कि आज सरकार की इच्छा के अनुकूल ही लोअर कोर्ट में फैसले होते हैं ९० फी सदी। तो क्या हम इस विधेयक से यह चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज भी सरकार की इच्छा के अनुकूल ही चलें? हम केवल ३०, ४० व्यक्ति हैं और जैसा श्री पालीवालजी ने कहा, अधिक संख्या उधर है। अगर आप चाहते हैं कि जनहित का भला हो, समाजवाद स्थापित हो, तो मैं आपके द्वारा आगाह करना चाहता हूं कि यह सदन माननीय मन्त्री जी की नकेल अपने हाथ में पकड़े, नहीं तो आने वाले जमाने में जैसा आपने अब तक देखा कि बहुत से ऐसे विधेयक आये जिनमें सरकार ने ताकत को अपने हाथ में केन्द्रित किया चाहे वह युनिवर्सिटी का विधेयक हो या और कोई हो, यह सरकार हर विधेयक में ताकत को सेन्ट्रलाइज करती चली जायगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को वापस लें और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सदन इसके लिए उन्हें मजबूर करे। जज के ऊपर देश को बड़ा भरोसा है और अगर उसे ठेस पहुंचेगी तो प्रजातन्त्र को बहुत ठेस पहुंचेगी और मेरा दावा है कि न्याय खतरे में पड़ेगा। जब आदमी को यह विश्वास हो जाता है कि उसके लिए न्याय प्राप्त नहीं होगा, तो उसका रास्ता विचित्र ही, अलग ही हो जाता है। इस लिए यह भी एक कारण है इस संशोधन विधेयक के विरोध करने का।

श्रीमन्, जहां तक माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में समझाया, मैंने समझा कि यह मंशा है कि सड़कों पर लोग, मकानों पर, लोग कब्जा कर लेते हैं और फिर घेर बना कर काठ के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

मकान बना कर जमीन घेर लेते हैं। और इस तरह की बात करते हैं कि सरकार के पास कोई ताकत नहीं है कि वह उनसे खाली करा सके। सही माने में श्रीमन् अगर किसी के भी दिल से पूछा जाय तो यह मानने को उधर भी कोई तैयार नहीं है कि इस तरह की ताकत दी जाय।

श्रीमन्, मेरे जिले देवरिया में एक मैजिस्ट्रेट साहब आये उन्होंने आर्डर दे दिया कि तुम लोग मकान बना लो चाहे पटरियों पर लगा लो और वहां पर पान की दुकानें और कपड़े की दुकानें खुल गयीं। उसमें रिफ्यूजीज भी थे और भी बहुत से लोग थे। लेकिन उसके बाद एक दूसरे मैजिस्ट्रेट आये। उन्होंने सिपाहियों को लेकर सब को वहां से उजाड़ना शुरू किया और एक महीने के अन्दर सारी पटरियों को खाली करा दिया और वे बेचारे जो देहात से आये हुए थे रोजी रोटी की तलाश में बेकार हो गये। वे रोजी रोटी की तालाश में शहरों में आते हैं और जब उनकी रोजी रोटी की समस्या नौकरी से हल नहीं होती तो वे पान की दुकान या कोई खोम्चा या छोटी मोटी दुकान ले कर अपनी रोजी चलाते हैं। वे जोर जबर नहीं करते हैं। किसी न किसी के आवश्वासन पर चाहे वह आश्वासन किसी कीमत पर उन्हें मिला हो अपना छोटा मोटा काम करने लगते हैं और दूसरा मैजिस्ट्रेट आकर उसको उजाड़कर खत्म कर देता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि कहीं इस तरह की दुकानें लगी हुई हैं चाहे वह रिफ्यूजीज की हों और चाहे और किसी की हों, तो उनको इस तरह से उजाड़ना उचित नहीं है। अगर किसी को पटरियों पर कहीं कब्जा मिल गया हो या छोटी मोटी दुकान लगा ली हो तो उनके इस प्रकार करने के कारणों में जाना होगा। जब मैं उन कारणों पर जाता हू तो दो तीन कारण समझ में आये और वह यह कि सरकार और सरकार के अधिकारियो की कमजोरी है। जो गांवों में अरक्षा और बेकारी का प्रश्न उठता जा रहा है और इसीलिए गांव का रहने वाला आदमी आज अधिकतर शहरों की तरफ आता जा रहा है। चाहे वह छोटा शहर हो या चाहे बड़ा शहर हो और है भी सुरक्षा शहर में क्योंकि यहां पुलिस है, थाना है, और भी इन्तजाम है। तो शहरों में बढ़ौत्तरी होती जा रही है। पढ़ने वाले विद्यार्थी गांवों में हैं जब शहरों में आ जाते हैं नौकरी की तालाश में तो शहरों में स्थायी बनना उचित समझते हैं और लाभप्रद समझते हैं और फिर नौकरी के अभाव में दुकानें खुलती चली जाती हैं।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि बेकार हुए साहबजादे पान की दुकाने किया करते हैं और इस पूंजीपरस्ती सरकार की नीति के कारण जो मजबूर होकर अपनी छोटी-मोटी पूंजी भी गंवा बैठते हैं चाहे वह बिक्री-कर हो या कोई और कर हो, वह सरकार की धांधागरदी नीति के कारण अपने को बरबाद कर देते हैं और यहां पर लुट जाने के कारण पान की दुकान खोलते हैं या छोटी दुकान लगाते हैं या खोम्चा लगाते हैं तो क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह इस पर विचार करे कि आखिर वह क्यों दुकान लगाते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार और सरकार के कर्मचारियों की कमजोरी के कारण ही पटरियों पर दुकानें लगती हैं या कोई किसी मकान पर कब्जा कर लेता है तो अगर इस तरह की बात है तो पहले सरकार को अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिये और यदि छानबीन करने में सरकार को यह मालूम हो कि सरकार या सरकार के कर्मचारियों की गलती से इस तरह का काम हुआ है तो कम से कम इस तरह की बेदखली कराने वाली नीति को वहां पर छोड़ देना चाहिये। म श्रीमन् समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे। भू-गृहादि की परिभाषा पर माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है मैं ज्यादा अब समय सदन का नहीं लेना चाहता इसलिये आपके द्वारा सदन से अनुरोध करूंगा कि माननीय मन्त्री जी को बाध्य करे कि वह इस बिल को वापस लें।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कुछ समय हुआ जब इस देश का विभाजन हुआ तो देश में कुछ परिस्थितियां पैदा हुईं। लाखों परिवार एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं दस ही मिनट हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव--जी हां ।

श्री अध्यक्ष--तो फिर आप ज्यादा भूमिका न बांधें ।

श्री देवकीनन्दन विभव--बहुत अच्छा, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा । तो कुछ परिस्थितियां पैदा हुईं । उन परिस्थितियों में बड़े नगरों में वह आबादी आयी । ऐसे स्थानों में दुकानों और मकानों की कठिनाई थी । उस समय शासन ने थोड़ा सहानुभूति से व्यवहार कर जैसे भी हुआ उनके रहने के लिये हाउसिंग व्यवस्था की । उस समय बहुत से लोगों ने ऐसे स्थानों पर भी अपनी दुकानें बना लीं, ऐसे स्थानों पर भी कब्जा कर लिया, मुझे मालूम है कि आगरा के अस्पताल के नजदीक ही बहुत सी दुकानें बन गयीं जिससे अस्पताल के रोगियों को बड़ी कठिनाई हुई । उसके बाद और भी शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर बिल्कुल अनअथोराइज्ड कांस्ट्रक्शन्स हुये । उसके बाद आज एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है और जब कि शहरों की आबादी बढ़ रही है और कठिनाइयां बढ़ रही हैं और उनको एक योजना के अनुसार आगे बढ़ने और प्रगति करने की आवश्यकता है ऐसे समय मैं समझता हूं इस विधेयक की अत्यन्त आवश्यकता है कि उन स्थानों को साफ किया जाय, खास तौर से जो शहर की प्रगति में अत्यन्त बाधक हो रहे हैं । सरकार ने इसमें सन्देह नहीं कि ७,८ साल के थोड़े समय में इस समस्या पर काफी काम करने का प्रयत्न किया है ।

हर नगर में कुछ मकानात बने हैं, कुछ योजनायें बनी हैं, कुछ नये-नये बाजार और दुकानें बनी हैं । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब भी हर शहर में ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां पर कि इस तरह के अनअथोराइज्ड कांस्ट्रक्शन्स हैं और शहर की प्रगति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनको साफ किया जाना चाहिये । मेरे ख्याल से जो भाई जनतंत्र के नाम पर यह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिये, चाहे वह शरणार्थी हो चाहे यहां का रहने वाला हो कि वह किसी भी स्थान पर जबर्दस्ती कब्जा कर ले और ८-८ साल तक एक पैसा भी किराया न दे तो ये जनतंत्र के नाम पर एक अनुचित भावना लोगों में पैदा करना है । मैं इस सम्बन्ध में सरकार को दो एक सुझाव देना चाहूंगा । एक तो यह कि इस सम्बन्ध में ऐसे लोगों के लिये मकानात बनाने की जो नीति है उस पर उसको कुछ गम्भीरता से विचार करना चाहिये । मेरे खयाल में जिस प्रकार से मकानात बना दिये जाते हैं और उनको किराये पर उठाने की जिस तरह प्रणाली है उसमें अनेक कठिनाइयां गवर्नमेंट के सामने आने वाली हैं । मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा मकान हैं और जो आगे बनने वाले हैं उनमें भी सरकार हायर पर्चेज सिस्टम को लागू करे । इससे यह होगा कि जिन लोगों को मकान किराये पर दिये हैं उनमें एक जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी । वे उस मकान को अच्छी तरह से रखेंगे । वे समझेंगे कि भविष्य में यह मकान हमारा ही होने वाला है । ऐसा करने से जो बहुत सी समस्यायें पैदा होती हैं, किराया न वसूल होने की, उनको बाहर निकालने की, मेरा ख्याल है कि अगर सरकार इस योजना को कार्यान्वित करे तो ये कठिनाइयां बहुत कम हो जायंगी । साथ ही मैं समझता हूं कि हमारे यहां की जो मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम है उसमें भी सरकार को शरणार्थियों को सुविधा देनी चाहिये । लेकिन अगर कोई मकान बनाना चाहते हैं और २० प्रतिशत लगाने के लिये तैयार हैं तो ऐसे भाइयों को मकान बनाने के लिये ८० प्रतिशत लोन दे दीजिये जैसे कि और लोगों को देते हैं । मेरा ख्याल यह है कि इन शब्दों के बाद यदि सरकार ध्यान देगी तो यह जो विधेयक हम ला रहे हैं और अधिकार दे रहे हैं तो यह समुचित होगा कि जो बिना किराये के ७-८ साल से कब्जा किये हुये हैं उनके लिये मेरा

[श्री देवकीनन्दन विभव]

ख्याल है कि उनको प्रोत्साहन न दिया जाय। उनको कहीं और एकमोडेट होना चाहिये और योजनायें हैं जिनमें वह अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं। इतना कह कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा वित्त मंत्री का नाम पुकारे जाने पर श्री जगन्नाथ मल्ल खड़े हुये तो श्री अध्यक्ष ने कहा कि २.५० पर खत्म होगा।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जो प्रस्ताव पास हुआ था वह ऐसा था कि चार घंटे का समय दोनों को दे दिया जाय। इसलिये यदि किसी में कम समय रह जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---वह तो जब होगा जब इस पर सर्व सम्मति हो। इस विधेयक पर आप ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो इसकी कोई गांरटी नहीं होती कि भाषणों में माननीय सदस्य कितना समय लेंगे। इस पर अधिक समय देने पर भी लोग कहेंगे कि दूसरे विधेयक के लिये दो घंटे चाहिये इस लिये यदि आप चाहते हैं कि इसके लिये समय बढ़ा दिया जाय तो मैं सर्व सम्मति से यह परिवर्तन कर सकूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, दोनों हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---एक खत्म होगा तब दूसरा आयगा। इसलिये यह कर लें कि एक कब खत्म होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मान लीजिये यह चार बजे तक चलता है तो एक घंटा बचता है उसी में इसको खत्म कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष---लेकिन अगर यह ५ बजे तक चला तो दूसरा कैसे होगा ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---दूसरा....

श्री अध्यक्ष---प्रस्तुत विधेयक की समाप्ति के लिए कोई समय निश्चित हो जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल---साढ़े तीन बजे तक इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप यह चाहते है कि साढ़े तीन बजे तक इसको ले लिया जाय, किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

श्री अध्यक्ष---(श्री झारखंडेराय से)अब आप भाषण देंगे सवा दो बजे। सिर्फ मैंने आपको बुला लिया।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। अध्यादेशों के जरिये प्रशासन करने की सरकार की नीति आज के प्रजातांत्रिक युग में किसी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती। विशेषकर एक अध्यादेश की अवधि समाप्ति होने के बाद दूसरा अध्यादेश जारी करना जैसे कि इस विषय में किया गया है और भी अनुचित है। इस विधेयक के स्वीकृत हो जाने के बाद समाज में और खास कर के जो सरकारी स्थानों में मकानात पर कब्जा किये हुए हैं उनमें जो निम्न स्तर के लोग हैं उन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा और वे ही सरकार के विशेषकर के भाजन होंगे।

व्यवहारिक जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं कि जो संपत्ति जीवी वर्ग के लोग हैं, जिनके पांस संपत्ति ज्यादा है, जो पैसे के बल पर न्याय खरीदते हैं या न्याय का मुंह बन्द कर सकते हैं वे आम तौर पर सरकारी कोप से बचते हैं या काफी अरसे तक बचे रहते हैं लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो अदालतों में नहीं जा सकते, जो कि आज के खर्चालू अदालती व्यवस्था के भार को वहन नहीं कर सकते आम तौर पर न्याय से वंचित रहते हैं या उन्हें न्याय बहुत अधिक कीमत चुकाने पर मिलता है। सरकारी नीति जो शरणार्थियों के विषय में रही है उसमें भी हम इस बात का चित्र पाते हैं। लखनऊ में ही अगर हम देखें तो मालूम होगा कि अमीनाबाद की सुन्दरता समाप्त हो गई है इसलिये कि शरणार्थियों की दुकानें उस पार्क में बनी हुई हैं, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक असाधारण स्थिति में लाखों शरणार्थी हमारे देश में आये और वह जहां स्थान पाये बसे। उनको जीवित रहना था और सचमुच हमारे समाज को और इस सरकार को भी उनको जीवित रखना था। ऐसी स्थिति में उनको निकालने की बात उनके स्थानों से तब उचित कही जा सकती है जब कि उनके लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिया गया हो। लेकिन ऐसा प्रबन्ध जिससे वह भूखों मरे या उनकी रोजी छिन जाय, जो दो रोटी उनको मिल रही हैं उससे वह वंचित हों, यह उचित नहीं कहा जा सकता। मिसाल के लिये इसी लखनऊ में अगर हम देखें निशात सिनेमा के सामने, जो शरणार्थियों के मकानात बने हैं या लखनऊ के चौक में जो शरणार्थियों के मकानात सरकार ने निर्मित करायें हैं उनको शरणार्थी आमतौर पर स्लाटर हाउस कहा करते हैं। वहां किसी का कत्ल नहीं होता, कोई वहां मारा नहीं जाता लेकिन उनको वह स्लाटर हाउस इसलिये कहते हैं कि जितने दुकानदार वहां गये उनकी रोजी समाप्त हो गई, उनकी दूकाने टूट गई, उनकी बिक्री करीब-करीब खत्म हो गई और जहां तक मुझे मालूम हो सका है अमीनाबाद से हटी हुई केवल ६ दुकाने ही टिक पाई हैं और बाकी सब खत्म हो गई। स्थिति की इस गम्भीरता को सरकार को अपने ध्यान में रखना चाहिये। जब तक कोई वैकल्पिक प्रबन्ध इस प्रकार की उनकी रोजी चलने के लिये न हो जाय जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके तब तक पुराने स्थानों से उनको हटाना जिन पर वह अभी तक कब्जा किये हुये हैं मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्रीमन्, मुझे एक और जिलों का अनुभव प्रयत्क्ष रूप से है। मैंने देखा है और मेरे पास बहुत सी शिकायतें लिखित और जबानी आयी है कि बलिया के अन्दर जो लोग पटरियों पर दुकाने बनाये हुये थे वह सैकड़ों की तादाद में बनाये हुये थे और वे लोग दुकाने रख कर छोटे-मोटे काम से अपनी जीविका चला रहे थे। लेकिन महमूद बट्ट साहब जिला मजिस्ट्रेट ने आकर उन सबको वहा से हटा दिया। यह जाहिर है कि सड़कें साफ हो गयी, चौड़ी हो गई और हम इसके विरुद्ध नहीं हैं लेकिन क्या सड़कों की सफाई के लये छोटे-मोटे काम करने वाले लोगों को भूखा मारना चाहते हैं ? आपको यह देखना है कि इन दोनों चीजों में से किसको चुनें। यही हम अमीनाबाद में देखते हैं। थोड़ी बहुत दुकान लेकर जो बैठते हैं उनको वहां से हटाना उनकी जीविका का हरण करना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। जब तक उनके लिये जीविकोपार्जन का प्रबन्ध न हो जाय तब तक ऐसा करना अनुचित है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती हैं तो फिर वह जनहित के लिये कार्य नहीं करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में एक और भी खामी दिखाई पड़ती है। इसमें अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में अन्तर किया गया है। जो लोग बड़ी-बड़ी दुकानों पर कब्जा किये हुय हैं, जो बड़े-बड़े सरकारी मकानों पर कब्जा किये हुये हैं और जो सरकार के बड़े स्थानों पर कब्जा किये हुये है, जाहिर है वे समाज के सम्पत्तिजीवी बड़े लोग हैं, उनको नहीं लेकिन जो छोटे दुकानदार है जैसा कि छोटी स्टाल है अथवा खेमे हैं अथवा दुकानें हैं उनकी बेदखली के निर्णय के विरूद्ध अपील में जज उनको मुल्तवी नहीं कर सकता। न्याय से गरीब दुकानदारों को

[श्री झारखंडे राय]

इस विधेयक द्वारा वंचित किया जा रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि यह जो भेद गरीब और अमीर का दिखाया जा रहा है इसमें सरकार की पालिसी सही नहीं है। अमीरों की बात सुनी जाती है। सरकार उनका पालन पोषण करती है और उनकी रक्षा करती है। जो लोग गरीब हैं उनके ऊपर यह सरकार हमला करती है। अगर यह बात न होती तो उस अध्यादेश को रोकने के लिये कार्यवाही होती। आप गरीबों से रोटी छीन लें, यह तो किसी प्रकार से भी न्याय के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसको यही समझ लिया जाय, और इस विधेयक का यही अर्थ है कि अमीनाबाद में या कहीं पर जो छोटी-मोटी दुकानें लगा कर कुछ गरीब अपनी रोटी कमाते हैं उनको निकाल दिया जाय, उनको बेरोजगार कर दिया जाय तो यह उचित नहीं है। हमारे प्रदेश में पहले ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है। अगर सरकार का और बेकारी इस प्रदेश में बढ़ाने का मन्शा नहीं है तो सरकार को इसको वापस लेना चाहिये और इसकी जगह पर ऐसा विधेयक लाया जाय जो अमीर गरीब के भेद को दूर करता हो और जो जज के यहां अपील करने पर मुल्तवी के अधिकार को न छीनता हो और साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था करे कि जब तक सरकार उन दुकानदारों के लिये या ऐसे लोगों के लिये जो सरकारी स्थानों पर कब्जा किये हुये हैं, कोई वैकल्पिक प्रबन्ध न कर लें तब तक उसके लिये इस प्रकार का कानून पास करना उचित नहीं हो सकता।

(कोरम के अभाव में घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारे समाज के ढांचे में यह बात अक्सर दिखाई पड़ती है और आपने भी इसको देखा होगा, हमारे माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी ने भी इसका अनुभव किया होगा कि यदि एक ही अपराध के दो व्यक्ति अपराधी हों एक पैसे वाला है और एक गैर पैसे वाला; तो हमें अनुभव होगा कि पैसे वाले को न्याय आसानी से मिल जाता है अगर पैसे वाला अपराधी है तो वह न्याय दंड के बाहर भी चला जाता है लेकिन गरीब वर्ग समाज की सुविधाओं से भी वंचित रहता है और समाज के कोप का शिकार पहले हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह विधेयक गरीब वर्ग के ऊपर प्रहार है और सरकार को इस प्रहार को वापिस लेना चाहिये। इसी आधार पर मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अदब के साथ वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को वे वापिस ले लें। श्रीमन्, इस विधेयक में सिर्फ दो धाराओं का संशोधन किया गया है तथा जिसके द्वारा मांग की गयी है कि खेने वाले और छोटे-छोटे घर बना कर रहने वाले जो लोग हैं सरकार उनको बेदखल कर सकेगी। दूसरी मांग यह की गयी है कि यदि वह बेदखल हुआ आदमी जिला जज के यहां अपील करे तो जिला जज स्टे आर्डर द्वारा उसको रहने की इजाजत नहीं दे सकता। इस संशोधन विधेयक में इन्हीं दो बातों की मांग की गयी है।

श्रीमन्, सर्वप्रथम तो जो अपने को लोकतंत्र की हामी कहने वाली सरकार है इस सरकार की एक आदत होती चली जा रही है कि सरकार बिना सदन की राय लिये आर्डिनेन्स लगाती चली जा रही है। श्रीमन्, आपको जानकारी होगी कि जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं यह दूसरी बार आर्डिनेन्स के रूप में आया है। मैं इसको लोकतंत्र के विरुद्ध एक कसौटी समझता हूं और इसको बहुत खराब समझता हूं और समझता हूं कि इससे सदन का अपमान

होता है; सदन का जो अधिकार है उसको सरकार सीमित करती चली जा रही है और उसके मानी यह होते है कि हर घंटे पर कोरम की घंटी बजाई जाती है। सरकार का इरादा है कि माननीय सदस्यों को गलत गलत सुविधा प्राप्त कराकर ऐसे जाल में फंसाते चले जाये कि वे सदन के काम में दिलचस्पी न ले सकें। उसी का नतीजा है कि कोरम पूरा नहीं होता है। जब सरकार इस तरह के विधेयक आर्डिनेन्स के जरिये पास कराती चली जाय तो मानी हुई बात है कि लोगों की उपेक्षा होगी। मैं जानना चाहूंगा कि यह आर्डिनेन्स कितने लोगों के लिये लाया गया है। हमारे प्रदेश में दूसरी जगह से आये हुए व्यक्ति है जो घरविहीन हैं रोजीविहीन है और किसी प्रकार से गुजारे के लिये उनके पास साधन नहीं है। ऐसे लोगों के लिये यह बिल लाया गया है या ऐसे लोगों के लिये लाया गया है जिनके पास घर है और रोजी के साधन है? अगर ऐसे लोगों के लिये लिए लाया गया है जिन के पास घर हैं और रोजी के साधन हैं तो वह ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती सरकार के घरों में और खेमों में कबजा करते हैं। ऐसे लोगों को सरकार को जरूर सख्ती से निकालना चाहिये। लेकिन मेरा तो यह ख्याल है कि सरकार ने इस को स्पष्ट नहीं किया और इसलिये ऐसा मालूम होता है कि ऐसे लोगों के लिए नहीं है बल्कि ऐसे लोगों के लिये है कि जो बिना रोजी के है और बिना घरद्वार के हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बिना रोजी के है और बिना घर वाले हैं जब ऐसा कानून लाया गया है तो इस विधेयक को लाने से पहले सरकार को सोचना चाहिये था कि इस बिल के द्वारा उन को बेदखल कर के कहीं न कहीं बैठने की जगह देना पड़ेगी। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग इस सूबे में हजारों परिवार की तादाद में हैं; यदि वह लोग इस बिल के द्वारा बेदखल होगें तो वह आज की गर्मी में, बरसात के महीनों में और जाड़ों में वह कहां रहेंगे और कहां वह रोजी के साधन पैदा करेंगे? इस का सरकार को जवाब देना चाहिये था और मैं समझता हूं कि विधेयक को लाने के पहले सरकार को उन का इन्तजाम करना चाहिये था। यह सरकार वह है जो अपने को गांधी जी के रास्ते पर चलने वाली सरकार कहती है।

दूसरी तरफ आप रूस को देखिए चीन को देखिये और अमरीका को देखिए और वह सरकारें जो अपने को प्रजातन्त्र सरकार नहीं मानतीं और जो अपने को पूंजीवादी और अधिनायकवादी सरकार कहती है वह भी ऐसे लोगों को जो बिना रोजी और घर के हैं उन को बेकारी का भत्ता देती हैं और खाने का इंतजाम करती हैं। लेकिन इस सरकार के जमाने में जिन लोगों के पास रोजी घर द्वार नहीं है उन को मजबूर किया जाता है कि तुम घर को छोड़ो। आगे चलकर अगर नीचे की अदालत उस आदमी को मजबूर करती है घर छोड़ने के लिये तो उसको जाने आगे का अधिकार नहीं है। सरकार कहती है कि अगर वह जज के यहां अपील करता है तो जज को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह बेघर वाले को इजाजत दे सके कि तुम रहो। जब तक फैसला न हो तबतक भी जब रहने की इजाजत न दे कानून के जरिये और यह अदालत उस आदमी के खिलाफ हो, न इस्टे आर्डर देती हो और उस के खिलाफ फैसला भी करती हो तब तो किसी पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है लेकिन सरकार का जज के ऊपर पाबन्दी लगाना कि वह इस्टे आर्डर न दे, मैं समझता हूं यह लोकतन्त्र के बिल्कुल विपरीत है और ऐसा करना इस देश की सरकार के लिए कलंक की बात होगी और इस क्लाज को बिल्कुल हटा देना चाहिये। जज को इसमें स्वतन्त्र फैसला देने का अधिकार होना चाहिये। ऐसा प्रतिबन्ध लगाकर तो सरकार अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रही है। मैं समझता हूं कि सदन में इस प्रकार

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

का बिल लाकर सदन का अपमान किया जा रहा है। इन्हीं २ बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सरकार ऐसे लोगों को बेदखल कराना चाहती है। उनके जिम्मे कितना किरांया बाकी है? और दूसरी बात यह है कि इस खंड ३ में जो कहा गया है, जज को अधिकार नहीं दिया गया है उसको वापस लें। इन दो बातों की हमारी इच्छा है और यदि यह काम हो सकेगा तभी मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो न्याय चाहते हैं अदालतों में जा कर न्याय चाहते हैं कि अदालतें स्वतन्त्र भावना से फैसला करें, उनको छूट मिल सकेगी। मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि उन कष्टों को दूर करने की झलक दिखलाई देती है जिसके लिए शहरों में रहने वाली गरीब जनता जिन से पीड़ित है। अभी हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों ने जो गरीबों के उदाहरण दिए .....

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा हुआ।)

श्री हरिसिंह—इस विधेयक का अभिप्राय यह नहीं है कि किसी शरणार्थी से हो या किसी गरीब से हो। बल्कि इस विधेयक का अभिप्राय यह है कि जिसने अभी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है अपना अधिकार कर लिया है उस जमीन से सरकार बेदखल करके अपने कब्जे में ले ले। जिस शक्तिशाली मनुष्य ने सरकारी बिल्डिंग पर अधिकार जमा लिया है या उसका किराया नहीं देता उनको वह बेदखल करके उन बिल्डिंगों को वापस ले ले। मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रान्त के किसी शहर में मेरे साथी बताने की कोशिश करेंगे कि कितने गरीबों की झोपड़ी सरकारी जमीनों पर पड़ी हुई है जिन पर कि गरीब बसे हुए हैं। एक भी उदाहरण कदापि इस प्रान्त के किसी शहर में नहीं होगा। गरीब चाहे स्वयं एक ही झोपड़ी बना करके रहते हों लेकिन वह अपनी झोपड़ी में रहते हैं। पर, मित्रों, इस प्रान्त के निवासियों का यह दुर्भाग्य है कि उस गरीब को ओट ले कर लोग अपना उल्लू सीधा करने की भावनाएं रहती हैं और वही भावनाएं आज इस हाउस में प्रगट की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी बिल्डिंग किसी हरिजन के पास है। एक भी बिल्डिंग किसी गरीब मजदूर के पास है? जो भी होंगी शक्तिशाली आदमियों और सरमायादारों के पास होंगी और आज उनके उदाहरण मौजूद हैं। उनको बेदखल करने के लिये ही यह विधेयक प्रस्तुत है और इसमें यह कहना कि शरणार्थियों को कानूनों से निकालना है, शरणार्थियों का कोई सम्बन्ध नहीं। चाहे शरणार्थी हों या आपके यहां रहने वाले गरीब लोग हों, जहां तक उनके अनुचित कब्जा करने का प्रश्न है जो भी इस देश में अनुचित लाभ उठाना चाहता है इस प्रान्त में या सरकार की प्रापर्टी अपने अधिकार में लेना चाहता है उसको वंचित रखने के लिये सरकारी जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए यह विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास म्युनिसिपैलिटी या सरकारी मकान और जमीनें हैं, उनका उन पर नाजायज कब्जा है। उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए आपने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। बस सिर्फ गरीबों की दुहाई का सहारा है ताकि प्रचार हो जाय

गरीब आज भी किसी सरकारी जमीन या मकान पर कब्जा किये हुए नहीं है और न उसके जिम्मे सरकारी किराया ही बाकी है। उस बेचारे को सौभाग्य कहां है कि उसको जमीन मिले और उसे बेदखल करने की नौबत आये ?

तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जिस काम को स्वयं करना चाहें उसको करें; इन गरीबों का बहाना न लिया करें। गरीबों के जो शुभचिन्तक हैं वह स्वयं अपने परमार्थ के लिये अपना काम कर रहे हैं। इसका प्रश्न नहीं उठता।

दूसरी बात यह है कि जिन सरकारी जमीनों पर जो जमीन लीज पर दी गई मेरी मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि वे भी उन लीज वाली जमीनों को उन गरीबों को मजदूरों को दें जिनके पास जमीन नहीं है और उनसे वापस लें ले जिनके पास लाखों रुपये की बिल्डिंग शहरों में मौजूद हैं। और उन बिल्डिंगों के रहते हुए भी ऐसी बिल्डिंग मैं आपको बता सकता हूं जो सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। उनका न कुछ इस विधेयक से हो पाता है और न कोई कार्यवाही की जाती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसी सरकारी बिल्डिंगें हों जिनका किराया वसूल न हुआ हो और जो ऐसी जमीनें हों जिन पर शक्तिशाली लोगों ने अधिकार कर रखा हो उनसे तुरन्त ले ली जायें और उन लोगों को उनसे वंचित कर दिया जावे।

दूसरा निवेदन यह है कि जो प्लाट पड़े हुए हैं, बेकार जमीनें शहरों में पड़ी हुई हैं, लोगों के रहने के लिये जगह नहीं है तो ऐसी जमीनों पर गरीब लोगों को बसायें और उन शरणार्थियों के बाजार हों जिनका जिक्र मेरे मित्र कर रहे थे। लेकिन होता उल्टा है। जिन गरीबों की जमीनें उनके पास में होती हैं उन्हीं की जमीन ली जाती है और जो वाकई में शक्तिशाली लोग कब्जा किये हुए हैं, उनका कुछ नहीं होता। मेरा कहना है कि हर शहर में प्लाट पड़े हुए हैं जो १० रु० १५ रु० फी गज के हिसाब से बिकते हैं, वे गरीबों को दिये जायं ताकि उनके कष्ट दूर हों और वह आनन्दपूर्वक रह सकें और उनकी जो पीड़ा है जमीन न होने के कारण, मकान न होने के कारण यह दूर नहीं होती है।

इसके अलावा एक बात यह है कि जहां तक मकानों का प्रश्न है, जो बिल्डिंग सरकार की दूसरे लोगों के पास हैं वे या तो आप अपने आफिसेज के काम में बेदखल करके लायें या उन गरीबों को दी जायं जिनके पास मकान नहीं है। तो मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि यह जो विधेयक है यह बहुत अच्छा और जनहित के लिये है। मैं तो हृदय से यह चाहता हूं कि ऐसे विधेयक अगर आवें तो जो एक जटिल समस्या खड़ी हो गई है, गरीबों की जमीन छीन करके अमीर लोग अपने अधिकार में कर लेते हैं और जो गरीबों की जमीन पास में होती है उन्हें बेदखल कर देते हैं, इसको हल कर सकते हैं और इस तरह से जो मकानों की तथा दूकानों की समस्या है उसको हल करें। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इधर सरकार की कुछ आदत सी पड़ गयी है कि वह आर्डिनेंस के द्वारा बहुत सी चीजें कर लेती है जबकि यह सरकार को मालूम रहता है कि सदन तुरन्त ही बैठने वाला है। सेल्स टैक्स आर्डिनेंस इसी तरह से लाया गया, यूनिवर्सिटी वाला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

आर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद यह आर्डिनेंस भी लाया गया। मैं नहीं समझता कि जब तुरन्त ही सदन बैठने वाला था तो इस आर्डिनेंस को दो दिन के लिये लाने की क्या जरूरत थी। २ को सदन बैठने वाला था और जिस वक्त सेल्स टैक्स आर्डिनेंस चला, जहां तक मेरी जानकारी है, उसी वक्त यह आर्डिनेंस भी गवर्नर महोदय ने जारी कर दिया। तो २ दिन में कौन सी गड़बड़ी हो जा रही थी, कौन जज साहब अपना फैसला देने जा रहे थे, और कहां स्टे आर्डर देने जा रहे थे, यह मेरी समझ में नहीं आया जिसकी वजह से आर्डिनेंस ले आने की जरूरत सरकार को महसूस हुयी। यह मंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में बताने की कृपा नहीं की। यह बहुत गलत सी चीज है। आर्डिनेंस तो ऐसे वक्तों में लाया जाता है जबकि कोई चारा न रह जाय, एक बहुत भीषण परिस्थिति पैदा हो जाय। तो फिर आर्डिनेंस का निकालना उस वक्त जरूरी हो सकता है। लेकिन छोटी-छोटी चीजों को लेकर जिसमें कि मैं समझता हूं कि कोई इतनी जल्दी नहीं, कोई इतनी ऐसी बात नहीं पैदा हो गयी, कोई ऐसी भीषण परिस्थिति पैदा नहीं हो गयी कि अगर्चे आर्डिनेंस न निकाला जाय तो उससे काम खराब हो जाय या बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जायं। तो ऐसे समय में आर्डिनेंस का निकालना मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात है और इस सदन के जो अख्तियार हैं उनको एक तरह से छीनना सा है। श्रीमन्, मैं तो समझता हूं कि अगर्चे इसको सरकार को लेना था तो जब २ अप्रैल को यह सदन बैठा तो लाये होते। दो तीन दिन के अन्दर मैं समझता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होती कि जिसके कारण यह आर्डिनेंस लाया जाता क्योंकि इसमें महज तीन क्लाज में अमेंडमेंट किया गया है, एक तो परिभाषा में, दूसरा वह जो जज को अख्तियार था कि वह स्टे दे सके वहां पर है और उसके बाद जो आर्डर्स हों उनको एग्जिक्यूट करने में, यही तीन इसमें मेन चीजें हैं जिनके ऊपर कि यह विधेयक है और जिनके लिये आर्डिनेंस लाया गया। मैं तो नहीं समझता था और अब भी नहीं समझता हूं कि इस तरह से आर्डिनेंस लाने की कोई जरूरत थी।

जहां तक परिभाषा का सवाल है, परिभाषा में जहां तक मूल अधिनियम था, श्रीमन्, उसमें ऐसा था कि सरकारी भू-गृहादि का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो या जिसे राज्य सरकार ने पट्टे पर लिया हो अथवा अधिकृत किया हो और जो विधेयक में है उसमें कुछ बहुत ज्यादा परिभाषा तो है नहीं। सरकारी भू-गृहादि का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो, उसके स्वामित्व में हो, उसके पास हो, या जिसे उसने अधिगृहीत किया हो या पट्टे पर लिया हो। इसमें, श्रीमन, कोई फर्क तो है नहीं। पता नहीं इसमें क्या फर्क सरकार ने समझा। जो उसका तात्पर्य है वही इसका तात्पर्य भी है। वही इससे भी मतलब निकलता है। अगर्चे कोई ऐसी चीज थी तो सरकार को बताना चाहिये था कि यह डेफिनीशन जो बदला गया वह किस लिये बदला गया। क्यों बदला माननीय मंत्री जी ने? इस पर कोई रोशनी उन्होंने नहीं डाली। हां, उसके बाद इसमें जो स्पष्टीकरण जोड़ा गया वह ठीक है। उसमें स्टाल वगैरह के बारे में जोड़ दिया गया है। लेकिन फिर भी सरकार के कब्जे में जो चीजें हैं चाहे वह स्टाल हो, चाहे दुकान हो, चाहे छोटा मकान हो, वह तो एक ही चीजें हैं। फिर मैं नहीं समझता कि इसकी क्या जरूरत थी। यह जोड़ दिया गया कि कोई छोटी दूकान, स्टाल खुला हुआ छोटा खेमा या अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण चाहे वह लकड़ी का बना हो या अन्य किसी सामग्री का, और जो इस रूप में प्रयुक्त होता हो अथवा प्रयुक्त होने के लिये अभिप्रेत हो, इस खंड के अर्थ में भवन है। यह तो भवन की परिभाषा में जो पहले था उसी में आ जाता है। माननीय मंत्री जी जब जवाब देने खड़े होंगे तो मैं चाहूंगा कि इसको स्पष्ट करने की कृपा करें कि यह कैसे जो मकानों की परिभाषा थी उसमें नहीं आता था। यह तो जहां तक परिभाषा का सवाल है वह यह है। लेकिन, श्रीमन्, जो खंड ३ में लाया गया है इसका मैं घोर विरोध करता हूं और उसके कई कारण हैं। वह इसलिये कि इसमें सरकार ने वह अधिकार इस विधेयक द्वारा छीने हैं जिसके द्वारा कोई आदमी जो आज्ञा दी गयी हो उसके खिलाफ अगर्चे उसको कोई एतराज हो तो वह जज साहब के पास जाय और उनके यहां उसकी अपील करे और अपील करने के बाद जज साहब को मूल अधिनियम

के अनुसार यह अधिकार हासिल था कि वह यह कह सके कि जब तक कि प्रोसीडिंग कोर्ट में चलती है तब तक वह स्टे रहेगा यानी स्टे आर्डर देने का उनको अधिकार था। वह स्टे आर्डर, श्रीमन्, इस विधेयक द्वारा छीना जा रहा है और वह किस पर ? कोई बड़ी दुकान हो उसके ऊपर नहीं श्रीमन्, वह खाली उन्हीं दुकानों पर कोई खेमा हो, या छोटी दुकान हो लकड़ी की या छोटी इमारत हो उसी पर। और यह नहीं कि कोई बड़ा मकान या दुकान अगर सरकार की है तो उस पर वह लागू होगा, या कोई मकान है सरकार का उस पर लागू होगा, बल्कि खाली जो गुमटियां हैं, खेमे हैं या छोटे पक्के लकड़ी के मकान या दूकान हैं उस पर यह लागू होगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि इससे गरीबों का कोई सम्बन्ध नहीं है, पर मैं तो समझता हूं कि इस विधेयक के कारण खाली गरीबों को ही नुकसान होने जा रहा है। जो बड़े लोग हैं, जबरदस्ती कब्जा किये हुये हैं उनको इस्टे आर्डर मिल जायगा, लेकिन जो खेमेवाले या गुमटी वाले हैं वह उस अधिकार से वंचित रहेंगे। यही क्लाज था मूल अधिनियम में जिसके द्वारा जो अधिकारी था जोकि यह कह सकता था कि तुमने गलत तरीके से इस गुमटी पर अपना कब्जा बना रखा है और तुम इसमें से निकल जाओ, उसको रोकने के लिये यह प्राविजन था। वह जल्दी इस किस्म का गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह इस बात को समझता कि कानून के मुताबिक अगर्चे हम किसी को आज्ञा देते हैं कि तुम इस गुमटी को छोड़ दो तो वह जज साहब के पास अपील कर सकता है और जज साहब उसको स्टे आर्डर्स दे सकते हैं। यह क्लाज होने के कारण कोई अधिकारी ऐसा काम न करे उसके लिये एक क्लाज रखा गया था, लेकिन आज यह सरकार उस इलाज को भी खत्म कर रही है। अब तो सरकार यह चाहती है कि जो अधिकारी हो वह मनमानी कार्यवाही करे। मान लीजिये, श्रीमन्, कि कोई आदमी है। वह अपनी छोटी सी गुमटी रखता है और किसी अपने भाई या नौकर को ही बैठा देता है और अधिकारी उससे नाराज है तो वह कह देगा कि तुमने यह सबलेट कर दिया इस गुमटी को लिहाजा हम तुमको हटा देते हैं। अब वह साबित करता फिरे कि मैंने सबलेट नहीं किया है, मैंने इसको नौकर रखा है वह परेशानी में पड़े और वह उस मकान से बेदखल कर दिया जाय। जज साहब के पास अपील करे, तब भी वह बेदखल कर दिया जाय। श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि मान लीजिये जज साहब ने कहा कि उनकी आज्ञा रद्द है उस अधिकारी की तो फिर वह गुमटी जो दूसरे को दी जायगी उससे भी खाली कराने में उतनी ही परेशानी की जाय और इस बेचारे को तो वह जो बनी बनायी दुकान है उसको तोड़ने का पूरा प्रबन्ध कर दिया जाय।

मैं समझता हूं कि यह जो धारा रखी गयी है यह प्रजातंत्र के हित में नहीं है। हर कानून में यह धारा है, चाहे कोई कानून ले लीजिये। अगर्चे कोई अपील होती है तो अपिलट अथारिटी को यह अधिकार होता है कि वह स्टे आर्डर दे दे। मैं नहीं समझता कि सरकार को इसमें कौन सी दिक्कत आ गयी कि एक गुमटी वाले के ऊपर इस तरह इसको प्रयोग करने की जरूरत पड़ गयी कि उसको स्टे आर्डर न मिले और कोई उसको निकाल कर बाहर कर दे। यह, श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो समझता हूं कि सरकार को इस किस्म के क्लाज को बतौर इस विधेयक में नहीं लाना चाहिये और यह अधिकार प्रजातंत्र के नाते मैं समझता हूं कि हर एक आदमी को होना चाहिये कि अगर्चे वह अपील करता है और जज साहब इसको समझें कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जज जो होगा वह कोई पागल तो नहीं होगा, उसका दिमाग तो खराब नहीं होगा वह फाइल देखेगा और अगर समझेगा कि स्टे मिलना चाहिये तो स्टे देगा अगर समझता है कि नहीं मिलना चाहिये तो नहीं देगा। बहुत से केसेज में ऐसा होता है कि जज स्टे नहीं देते, वह जरूरत नहीं समझते कि दिया जाय, किसी आदमी ने ठीक काम नहीं किया है इसलिये नहीं देते, लेकिन सरकार को मैं क्या बताऊं ? यह तो तानाशाही मनोवृत्ति है, श्रीमन्, कि किसी की चीज छीन लें और अगर्चे वह अदालत में जाता है तो उसको स्टे का भी अधिकार न रहे। और वह भी जजेज की बुद्धि पर सरकार भरोसा नहीं रखते जिनकी बुद्धि

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

पर हमें भरोसा करना चाहिये और अपनी जुडीशियरी की बुद्धि पर भरोसा किये बिना हमारा प्रजातंत्र ठीक से चल नहीं सकता। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

वित मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के उन सभी सदस्यों का अनुगृहीत हूं जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। करीब ११ सदस्यों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और उनमें से अधिकतर ने स्टे आर्डर्स के विषय में और जो और सैद्धांतिक बातें हैं हेरफेर करके जो इसके चारों तरफ हैं उन्हीं बातों को कहा। किसी सदस्य ने गरीबी और अमीरी के नाम पर बातें कीं, बहुत से सदस्यों ने रिफ्यूजीज का नाम लेकर दुहाई दी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, बहुत से सदस्यों ने न्याय की परम्परा को सामने रखते हुये उसके नाम पर दुहाई दी। मैं तो नहीं समझ सका कि जब से रिफ्यूजीज आये इस सरकार ने उनके लिये क्या क्या नहीं किया तो अब क्या सरकार इस छोटे से विधेयक को लाकर उनकी रोजी को बरबाद करना चाहती है, क्या सरकार उनको वहां से हटाना चाहती है या उनको बेरोजगार करके कोई दूसरी परम्परा कायम करना चाहती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। और इसमें रिफ्यूजीज और नान-रिफ्यूजीज का ज्यादा सम्बन्ध नहीं है। यों तो आगे चलकर मैं इसके विषय में बताऊंगा और जो प्वाइन्ट्स माननीय सदस्यों ने अलग अलग उठाये हैं उनके विषय में कहूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक या दो बातों को ही कहा गया है कि अब तक जो गवर्नमेंट प्रेमिसेज थीं उसकी डेफनीशन बिलकुल क्लियर नहीं थी लिहाजा गवर्नमेंट प्रेमिसेज को ज्यादा व्यापक बनाने के लिये उसमें यह धारायें जोड़ी गयी हैं। इसके बाद एक स्टे आर्डर्स की बात कही गयी।

माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने यह कहा कि इसमें तो भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसमें फंडामेंटल राइट्स पर असर पड़ेगा, किसी व्यक्ति के न्याय के मामले में जो अधिकार है उस पर असर पड़ेगा। मैंने कांस्टीट्यूशन को पढ़ा और उसके आधार पर जो सरकार यह विधेयक लायी है उसकी धाराओं को पढ़ा; मैं तो नहीं समझ सका कि यह अधिकार जो दिया गया है कि इस तरह से स्टाल्स या इस तरह की जो दुकानें जो कि आज काफी दिनों से चली आती हैं तो अगर उनमें डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स की इस तरह की कानून की व्यवस्था के द्वारा आपत्ति हो सकती थी कि हम फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं और हम रिफ्यूजीज को आफत में डालकर एक कदम उठा रहे हैं यह बात कुछ समझ में नहीं आती। हमारे माननीय नारायणदत्त जी ने यह बात कही कि साहब यह म्यूनिसिपल बोर्ड में लागू होगा या नहीं होगा। अगर वे इसकी धारा २ (सी) और (डी) को पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें साफ-साफ यह है कि गवर्नमेंट की प्रेमिसेज यहां पर है। तो मानी हुयी बात है, यों तो वह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा लेकिन जैसा कि डेफनीशन में बताया गया है उसके आधार पर वह लागू होगा। उसके बाद जहां आवश्यकता इस बात की थी वहां होगा। इसके बाद आर्डिनेंस की बात कही गयी लेकिन आर्डिनेंस जैसा माननीय जगन्नाथ मल्ल जी बतला रहे थे वह २९ तारीख को आया उससे पहले यह १३ तारीख को आया था और उसके बाद दोबारा २९ तारीख को आया था लेकिन उस वक्त बजट सेशन चल रहा था और उस दौरान में आर्डिनेंस के आधार पर यह विधेयक लाया गया था। सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां थीं वह एवाइड नहीं की जा सकती थीं जिसके द्वारा यह आर्डिनेंस लाया गया था और उस आर्डिनेंस के के बाद यह विधेयक लाया गया है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि गरीबी के नाम पर, अमीरी के नाम पर, दुहाई दी और जो सरकार का मंशा है एक बात कही गयी कि रिफ्यूजीज को उखाड़कर कहीं जगह नहीं दे रही है। सरकार ने तो हमेशा इस बात की कोशिश की है और अगर कहीं पर उसने रिफ्यूजीज को हटाया है तो दूसरे जगह उसको स्थान देते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम उनके रोजगार को बरबाद करने की बात कर रहे हैं, इसका यह कदापि अभिप्राय नहीं है कि इस तरीके से उनके रोजगार को खत्म करने की बात करते हैं। एक बात कही गयी स्टे आर्डर्स के बारे में। अगर आप पहले ऐक्ट को देखें तो उसमें सटेन बिल्डिंग्ज

की एक डेफिनीशन दी गयी है। उसके बाद में आगे एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है जिसमें खेमा इत्यादि और छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स आते हैं। यह इसलिये किया गया है, किसी बुरी नीयत से नहीं किया गया, न्याय का हनन करने के लिये नहीं किया गया, केवल इसलिये किया गया है कि मुकदमेबाजी दूर हो और उस व्यक्ति को पूरे तरीके से अधिकार है अपील करने का; वह कोर्ट में जा सकता है और यदि उसकी अपील स्वीकार हो जाती है तो जज को यह पूरे तरीके से अधिकार है कि जिस पर उसका कब्जा चला आता था वह उसको दे दे। जब मैं पहले बोल रहा था तो मैंने बतलाया था कि क्लाज ११ में जज को यह अधिकार दिया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो होगी उसको वह लिखे कि जिसका पहले से कब्जा चला आता है वही उसमें रहे।

माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि इसमें भू-गृहादि की परिभाषा साफ-साफ नहीं है। लेकिन अगर इस विधेयक को देखा जाय तो इसमें लिखा है:

"भू-गृहादि का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो, उसके स्वामित्व में हो, उसके पास हो या जिसे उसने अधिकृत किया हो या पट्टे पर लिया हो।"

इसलिये यह कहना कि इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ नहीं है यह बात मेरी समझ में आयी नहीं। इसमें तो बिल्कुल साफ-साफ लिखा हुआ है। आगे चलकर उन्होंने कहा कि इसमें सुदृढ़ निर्माण की परिभाषा भी ठीक नहीं है। लेकिन इसमें साफ लिखा है कि--

"कोई छोटी दुकान, खुला हुआ छोटा खेमा या अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण चाहे वह लकड़ी का बना हो या अन्य किसी सामग्री का और जो इस रूप में प्रयुक्त होता हो अथवा प्रयुक्त होने के लिये अभिप्रेत हो, इस खंड का अर्थ भवन है।

तो कहने का मतलब यह है कि जैसा मैंने पहले अर्ज किया, केवल रिफ्यूजीज के नाम पर दोहाई देना क्या तर्क हो सकता है! सरकार ने तो रेफ्यूजीज से या इस तरह के लोगों से प्रार्थना की कि हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आपका मार्केट चले, आपका रोजगार खत्म न हो। उसके लिये इस तरह से कहना कि उधर के बैठने वाले रेफ्यूजीज और गरीबों की भलाई चाहते हैं और इधर बैठी हुई सरकार तो जनतंत्र का गला घोंट रही है, यह तो इस तरह सरकार है कि गरीब को और गरीब करना चाहती है; यह बात कुछ समझ में नहीं आती। इसी तरीके से बहुत सी बातें बहुत सदस्यों ने कही। मैं सभी का अनुगृहीत हूं लेकिन इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, केवल जनहित के लिये, केवल व्यवस्था के लिये, केवल मुकदमेबाजी को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है और इसमें कुछ ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में--

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९, १९५२ की धारा २ का संशोधन।

(१) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा ही रखा गया समझा जाय--

"(ग) सरकारी भू-गृहादि (Government premises) का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो,

उसके स्वामित्व में हो, उसके पास हो, या जिसे उसने अधिगृहीत (requisitioned) किया हो या पट्टे पर लिया हो ।"

(२) खंड (घ) में स्पष्टीकरण के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदा ही बढ़ाया गया समझा जाय--

"स्पष्टीकरण --कोई छोटी दूकान (Stall) खुला हुआ छोटा खेमा (Kiosk) या अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण (structure) चाहे वह लकड़ी का बना हो या अन्य किसी सामग्री का, और जो इस रूप में प्रयुक्त होता हो अथवा प्रयुक्त होने के लिये अभिप्रेत हो, इस खंड के अर्थ में भवन है ।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९,१९५२ की धारा ९ का संशोधन ।

३--मूल अधिनियम की धारा ९ के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर अर्धविराम (;) रख दिया जाय और तत्पश्चात् प्रतिबन्धक के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संबद्ध भू-गृहादि, छोटी दूकान (Stall), खुला हुआ छोटा खेमा (Kiosk) या इसी प्रकार का अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण हो तो कोई भी ऐसा स्थगन--आज्ञा जारी नहीं की जायगी, किन्तु डिस्ट्रिक्ट जज, यदि अपील स्वीकार हो जाय तो यह आदेश दे सकता है कि बेदखल किये गये व्यक्ति को भू-गृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय ।"

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि खंड ३ इस विधेयक से निकाल दिया जाय । इसलिये कि जब माननीय सभा सचिव अपना भाषण दे रहे थे तो इस सम्बन्ध में जितने सवाल मैंने उठाये उनका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया । हां, एक चीज कही कि पहले जो डेफीनीशन का सवाल था उसमें जरा साफ नहीं था । इसलिये उसको साफ कर दिया गया है । श्रीमन्, हमारा रोना तो यही है कि यह सरकार अड़ियल घोड़े की तरह से जिस पर अड़ गयी उस पर अड़ जाती है । अगर्चे उनको समझाया जाय तब भी सरकार नहीं मानेगी लेकिन बाद में संशोधन लायेगी । अभी इस बहस का जवाब देते हुये उन्होंने बतलाया कि दो दफा आर्डिनेंस हो चुका है उसके बाद यह विधेयक आया है । इसका मतलब वह यही समझते हैं कि दो दफा आर्डिनेन्स होने के बाद यह बिल आया है तो अच्छा ही है । एक आध दफा आर्डिनेन्स और होता तो सभा सचिव महोदय समझते कि और भी अच्छा होता । मैं समझता हूं कि इसको फिर कौंसिल में भेजा जाय या असेम्बली को प्रोरोग कर दिया जाय और फिर से एक आर्डिनेन्स ले आयें तो और अच्छा हो ।

श्रीमन्, जहां तक खंड ३ का सवाल है, आपने बतलाया कि हमें रिफ्यूजीज से हमदर्दी है । मैं रिफ्यूजीज या गरीब आदमी किसी में फर्क नहीं मानता हूं । इस क्लाज का असर गरीब और छोटे-छोटे दुकानदारों पर पड़ता है जो खेमे में या छोटे मकानों में दुकान रखते हैं । इसमें रिफ्यूजी हिन्दुस्तानी या पाकिस्तानी का कोई सवाल नहीं है । इससे छोटे दुकानदारों पर ही असर पड़ता है ; बड़े लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है । अगर सरकार ने कोई बड़ी भारी इमारत बना रखी है और किराये पर दे रखी है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है ।

इस बात पर सभा सचिव महोदय ने प्रकाश डालने की कोशिश नहीं की कि क्यों वह छोटे-छोटे दुकानदारों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। जहां तक कांस्टीट्यूशन का सवाल उठाया तो उसका आपने जवाब दिया कि वह कांस्टीट्यूशन के हिसाब से ठीक है। श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन के हिसाब से हमारी सरकार हमेशा बिल बनाया करती है और न जाने उनमें से कितने हाईकोर्ट में फेल हो जाते हैं। अगर यह भी हाईकोर्ट में जाय तो मैं नहीं कह सकता हूं कि इसकी क्या गति होगी। इसको तो वकील ही बतला सकते हैं। जो एक सदस्य की राय है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि यह गलत है। अगर सरकार समझती है कि यह कांस्टीट्यूशन के हिसाब से गलत है तो लाने की हिम्मत ही नहीं करती। आपकी सरकार सही समझकर लाती है मगर न्याय की तराजू पर जब सरकार का कानून चढ़ता है तो पता चलता है कि कांस्टीट्यूशन के हिसाब से है या नहीं।

आप एक चीज लाते हैं तो समझते हैं कि कांस्टीट्यूशन के हिसाब से सही है लेकिन नारायण दत्त जी कहते हैं कि गलत है तो इसका निर्णय तो कोर्ट में ही होता है। जब कोई आदमी कोर्ट में जाता है तो उसको राइट होना चाहिये कि जब तक कि उसका मामला अदालत के समक्ष हो तब तक कोई कार्यवाही न की जाय। तो यह बिल्कुल न्यायोचित सी बात मालूम होती है। अब यह कि जब किसी कोर्ट में जाय, किसी अदालत में जाय तो पता चल जाय कि सरकार सही कह रही है या माननीय नारायणदत्त जी सही कह रहे हैं, क्योंकि सवाल तो अपनी २ ओपीनियन का है और इसका फैसला कोई न्यायालय ही दे सकता है। जहां तक इसका सवाल है, नहीं समझता कि कौन सी जरूरत इसमें पड़ गयी थी। मैंने निवेदन किया था, श्रीमन्, अपने पिछले भाषण में कि माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि किस कारण उन्होंने ऐसा रखा। उनको उसका कोई कारण तो बताना चाहिये था। एक छोटा कारण उन्होंने बताया यह कि मुकदमेबाजी कम हो जायगी इसलिये इसको रखा है। यह तो ठीक है लेकिन इसके बाद यह भी सोचना चाहिये और आपके द्वारा मैं माननीय सभासचिव महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कभी इस पर भी सोचने की कृपा की कि जिस अफसर को आपने इन सारे कामों को करने के लिये मुकर्रर किया है उसकी मनमानी कितनी बढ़ जायगी? उसकी मनमानी इस तरह से बढ़ जायगी कि जब वह किसी से नाराज हो गया तो उसको फौरन ही निकाल बाहर करेगा। मैं यह नहीं कहता कि वह अगर किसी पान वाले से पान मांगे और वह न दे तो वह उसको नोटिस दे कर निकलवा देगा, लेकिन उसको पूरा अख्तियार तो है ही, जब वह चाहे चट से नोटिस दे कर हुक्म देगा कि इसको निकाल दो मकान के बाहर। स्टेआर्डर उसको मिल नहीं सकता। वह निकाल दिया जाय और फिर, श्रीमन्, उसमें दूसरा दुकानदार आ जाय और अगर कहीं जज साहब ने यह फैसला दे दिया कि नहीं, पिछले दुकानदार को ही हक है उसमें, तो फिर पलटन चले और फिर जो उसमें है उसको निकाल कर पिछले वाले दूकानदार को उसमें रखा जाय। इधर भी क्या माननीय सभासचिव महोदय ने सोचने की कृपा की है? मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं थी या कोई ऐसी दलील नहीं है कि मुकदमेबाजी कम करने के लिये सरकार ने इस धारा को रखा है, इस बात को ठीक माना जाय। मुझे बतावें कि कहां इस किस्म की हालत पैदा हो गयी है। मिसाल दे कर बतायें कि कहां ऐसी दिक्कत थी कि जिनके कारण सरकार ने इस धारा को रखा है और इस के द्वारा छोटे दुकानदारों के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया है। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि सरकार इस धारा तीन को इस विधेयक से निकाल दे और इन शब्दों के साथ मैं इस धारा ३ का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) समय बहुत कम है और साढ़े तीन बजे तक इसको समाप्त होना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, यह खंड ३ इतना अमर्यादापूर्ण और अवैधानिक है कि इसके सम्बन्ध में संक्षेप में भी जितनी भर्त्सना हो सकती है उतनी कम है। इस खंड ३ के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट जज छोटी दुकान, खुला छोटा खेमा और इसी प्रकार के अन्य अन्य सुदृढ़ निर्माण के सम्बन्ध में स्थगन आज्ञा जारी नहीं कर सकेंगे। मैंने प्रथम वाचन के अवसर पर यह कहा था कि विधान के जो मूलभूत अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स के उनकी धारा १४ के विरुद्ध यह खंड जाता है क्योंकि एक ही कानून की एक ही धारा दो प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन प्रस्तुत करती है। वह दो प्रकार के वर्ग निकालती है एक तो सरकारी भूगृहादि का वह हिस्सा जो कि बड़े-बड़े मकान हैं या आउट हाउसेज कोई हों तो उनको वह स्थगन कर सकती है, बेदखल कर सकती है लेकिन यदि वह समूह में हो या कोई छोटा मकान कोस्टाल हो या खेमा हो उसका स्थगन नहीं कर सकता है। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज के अधिकारों को रखना जो कि मूल अधिनियम में सुरक्षित है किसी प्रकार से उचित नहीं है। मगर यह वांछनीय है कि किसी बड़ी इमारत का एलाटमेंट कैंसिल किये जाने के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जज कोई स्टे आर्डर दे सकता है तो उसी सिद्धांत के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज को दूसरी बड़ी इमारत से हटाने का भी, स्थगन करने का और इविक्शन रोकने का अधिकार होना चाहिये। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर विधान की मर्यादा को सुरक्षित रखना है और यदि वह यह चाहते हैं कि कुछ वर्षों के अन्दर यह अल्टरा वायरेस न हो जाय तो इस खंड को पास न करायें। मुझे ऐसा निश्चित लगता है कि यह हाईकोर्ट के सामने गया तो यह ऐक्ट विधान के अनुसार अवैधानिक घोषित हो जायगा। तो मैं यह अपील करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें और इस खंड को या तो समाप्त कर दें या ऐसा संशोधन करें जिससे डिस्ट्रिक्ट जज को स्टाल के इविक्शन रोकने का भी अधिकार हो और उसको स्टे आर्डर दे सकने का अधिकार हो सके।

श्री धर्म सिंह--जब मैं इसका जवाब दे रहा था तो मैंने साफ-साफ यह बात कह दी कि जहां तक न्याय या अन्याय का सम्बन्ध है उसका किसी तरीके से हनन नहीं हो रहा है और अगर इस धारा को पढ़ें तो इसमें साफ-साफ यह लिखा हुआ है कि "यदि यह अपील स्वीकार हो जाय तो यह आदेश दे सकता है कि बेदखल किये गये व्यक्ति को फिर से कब्जा दिया जाय।" तो उसको यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह अपील करे और वह स्वीकार हो जाय तो वह आदेश इस प्रकार का जारी कर सकता है। यह कह देना कि जस्टिस का हनन हो जायगा और मौलिक अधिकार समाप्त हो जायेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, वह तो लिटिगेशन कम करने के लिये और काम शीघ्रता के साथ ही उन दोनों चीजों के लिये यह किया गया है। मान लीजिये कि जज एक और स्टे आर्डर देता है और जो लोग अपील करते हैं एक दफा वह खारिज हो जाती है और फिर से देने पर स्वीकार हो जाती है तो वह इस बात के लिये आदेश दे सकता है कि उसको पूरे तरीके से पजेशन मिले। तो फिर जो व्यवस्था की गयी है वह ठीक की गयी है। इसमें जो एक दो सदस्य निकालने की बात करते हैं वह अगर निकाल दी जाती है तो फिर जो विधेयक का अभिप्राय है वह समाप्त हो जाता है और इसका जो मंशा है वह पूरा नहीं हो पाता है। इसलिये जैसा कि जगन्नाथ मल्ल जी और तिवारी जी ने कहा है कि इसको निकाल दिया जाय मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--६८

विपक्ष में--१०।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ४ तथा ५

४--धारा ११ की उपधारा (१) में शब्द "द्वारा दी गयी" तथा शब्द "आज्ञाओं" के बीच शब्द "अथवा धारा ९ के प्रतिबन्धक (proviso) के अनुसार फिर से कब्जा वापस पाने की डिस्ट्रिक्ट जज की" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९, १९५२ की धारा ११ का संशोधन।

५--उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो। निरसन।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक अस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ को संशोधित करने का विधेयक

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ को कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ द्वारा संशोधित किया गया था ;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा बनाये गये अधिनियम की व्यवस्था करना इष्टकर है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्रीमन्, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार यहां पर रक्खे हैं, जब अमेंडमेंट आये थे तब मैं उनका जवाब दे चुका हूं। मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको पारित किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

श्रीमन्, इस विधेयक की आवश्यकता इस कारण हुयी कि . . . . . .

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, श्रीमन् । अगर आप इस विधेयक को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मालूम होगा कि इसका शीर्षक लखनऊ यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १९५६ है और इसके द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट १९२०, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट १९२१, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५४ और लखनऊ यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५४ को संशोधन करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । संक्षेप में, एक विधेयक का उद्देश्य ४ अधिनियमों को संशोधित करना है । मैं समझता हूं कि यह तरीका बिलकुल नियमों के विपरीत है । अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करना था तो उसके लिये एक अलग बिल आना चाहिये था और अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट सन् २१ में कोई संशोधन करना था तो उसके लिये भी अलग से एक संशोधन विधेयक आना चाहिये था । यू० पी० यूनिवर्सिटी ऐक्ट नाम की कोई चीज पहले से नहीं है । यू० पी० की तमाम यूनिवर्सिटीज के अलग अलग ऐक्ट हैं, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट अलग है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट अलग है, बनारस यूनिवर्सिटी ऐक्ट अलग है लेकिन यू० पी० यूनिवर्सिटीज ऐक्ट कोई नहीं है । इसलिये अलग अलग यूनिवर्सिटी ऐक्ट्स का संशोधन विधेयक अलग अलग लाया जा सकता था । इसलिये यह नामुनासिब है, गलत है और नियमानुकूल नहीं है और इस कारण सरकार को इसे वापस लेना चाहिये ।

दूसरी एक बात यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट सन् ५४ को भी यह संशोधित करेगा और लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट को भी यह संशोधित करेगा और आप देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट सन् ५४ जो है वह खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मूल ऐक्ट में संशोधन है और वह खुद मूल ऐक्ट में संशोधन करने वाला संशोधन है तो यह उस में अमेंडमेंट आयेगा । इसी तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट सन् ५४ भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करता है । उदाहरण के लिये मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट ऐक्ट १९५४ का प्रिएम्बिल पढ़े देता हूं "Whereas it is expedient to amend the Allahabad University Act, 1921" "यानी सन् ५४ के ऐक्ट के द्वारा भी सन् २१ के ऐक्ट को ही संशोधित किया जा रहा है । इसी में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट को भी संशोधित कर रहे हैं । इसलिये इस दृष्टिकोण से कि संशोधन बिल नियमानुकूल नहीं है हमें इसे यहां नहीं लाना चाहिये और न इस नाम का कोई एक्ट एगजिस्ट करता है जिसे हम संशोधित करें । इस तरह से २-३ ऐक्टों का एक सामूहिक बिल नहीं आ सकता और संशोधित नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूं कि ऐसा तरीका कभी नहीं अपनाया गया बल्कि यह एक नया तरीका है । इसलिये इसको अनियमित घोषित किया जाय और इस पर विचार नहीं होना चाहिये ।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, यह बात दूसरी है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को इस के पूर्व कभी इस बात का अनुभव न हुआ हो कि इस प्रकार का बिल भी लाया जा सकता है जिससे कई ऐक्टों का संशोधन हो सकता हो । यदि वह किसी रूल का हवाला देते कि किस कायदे के अन्दर यह बिल नियमानुकूल नहीं है तब उस का उत्तर दिया जा सकता था ।

---

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की प्रतियां १० मई, १९५६ को सदन की मेज पर रखी गयीं ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन चूंकि उन्होंने कोई कायदा नहीं बताया इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बात ठीक है और एक ही बिल से कई बिलों का संशोधन कर सकते हैं और इस आपत्ति में कोई सार नजर नहीं आता ।

*श्री अब्दुल मोईज खां (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो आपत्ति उठायी है वह उन्हें नई चीज मालूम हो रही है लेकिन इसी सदन में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को संशोधित करने के लिये लैन्ड रिफार्म्स अमेंडमेंट ऐक्ट के नाम से बिल पास हुआ था और वह ऐक्ट बना । इसके अलावा उस बिल में लैन्ड रेवेन्यूऐक्ट, १९०१ और एग्रीकलचरल टेनेन्सी एक्वाजीशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट दोनों ही ऐक्ट एक ही बिल द्वारा संशोधित हुये थे । इसी तरह से सिविल लाज अमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ था जिस के जरिये से सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन ऐक्ट और इसी तरह के कई ऐक्ट एक ही बिल के द्वारा संशोधित हुये थे । सिद्धांत: श्रीमन्, आप देखेंगे कि किसी भी अमेंडमेंट बिल लाने के लिये सिर्फ यह देखना है कि वह इस सदन को ऐसा बिल पास करने का या इस स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है या नहीं । अगर यह अधिकार है तो वह बिल इस सदन में लाया जा सकता है और इस बिल द्वारा हर ऐक्ट संशोधित किया जा सकता है जिस ऐक्ट को इस स्टेट लेजिस्लचर के द्वारा पास किया जा चुका है । इसलिये जो ऐक्ट इस समय इस बिल के द्वारा संशोधित होने वाले हैं वह ऐसे हैं जो हमारे इस सदन के द्वारा संशोधित हो सकते हैं । यह उस तरह का बिल बन सकता है । इसलिये इस सदन को पूरा अधिकार है कि उनको संशोधित करने का एक बिल लायें जिसके जरिये दो-तीन ऐक्ट संशोधित हो जायं ।

*श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति तिवारी जी ने उठायी है उस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था । लेकिन हमारे मित्र ने लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट का उदाहरण दिया । दो ऐक्ट्स का हवाला दिया । लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट का हवाला दिया और ऐग्रीकल्चरल प्रिविलेजेज ऐक्ट का हवाला दिया । लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि यू० पी० लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट अमेंडिंग ऐक्ट नहीं था । यू० पी० लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट एक नया कानून था । यू०पी० यूनिवर्सिटीज अमेंडिंग बिल है । वह तो एक नया ऐक्ट पास हुआ (एक आवाज) मुझे कहने दीजिये । अगर मुझको वहां से आदेश मिले तो मैं बैठने के लिये तैयार हूं । तो यह जो यू०पी० यूनिवर्सिटीज अमेंडिंग बिल है, इसमें प्रश्न यह है कि हमारे बीच में इस नाम का कोई ऐक्ट है इस तरह का या नहीं । यह मानते हुये कि यू०पी० यूनिवर्सिटीज अमेंडिंग ऐक्ट हमारे यहां है, उसको १९५६ में इस अमेंडिंग बिल के द्वारा संशोधित करने जा रहे हैं तब तो ठीक है । लेकिन जब हमारे बीच में ऐसा मूल ऐक्ट नहीं है तो आप उसको किस तरह से संशोधित कर सकते हैं और जो आपने उदाहरण दिया है हमारे साथी ने, वह गलत मालूम पड़ता है और यहां पर एप्लाई नहीं होता । लिहाजा जो वैधानिक आपत्ति तिवारी जी ने उठायी है मैं समझता हूं कि उचित है और इसको मानने में हमारे माननीय मंत्री जी को कोई संकोच नहीं होना चाहिये । यही मुझे कहना है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जहां तक इस सदन की परिपाटी का सवाल रहा है, हमेशा एक ऐक्ट को संशोधन करने के लिये एक ही विधेयक आता रहा है और यह विधेयक जो कि चूं चूं का मुरब्बा है, अगर उस तरह का विधेयक लाया जा सकता हो तो फिर अलग अलग बिल ले आने की जरूरत ही नहीं थी । एक ही बिल आ सकता है---उत्तर प्रदेश भूगृहादि, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश श्रमकल्याण निधि विधेयक, १९५६ । ऐसा ही एक बिल आ जाता और ज्यादा परेशानी खत्म हो जाती । इसलिये, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह बिल कुल जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

उनकी वैधानिक आपत्ति है वह सही है और इस सदन की परिपाटी के अनुकूल नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल अवैधानिक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, इस पर आप थोड़ा सा विचार करें चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण है । तब तक यह सदन स्थगित कर दिया जाय ।

श्री हरगोविन्द सिंह---इस आपत्ति पर मुझे वैधानिक आपत्ति है कि किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि चेयर से यह कहें कि आप इस पर और विचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विधेयक के द्वारा एक से अधिक ऐक्टों का संशोधन करने जा रहे हैं। श्री नारायणदत्त जी ने वैधानिक आपत्ति में यह नहीं बतलाया कि एक ही विषय से संबंधित किसी एक विधेयक को एक साथ ले आने में कौन सी वैधानिक आपत्ति है। किस नियम या किस कानून के यह विरुद्ध है ? यह विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ही यह संशोधन उपस्थित किया जा रहा है । और इसमें सुविधा है कि यह एक साथ इस पर विचार किया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि जो वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है वह ठीक नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं एक बात ही कह रहा था . . . . . .

श्री हरगोविन्द सिंह---जब चेयर की एक दफा रूलिंग हो चुकी है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---मैं फैसला दे चुका हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---दूसरा प्वाइन्ट आफ आर्डर। मेरा कहना यह है कि इसकी हेड लाइन आप देखें। उसमें लिखा है कि यू०पी० यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, यू० पी० यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, यह इसका शीर्षक है। मेरा कहना यह है कि जब तक कोई यू० पी० यूनिवर्सिटी ऐक्ट . . . .

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है। इस पर फैसला चेयर का हो चुका है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, प्वाइन्ट आफ आर्डर। जब तक एक सदस्य प्वाइन्ट आफ आर्डर सदन में उपस्थित कर रहा है तब तक दूसरे सदस्य को प्वाइन्ट आफ आर्डर उपस्थित करने का अधिकार है या नहीं । इस पर मैं चाहता हूं . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---अगर कोई सदस्य प्वाइन्ट आफ आर्डर इस तरह से पेश कर रहा हो जिसमें किसी को आपत्ति हो तो कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा निवेदन यह है कि इसका शीर्षक आप देखने की कृपा करें। शीर्षक इसका यह है यू०पी० यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, १९५६। तो मेरा कहना यह है कि यू० पी० यूनिवर्सिटीज ऐक्ट पास नहीं हुआ। जब यूनिवर्सिटी ऐक्ट नहीं है तो यू० पी० यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल कैसे आ सकता है ? इसलिये यह बिलकुल साफ है क्योंकि यू० पी० यूनिवर्सिटी एमेंडमेंट बिल लिखा हुआ है, यू० पी० यूनिवर्सिटी ऐक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिये यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इसलिये आपको इसको अवैधानिक करार देना चाहिये।

श्री अब्दुल मोईज खां---श्रीमन्, मैंने जो जवाब दिया था हमारे साथी ने जो यह कहा कि लैंड रिफार्म सप्लीमेंटरी ऐक्ट दूसरा था। वह शायद समझे नहीं। लैंड रिफार्म सप्लीमेंटरी ऐक्ट, १९५२ दूसरा था। लेकिन जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट का जो संशोधन पास किया सदन ने उसका नाम लैंड रिफार्म्स अमेंडमेंट बिल था। अब वह पास होकर लैंड रिफार्म्स अमेंडमेंट ऐक्ट होगा और, श्रीमन्, इस नाम का कोई

दूसरा ऐक्ट पहले से नहीं है केवल इस वजह से कि वह दो, तीन ऐक्ट्स का एक साथ संशोधन होना था इसलिये उसका ऐसा नाम रखा गया। इसी तरह से सिविल लाज अमेंडमेंट ऐक्ट पहले से कोई मौजूद नहीं था। लेकिन चूंकि कई सिविल लाज ऐक्ट्स उस बिल के द्वारा संशोधित हो रहे थे; इसलिये उसका नाम सिविल लाज अमेंडमेंट बिल रखा गया। अगर तिवारी जी का कहना माना जाय तो बहुत से बिल अलग-अलग लाये जाते। ऐसा न करके सिविल लाज अमेंडमेंट बिल के नाम से एक बिल लाया गया था। इसलिये यह बिलकुल वैधानिक है क्योंकि एक ही बिल द्वारा आप कई ऐक्ट्स जो इस सदन के जूरिस्डिक्शन के अन्दर हैं उन्हीं को हम संशोधित करने जा रहे हैं। और यह आपत्ति जो उठाई गई यह बिल्कुल गलत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, अगरचे आपने पहले कोई गलती कर दी तो वह गलत रास्ते को दोहराना कोई अक्लमंदी नहीं होगी। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को आप प्रस्तुत करने की आज्ञा न दें।

***श्री मोहनलाल गौतम** (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कुछ और विचार करने की जरूरत है और अगर आप आज्ञा दें तो यह अच्छा होगा कि हम लोग भी इसमें अपनी राय दे सकें। इसके लिये आप मौका दे दें। जो बिल जिस नाम से नहीं है उसका एक अमेंडमेंट कैसे आ रहा है यह आपत्ति उठायी गई और उसकी मिसालें माननीय मंत्री जी और कुछ भाइयों ने दीं कि इस तरह की मिसालें हैं कि जो एक ही बिल कई ऐक्ट्स को अमेंडमेंट करता हो पेश हो सकता है। वास्तव में एक बड़ा महत्व का सवाल है और इसके बारे में कुछ अन्य सदस्य भी कहना चाहें तो आप इसको मौका दें और अगर इस प्रश्न को कल ले लें तो अच्छा हो।

***श्री हरगोविन्द सिंह**---यह तो इतना स्पष्ट है; फिर उसमें मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी आवश्यकता इस बात की है कि कल तक इसको विचारार्थ रखा जाय। यह इस बिल का नाम है वह तो यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल है। इस बिल के द्वारा यह बताया गया है इसमें कि कौन-कौन ऐक्ट्स अमेंड होंगे और किस तरह अमेंड होंगे। तो यह आवश्यक नहीं है कि इस बिल के नाम में यूनिवर्सिटीज का सबका नाम दिया जाय या एक ऐक्ट उसमें और लाया जाय कि यूनिवर्सिटीज ऐक्ट अमेंडमेंट बिल। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बिल को तो हम कोई नाम दे सकते हैं। इसमें बिल का नाम देने के लिए इसके नाम संस्करण के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और हां, इसकी बाडी में यह होना चाहिए कि कौन-कौन से ऐक्ट्स हम इससे अमेंड कर रहे हैं। इसलिये इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है और न किसी ने कुछ बताया, न रूल्स इसकी मनाही करते हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि भवन में इसके पूर्व ऐसे विधेयक आ भी चुके हैं। इसलिये फिर कोई आवश्यकता इस बात की नहीं है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल निरर्थक होगा कि इसको स्थागित किया जाय। इसलिए भवन मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करे।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने जो आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उसे समझता हूं कि सही है और उस पर अधिक गौर करने की उसमें आवश्यकता है। आप देखेंगे जैसा कि उन्होंने बतलाया कि यह जो इसका शीर्षक है यह यू० पी० यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल है। इसके माने हैं कि पहले कोई ऐक्ट रहा है जिसका कि नाम यू० पी० यूनिवर्सिटी ऐक्ट रहा है। उसी पर ही संशोधन आ सकता है जब कि कोई ऐक्ट हो। दूसरा कारण एक और भी है। आगे चल करके इसमें सन् २० के ऐक्ट का भी हवाला दिया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और लखनऊ यूनिवर्सिटी के;

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

इन दोनों ऐक्टों का हवाला दिया हुआ है और अलग अलग संशोधन दिया हुआ है। उसके बाद जो लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक जो सन् ५४ में पारित हुए उनका अलग-अलग हवाला दिया हुआ है। तो जो सन् २० का ऐक्ट है वह सन् ५४ के ऐक्ट द्वारा अमेंड हो चुका है। सन् २० में वह धारायें जो कि पहले ओरिजिनल थीं वह नहीं रह गई हैं बल्कि सन् १९५४ द्वारा वह संशोधित हो चुकी हैं। वह जो रेफ्रेंस सन् २० का यहां है बिल्कुल गलत है और अवैधानिक है। तो कल एक बहुत छोटा सा विधेयक आने वाला है जिस पर कि हम विचार करेंगे। बहुत पर्याप्त रहेगा इसके लिए। इसलिए आज आप इसे स्थगित कर दें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कल आप इसको ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, एक घंटा दस मिनट बच गया है आज। कल एक बहुत छोटा सा बिल भांडार अधिग्रहण वाला बच गया है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को भी इसमें आपत्ति नहीं होगी और आप भी रूलिंग ठीक प्रकार से दे सकेंगे। एक घंटा दस मिनट इसके लिए बच गया है, ४० मिनट हो चुका है। तो जब समय निर्धारित है और कल भी काफी समय रहेगा तो कोई हर्जा नहीं है अगर कल तक के लिए आप इसको स्थगित कर दें। अगर गलती है तो माननीय मंत्री जी उसको दुरुस्त कर लेंगे, इसमें क्या हर्ज है? कल तक आप ऐडवोकेट जनरल और लीगल रिमेम्बरेंसर की भी राय पूछ लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह---यह मैं आपको बता दूं कि इन सब से पूछ लिया गया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि इस मसले को स्थगित कर दें। इस मसले को फिलहाल स्थगित हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अमेंडिंग बिल हम पेश कर रहे हैं, पेश किया जा रहा है सरकार की तरफ से तो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक कोई है नहीं और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक कोई उपस्थित हो नहीं सकता जब तक कि उस नाम का कोई विधेयक पहले से हो नहीं, तब तक उस विधेयक का संशोधन आ नहीं सकता। इसलिए यह जरूर है कि आज इस पर विचार करना स्थगित हो जाना चाहिए और जो इसके सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी हासिल हो सके ऐडवोकेट जनरल वगैरह से वह उनकी राय भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोई इस नाम का विधेयक है ही नहीं तो संशोधन आ नहीं सकता, बाडी में आप चाहें जो कुछ लिखे रहिए, यह बाडी में लिखने से वह ठीक नहीं होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---यह यू० पी० यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल है। हमारे प्रान्त में कई यूनिवर्सिटियां हैं। यह बिल जो बनेगा वह कुल यूनिवर्सिटियों पर लागू हो सकेगा। इसमें जैसे कि पूरे क्लाज का ऐनेलिसिस करते वक्त कहीं नाउन क्लाज होता है कहीं ऐडजेक्टिव क्लाज होता है, इसी तरह से यह भी है। इसमें लखनऊ इलाहाबाद सब इस बिल में दिये हुये हैं और इसकी हेडिंग है यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल। हम सारी यूनिवर्सिटियों को जो इस प्रान्त में हैं अमेंड करने जा रहे हैं चाहे वह बनारस हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो या कोई भी हो सब पर यह लागू हो जायगा, गोरखपुर पर भी आगे चल कर लागू हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि हमारा यह बिल दुरुस्त है और इसको पेश होना चाहिए आज और इस पर वादविवाद आपकी इजाजत से होना चाहिए।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो मैं निश्चित समझता हूं कि इस बिल का जो टाइटिल है, "यू० पी० यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल" यह टाइटिल बिलकुल आब्सक्योर है। यह स्पेसिफिक नहीं है, किसी निश्चित बात को नहीं बताता। वह ध्येय कानून में स्पेसिफिक होना चाहिये। यदि कोई कानून हमारी किसी भी बात को अनिश्चित रखता है वह हमारी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है और मैं समझता हूं कि अगर हमें यू० पी० की यूनिवर्सिटीज के ऐक्ट्स को अमेंड करना है तो उनका नाम इसके साथ में आना चाहिये कि आया यह बिल अमेंड करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट को या आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को, तो क्या आपत्ति इसमें हो सकती है। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें क्या तथ्य है कि उन बातों को स्पेसिफिकली इसमें मेंशन न कर दिया जाय। जब तक कि ये बातें साफ साफ तौर से नहीं लिखी जाती है, मैं समझता हूं हम अपने को एक अनिश्चित रास्ते पर छोड़ देते हैं जो कि एक सदन के लिए और उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मान-मर्यादा के लिए, कानून बनाने की प्रणाली के प्रतिकूल है। मैं समझता हूं उसको हमें कबूल नहीं करना है और निहायत अदब के साथ में दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारी प्रथाएं और परम्पराएं, कानून बनाने की रही है उसमें हमें किसी तरह की अनिश्चितता को नहीं छोड़ना चाहिए जो हम लोग कि यहां पर पढ़े लिखे बैठे हैं उनकी इंटेलीजेंस के खिलाफ रिफरेक्ट करती है। वह हमारे सहन करने के लायक नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम साफ साफ जिन यूनिवर्सिटीज पर इसका एफेक्ट होगा उनको मेंशन न करें। जब तक यह साफ नहीं होता है तो उसके लिए मंत्री महोदय अपना एक एक्सप्लेनेटरी जबाव दे दें और यह तय कर दें कि हम इस अनिश्चितता को दूर करने के लिये तैयार हैं या नहीं हैं या इसी तरह से चलने देना चाहते हैं। तो हमें अपना यह कर्त्तव्य समझना है कि जो कमियां नजर आती है उसको हमें पूरा करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या जरूरत है हमें इस सदन में बैठने की? इतना ही कह कर मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई कमियां और खामियां हैं तो वह दूर हो जानी चाहिये। मुमकिन है हम पूरी तरह से मंत्री महोदय को न समझ सके हों। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय हमारे दिमाग में यदि गलत आइडिया या गलतफहमी हो उसको दूर करने की अगर कृपा करेंगे तो हम उनके बड़े आभारी रहेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति माननीय नारायणदत्त जी ने उठायी है उसका जबाव तो दिया जा चुका है, क्योंकि सिविल लाज अमेंडिंग बिल जो था उसमें इसी प्रकार के कई ऐक्ट्स को तरमीम किया गया था लेकिन फिर भी यदि आप अपनी रूलिंग रिजर्व रखें तो इस पर विचार चल ही सकता है। दूसरे जब इसके शीर्षक का प्रश्न आवे तो यदि कोई त्रुटि हो तो वह इसमें से हटायी जा सकती है, इसलिए इस पर विचार करने में तो कोई आपत्ति मुझे इस समय दिखलाई नहीं पड़ती। इसलिये अगर रूलिंग रिजर्व रखें तब भी विचार हो सकता है और कार्य चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—यूं तो जो वैधानिक आपत्ति श्री नारायण दत्त जी ने उठाई थी उसका मैं फैसला कर चुका हूं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक दूसरे रूप में उसी आपत्ति को सदन में पेश करके और सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया। मैं तो यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में अगर एक साथ कोई बिल पेश किया जाय तो उसमें कोई अवैधानिकता नहीं दिखाई देती है। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर इसके शीर्षक में कोई एम्बीगुईटी किसी तरह से रह गई है तो वह उस बिल के विषय में विचार करते हुये दूर की जा सकती है। इस लिये मैं समझता हूं कि इस बहस चलने में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं कह रहा था कि इस विधेयक की आवश्यकता इसलिये हुई कि जिस समय लखनऊ विश्वविद्यालय अमेन्डमेन्ट बिल यहां उपस्थित था उस समय यह निश्चय नहीं था कि एक मेडिकल कालेज की स्थापना कानपुर में होगी। लेकिन परिस्थितियों वश यह आवश्यक हुआ कि कानपुर में एक मेडिकल कालेज खोला जाय जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत होगा और चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में एक धारा ऐसी थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कानपुर में बना हुआ कोई मेडिकल कालेज नहीं आ सकता, इसलिये यह आवश्यक हुआ कि मेडिकल कालेज की स्थापना तभी हो सकती है जब कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की उस धारा को संशोधित कर दिया जाय। इसलिये उस समय एक आर्डिनेन्स द्वारा वह धारा संशोधित की गई तो यह आवश्यक हुआ कि आपके सम्मुख यह विधेयक रखा जाय और आर्डिनेन्स की समाप्ति हो जाय यही इसका कारण था और उसमें आप देखेंगे कि संशोधन भी उस दिशा में हुये हैं। चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर कानपुर का मेडिकल कालेज आवेगा, उसकी फैक्लटीज और डीन्स होंगे, इसलिये लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक द्वारा वहां जो कोर्ट, एक्जीक्यूटिव कौन्सिल, एकेडैमिक कौन्सिल वगैरह बने हुये हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होगा नियमों में परिवर्तन होगा, इसलिये जो बातें आवश्यक समझी गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट की अनुरूपता के लिये, वे संशोधन किये गये हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट के संशोधन की आवश्यकता केवल इसलिये पड़ी कि दोनों ऐक्टों में एक ही प्रकार की धारायें थीं जहां तक उनकी संस्थाओं के निर्माण का सम्बन्ध था। चूंकि लखनऊ में यह किया जा रहा था तो इलाहाबाद वालों को यह शिकायत हो सकती थी कि हमारी संख्या निश्चित हो गई है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी की संख्या अनिश्चित रख दी गई है इसलिये वह संशोधन उसमें भी कर दिया गया है। बस यही इस विधेयक का आशय है और हम समझते हैं कि सदन इसे शीघ्र ही पारित कर देगा।

***श्री नारायण दत्त तिवारी**—श्रीमन्, यह संशोधन विधेयक एक विशेष प्रकार से रखा गया है और यह दो आर्डिनेन्सों का स्थान, जो पहले निकल चुके हैं, ग्रहण करता है यह स्वयं ही बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार को इस विधेयक से सम्बन्धित विषय के सम्बन्ध में २, २ आर्डिनेन्स निकालने पड़े। पहले एक आर्डिनेन्स शायद फरवरी में निकाला गया जो मार्च या अप्रैल में लैप्स हो गया और उसके बाद फिर एक दूसरा आर्डिनेन्स निकाला गया और उसका स्थान लेने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत है। जिस समय इस बात का निश्चय किया गया कि कानपुर में मेडिकल कालेज जो हो उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जाय उस समय इस बात की आशंका प्रकट की गई कि पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अनुसार कानपुर का मेडिकल कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफीलियेट किया जा सकता है या नहीं। उस समय एक वैधानिक मोहर देने के लिये आर्डिनेन्स जारी किया गया।

जहां तक कानपुर मेडिकल कालेज की स्थापना का सम्बन्ध है, उसका हम स्वागत करते हैं। कानपुर में मेडिकल कालेज खुलना कोई विवादास्पद विषय नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि कानपुर में आप मेडिकल कालेज खोलें, गोरखपुर में खोलें या मेरठ में या कहीं भी खोलें, उसका सम्बन्ध किस प्रकार से किस यूनिवर्सिटी से हो। यहां पर विवाद उठता है। अगर आप कानपुर में चल रहे एक मेडिकल कालेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी का कन्स्टीट्यूएन्ट कालेज मान लेते हैं तो यह उचित नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि हम नई यूनिवर्सिटी कानपुर नहीं बना सकते हैं और लखनऊ से कानपुर नजदीक है, इस लिये हम इसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर रहे हैं। लेकिन जहां तक एक टीचिंग और रैजीडैन्शल यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है, वहां पर कानपुर के मेडिकल कालेज को एक टीचिंग और रेजीडैन्शल यूनिवर्सिटी से इस प्रकार सम्बद्ध करना उचित नहीं है। एक टीन्चिग और रैजीडैन्शिल यूनिवर्सिटी के सिद्धान्त से उचित नहीं है उसका एक टीचिंग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यूनिट कानपुर में हो। लखनऊ में एक मेडिकल कालेज मेडिकल फैकल्टी के मातहत पहले से कार्य कर रहा है और यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के मातहत महात्मा गांधी मैमोरियल मेडिकल कालेज है। उसका प्रशासन यूनिवर्सिटी करती है और रुपया सरकार देती है। उसका बजट यूनिवर्सिटी के बजट का एक हिस्सा होता है। लखनऊ मेडिकल कालेज की नियुक्तियों की भी यूनिवर्सिटी पुष्टि करती है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि अब एक मेडिकल कालेज कानपुर में और एक मेडिकल कालेज लखनऊ में होगा, लेकिन कानपुर का मेडिकल कालेज एक कान्स्टीट्यूएन्ट कालेज के रूप में होगा। उसका वही स्वरूप नहीं होगा जो कि लखनऊ के मेडिकल कालेज का होगा, जैसा कि मुझे अभी तक मालूम है। हो भी नहीं सकता। तो कितना विरोधाभास होगा। एक ओर तो लखनऊ का मेडिकल कालेज होगा उस फैकल्टी के मातहत जिसकी नियुक्ति यूनिवर्सिटी करती है और जिसका बजट यूनिवर्सिटी के बजट का एक हिस्सा होता है और दूसरी तरफ कानपुर का मेडिकल कालेज होगा जो कि सरकार द्वारा मेनटेन किया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा मेनटेन नहीं हो रहा है जिसका बजट यूनिवर्सिटी के बजट का हिस्सा नहीं है तो आप यह देखेंगे कि यह कहां तक उचित है और कहां तक यूनीटरी रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी के सिद्धान्तों से मेल खाती है। सरकार यह कह सकती है कि इस प्रकार का एक कांस्टीटुयेंट कालेज आयुर्वेदिक कालेज हमारे यहां लखनऊ में स्थापित किया हुआ है लेकिन आप देखेंगे कि आयुर्वेदिक कालेज की स्थिति में और कानपुर के मेडिकल कालेज की स्थिति में बहुत फर्क है। दूरी का अन्तर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी अन्तर है कि कांस्टीटुयेंट कालेज की परिभाषा लखनऊ में जिस प्रकार यूनिवर्सिटी के दायरे के अंदर प्रयुक्त हो सकता है वही कांस्टीटुयेंट कालेज की परिभाषा कानपुर के लिये प्रयुक्त नहीं हो सकती। अभी अभी हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में महाराणा प्रताप कालेज को कांस्टीटुयेंट कालेज माना है लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था उसमें नहीं की है। कोई आजमगढ़ का कालेज कांस्टीटुयेंट कालेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी का हो जाय। कांस्टीटुयेंट कालेज का अर्थ यही होता है कि वह यूनिवर्सिटी का स्वयं एक यूनिट हो सके। उसका क्षेत्रीय कार्य यूनिवर्सिटी की सीमाओं के अन्दर होगा यदि यहीं कांस्टीटुयेंट कालेज लखनऊ के १० मील के दायरे के अन्दर होता तो यह कांस्टीटुयेंट कालेज की परिभाषा में शरीक करते क्योंकि कांस्टीटुयेंट कालेज जब बढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी यूनिटरी करेक्टर छोड़ कर फेडरेटिव करेक्टर अख्तियार कर लेती है। कालेज यूनीटरी कालेज का अंग होती है और बहुत से कांस्टीटुयेंट कालेज को मिला कर यूनिवर्सिटी बनती है और वही यूनिवर्सिटी फेडरेटिव यूनिवर्सिटी बनती है जिसको राधाकृष्णन कमेटी अपनी शिफारिशों में भारत के लिये आदर्श मान रही है लेकिन इस प्रकार कानपुर मेडिकल कांस्टीटुयेंट कालेज नहीं माना जा सकता जिस प्रकार महाराणा प्रताप कालेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कांस्टीटुयेंट यूनिट हो सकता है जिस प्रकार लखनऊ का आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी का कांस्टीटुयेंट कालेज हो सकता है उसी प्रकार कानपुर का मेडिकल कालेज और उसी प्रकार आजमगढ़ का कोई भी कालेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कांस्टीटुयेंट कालेज नहीं हो सकता और इसी प्रकार कानपुर का मेडिकल कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी का कांस्टीटुयेंट कालेज नहीं हो सकता।

श्री हरगोविन्द सिंह—क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप जरा कांस्टीटुयेंट कालेज की परिभाषा देखिये।

(इस अवसर पर श्री अध्यक्ष ४ बजकर ८ मिनट पर पुनः पीठासीन हुये।)

तो इसलिये मैं उचित समझता हूं कि इस प्रकार लखनऊ यूनिवर्सिटी को अमेंड करना और उसकी व्यवस्था करना कि कांस्टीटुयेंट कालेज दस मील के दायरे के बाहर भी कांस्टीटुयेंट कालेज हो सकता है इस बात की व्यवस्था करना अलग है लेकिन आप देखेंगे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, कि माननीय मंत्री जी शिर हिला रहे हैं कि इलाहाबाद के लिये उन्होंने संशोधन नहीं किया और हमने लखनऊ के लिये वही किया है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये किया गया है। यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये वह संशोधन नहीं है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये हुआ है तो इसलिये माननीय मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि केवल वह लखनऊ या इलाहाबाद या दोनों के लिये कर रहे हैं। इलाहाबाद का उन्होंने पुराना करेक्टर मेनटेन किया है। इलाहाबाद के दस मील के दायरे के बाहर जो कालेजेज हैं वह न तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफीलियेट हो सकते हैं और न उसका कांस्टीटुयेंट कालेज ही बन सकते हैं। बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में श्रीमन्, कांस्टीटुयेंट कालेज की परिभाषा ही नहीं है। कांस्टीटुयेंट कालेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं रखती और इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के करेक्टर और लखनऊ यूनिवर्सिटी के करेक्टर दोनों के एक है। दोनों यूनिवर्सिटी यूनिटरी हैं, दोनों टीचिंग हैं, दोनों रेजीडेंशल यूनिवर्सिटीज है और जब दोनों का करेक्टर एक है तो इस प्रकार लखनऊ यूनिवर्सिटी के करेक्टर को बदल देना कहां तक उचित है यह माननीय मंत्री जी ही जानें। इसके साथ-साथ चूंकि और भी संशोधन साथ-साथ किये गये हैं जिनको कि आनुषंगिक संशोधन माननीय मन्त्री जी ने कहा है वे विचारास्पद हैं। आप देखेंगे कि इस विधेयक के द्वारा एक्जीक्यूटिव कौंसिल में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि कांस्टीटुयेंट कालेज के नम्बर बढ़ा दिये जायं। पहले ऐसा नहीं था। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल का जहां तक प्रश्न है सरकार ने यह नहीं देखा कि इस प्रस्ताव को करते समय वहां पर बैलेंस कितना बिगड़ जायगा। एक तो संख्या बढ़ी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बरों की और दूसरे क्या वह मेम्बर इस कांस्टीटुयेंट कालेजों का प्रतिनिधि होगा या गवर्नमेंट नामिनी होगा। तो कांस्टीटुयेंट कालेज जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में है वे दोनों सरकारी कालेजेज हैं। आयुर्वेदिक कालेज के प्रिन्सिपल एग्जीक्यूटिव कौंसिल में पहुंच सकते हैं या मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रिन्सिपल। तो इस संशोधन का, जो सरकार ने इसमें किया है, अर्थ यह हुआ कि या तो सरकार के द्वारा नियुक्त आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रिन्सिपल एक्जीक्यूटिव के मेम्बर होंगे या कानपुर मेडिकल कालेज में सरकार द्वारा नियुक्त उसके प्रिन्सिपल एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार के एक नामिनी एक्जीक्यूटिव कौंसिल में बढ़ जायेंगे, यानी उस माने में लखनऊ यूनिवर्सिटी की आटोनामी लिमिट हो जायगी। अब माननीय मंत्री जी कहेंगे कि अर्थ आपने काफी लम्बा खींचा। लेकिन यह बात यथार्थ में सत्य है, इससे माननीय मंत्री जी इन्कार नहीं कर सकते। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो परम्परा रही है, जो वहां के बार में आलोचना रही है उसको ध्यान में रखते हुए यह ज्यादा उचित कदम नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि कांस्टीटुयेंट कालेज के प्रिन्सिपल को अधिकार नहीं मिलना चाहिये कि वह यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जायं। लेकिन वह दूसरे प्रिन्सिपल्स की तरह जायं। हमने पहले से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में व्यवस्था की है कि कालेजेज के प्रिन्सिपल्स एग्जीक्यूटिव कौंसिल में जा सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---वह असोशियेटेड कालेजेज के हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो आल डीन्स आफ फैकल्टीज क्या हैं। दूसरे तरीके भी हैं जिनसे आयुर्वेदिक कालेज के प्रिन्सिपल या मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल एग्जीक्यूटिव कौंसिल में आ सकते हैं, अपनी सीनियारिटी के आधार पर या किसी और प्रकार जो अधिनियम में हमने धारा रखी है उसके अनुसार वे स्थान पा सकते हैं। तो यह जरूर निश्चित है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल में इस प्रकार आप सरकारी नामिनी के लिये सीट बढ़ायेंगे। यह किसी प्रकार उचित नहीं है और यह यूनिवर्सिटी की आटोनामी को इस मान में लिमिट करता है।

दो संशोधन और किये गये हैं इस विधेयक में। पहले तो यह कि एकेडेमिक कौंसिल और कोर्ट के मेम्बरों की संख्या में लिमिट रखी गयी थी कि १२५ से ज्यादा सदस्य कोर्ट में नहीं होंगे। इसी प्रकार एकेडेमिक कौंसिल के सदस्यों की संख्या भी निश्चित थी कि इससे ज्यादा नहीं हो पायेगी। यह संख्या राधाकृष्णन् कमीशन और मूथम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। सरकार ने पहले तो बड़ा दावा किया कि हम रिफार्म कर रहे हैं, एकेडेमिक कौंसिल बड़ी नहीं होगी, कोर्ट बड़ा नहीं होगा। एक बड़ा मौलिक सुधार करने का दावा किया। लेकिन मुश्किल से साल भर गुजरा होगा, वह दावा हवा में उड़ गया। अब आप लिमिट करने की संख्या को हटा रहे हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप अध्यापकों का बहुमत कोर्ट में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन उसकी संख्या अवश्य होनी चाहिये। अध्यापकों का बहुमत कोर्ट में हो, जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध यूनिवर्सिटी से हो उनका बहुमत हो लेकिन फिर भी ऐसा न रखा जाय कि कोर्ट में दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ मेम्बरों की संख्या हो। अगर १२५ की संख्या कम हो तो १५० रख दें, लेकिन एक अनिश्चित संख्या रखना उचित नहीं है। मैं यह मानता हूं कि संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मैं यह भी मान लेता हूं कि कोर्ट में यूनिवर्सिटी से जिनका सम्बन्ध है उनके बहुमत की आवश्यकता होगी। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि हम एकेडेमिक कौंसिल में और कोर्ट में अनिश्चित संख्या रहने दें। यह बहुत ही अनुचित बात होगी। फिर मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से संख्या हटा दी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हटा दी और इस का नाम रखा यू० पी० यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल तो फिर आगरा यूनिवर्सिटी ने क्या गुनाह किया है कि इसकी संख्या क्यों नहीं हटाई गई? आगरा यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कौंसिल की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई। जब आप सब के साथ एक सा व्यवहार करना चाहते हैं तो फिर आगरा यूनिवर्सिटी के साथ क्यों सौतेला व्यवहार करना चाहते हैं। इसके संबंध में कोई तुक माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें।

इसके साथ ही साथ इसमें दो तीन और संशोधन हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव कौंसिल के अधिकार छीन लिये गये हैं। अध्यापकों की तनख्वाह वगैरा के बारे में एकेडेमिक कौंसिल की राय के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यह संशोधन उचित ही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। पहले जब मूल अधिनियम आया था तो हमने यह संशोधन दिया था कि एकेडेमिक कौंसिल की राय के बिना कोई कार्यवाही न करें। लेकिन उस समय सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज सरकार को सद्बुद्धि आई है। उसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं।

श्रीमन्, आगे चल कर डीन आफ फैकल्टी की व्यवस्था की गई है। मैं अर्ज कर रहा था कि आज तक डीन आफ फैकल्टी हेड आफ दि डिपार्टमेंट ही हो सकते थे। लेकिन अब स्टैच्यूट के मातहत होंगे। मैं नहीं कह सकता हूं कि सरकार ने किस भावना से प्रेरित होकर किया है। सरकार की रिफार्म्स की भावना कुंठित होती चली जा रही है। इस प्रकार से जो साल-साल भर में संशोधन होते चले जा रहे हैं इसकी मैं कोई तुक नहीं समझता। पहले तो यह था कि डीन आफ फैकल्टी हैड आफ दि डिपार्टमेंट होगा लेकिन अब यह कर रहे हैं कि स्टैच्यूट के मातहत किया जायगा। आगरा के लिए फिर भी नहीं रखा गया है और वहां पर यही विधान है कि डीन आफ फैकल्टी हैड आफ दि डिपार्टमेंट होगा तो मंत्री जी की उससे क्या सौतेली डाह है।

इसके साथ-साथ अन्त में इस बात का भी अधिकार लिया गया है कि जो आर्डिनेन्स हो उसके मातहत यूनिवर्सिटी बोर्ड्स हैं उनके कानून नहीं बनेंगे यानी बोर्ड आफ स्टूडेन्ट्स अफेअर या बोर्ड आफ रेजीडेंस है तो उनके संबंध में व्यवस्था स्टैच्यूट के मुताबिक होगी।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यह कोई महत्व की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह किसी यूनिवर्सिटी की सिफारिश पर किया गया है। लेकिन इसका हमें कोई विरोध नहीं करना है। अन्त में जाकर साल भर की मियाद का जो सरकार को अधिकार दिया गया था कि सरकार साल भर में आर्डर बदल सकती है स्टैच्यूट को बदल सकती है उसकी लिमिट अब १८ महीने की की जा रही है। मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। वैसे ही आर० यू० सिंह ने जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में लेख माला प्रकाशित की है उसकी बड़ी भारी चर्चा हुई है। यह यूनिवर्सिटी के डीन, फैकल्टी आफ ला है। उससे मालूम होता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है जो सरकार इसको लिमिट कर रही है। श्री आर० यू० सिंह ने इसको अपनी लेख माला में साबित किया है। हमने मांग की थी कि स्टैच्यूट पर बहस करने का मौका हमें मिलना चाहिये, क्योंकि वह भी एक फंडामेंटल ला यूनिवर्सिटी के संबंध में है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टेट्यूस पर भी हमें बहस करने का मौका नहीं मिला, मिलना चाहिये था। हमारे सदन की मेज पर भी वह नहीं रखे गये। यहां तक कि सेलेक्ट कमेटी में पहले कहा गया था कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स आप के पास भेजे जायगे, आगरा यूनिवर्सिटी के तो भेजे गये, लेकिन इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर के पास तक नहीं भेजे गये। उनकी राय जानने के लिये भी नहीं भेजे गये। तो इस प्रकार जो सरकार एक साल से बढ़ा कर १८ महीने की अवधि रखना चाहती है, यह जो ट्रांजीशनल पीरियड में अधिकार लेना चाहती है और जो अधिकार बहुत ही ड्रास्टिक हैं, बहुत प्रभाव रखने वाले हैं, यह ठीक नहीं है। सरकार को एक साल के अन्दर ही अथारिटीज कांस्टीट्यूट करनी चाहिये। कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता कि जिस के आधार पर ६ महीने का समय वह और मांगे। सरकार ने स्टैट्यूट्स बना दिये हैं और यूनिवर्सिटी खुद अपनी अथारिटीज बनाने के लिये काफी जिम्मेदार है, काफी प्रभावशाली है। सरकार को यह शोभा नहीं देता कि समय बढ़ा-बढ़ा कर यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल दें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के जिन खंडों का मैंने विरोध किया है, विरोध करता हूं और मैं फिर अन्त में कहता हूं कि इस तरह दो-दो आर्डिनेन्स निकाल कर इस विधेयक का संशोधन करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है और सरकार को इसका जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है यह विशेष कर इसके लिये लाया गया है कि कानपुर में एक मेडिकल कालेज खुल रहा है जिसका एफीलियेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना है। कानपुर में मेडिकल कालेज खुलने का हम सभी हृदय से स्वागत करते हैं लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आयी वह यह है कि इसका एफीलियेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से होना क्यों लाजमी हो गया और क्या कारण थे कि जिनकी वजह से यह आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलियेट नहीं हो सकता था। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी में मेडिसन की कोई फैकेल्टी न हो या आगरा यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल या सिनेट को या वहां के मैनेजमेंट को इसका अनुभव न हो कि किस तरह से मेडिकल कालेज का उसकी देख रेख में संचालन हो सकता है। फिर कौन से कारण थे, जिनकी वजह से आगरा यूनिवर्सिटी की इस प्रकार अवहेलना की गई। इसके कारण आगरा यूनिवर्सिटी में भी काफी असंतोष है और आगरा के निवासियों में भी असंतोष है मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे और मैं इसी वजह से उस विरोध को व्यक्त करने के लिए और वहां की भावना को व्यक्त करने के लिए इस समय खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात का जवाब देगी और अगर जवाब नहीं है तो इस कालेज को आगरा यूनिवर्सिटी से ही एफीलियेट करेगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे सामने विधेयक है उसका विरोध करते हुये माननीय तिवारी जी को सब से बड़ी आपत्ति यह थी कि

कानपुर में जो मेडिकल कालेज खोल रहे हैं उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी का कांस्टीट्यूयेंट कालेज कैसे बना सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि जो हमारे यहां का मेडिकल कालेज है लखनऊ का, उसका बजट यूनिवर्सिटी बजट का एक अंग है और उसके प्रशासन में वहां के प्रोफेसरों की नियुक्ति में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन उनका यह ख्याल है कि कानपुर का जो मेडिकल कालेज है जिसका बजट कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हाथ में है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, संभवतः उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का इतना कंट्रोल न होगा, क्योंकि वह यहां से करीब ४४ मील की दूरी पर है। मैं समझता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में जो कांस्टीट्यूयेंट कालेज की डेफिनीशन है उसको अगर वह देखें और आप यदि आज्ञा दें तो उसको मैं पढ़ दूं, तो उससे वह चीज साफ हो जायगी इसमें ३(ए) में यह है जो इस प्रकार है —

"3 (*a*) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and authorized to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

तो जब मैं उसकी भाषा को देखता हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है कि कानपुर का मेडिकल कालेज भी कांस्टीट्यूएन्ट कालेज क्यों नहीं बन सकता लखनऊ यूनिवर्सिटी का जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि प्रश्न यह है कि जब कानपुर में मेडिकल कालेज को खोला गया तो उसका एफिलियेशन या तो आगरा यूनिवर्सिटी से होता या लखनऊ यूनिवर्सिटी से होता। फिर सवाल यह है कि उसका एफिलियेशन आगरा से क्यों नहीं किया गया लखनऊ से क्यों किया गया। सरकार के सामने क्या नीति थी इसका जवाब तो माननीय मंत्री जी देंगे लेकिन सब जानते थे कि आगरा यूनिवर्सिटी के पास जितने कालेज हैं उनके लिए ही वहां पर मुश्किल हो गयी है। कुछ कम हो गये हैं और गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वजह से कम हो जायंगे फिर भी शायद ५५, ५६ रह जायेंगे तो फिर उस हालत में यह चीज उचित ही थी कि इस कालेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलियेट किया जाता।

जहां तक यह सवाल है कि इसके टीचरों कि नियुक्ति कैसे होगी तो मैं समझता हूं कि जब यह इस यूनिवर्सिटी का कांस्टीट्यूएन्ट कालेज बन जायगा तो उसका जो कांस्टीट्यूशन है वह खुद उस पर लागू हो जायेगा। जिस तरह से और कालेज जो कांस्टीट्यूएन्ट कालेज हैं जिस तरह से उनके ऊपर कंट्रोल होता है टीचरों की नियुक्ति का सवाल होता है वैसे ही कानपुर के लिए भी होगा। तो मुझे इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं मालूम होती है जो समझ में आ सके।

दो आर्डिनेंस जारी करने की बात कही गयी। मैं भी समझता हूं कि उचित यही होता कि एक आर्डिनेंस जिसकी मियाद ४२ दिन की होती है उसके अन्दर बिल बन जाना चाहिये था, लेकिन मैं नहीं जानता कि सरकार के सामने क्या परिस्थिति आ गयी उसको माननीय मंत्री जी बतलायेंगे लेकिन यह स्वाभाविक है कि अगर किसी आर्डिनेंस का जो समय है वह समाप्त होता हो तो उसकी जगह दूसरा आर्डिनेंस लाने की बात पैदा होती है।

दूसरी बात कही गयी कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल के अन्दर एक प्रिन्सिपल जाने से सरकार के एक नामिनी की तादाद बढ़ जायगी। मैं समझता हूं कि एक तरह से उनको यह आपत्ति है कि कानपुर इतनी दूर है कि वहां का इन्तजाम यहां के वायस-चांसलर कैसे करेंगे। यह आपत्ति करना और प्रिन्सिपल की एक्जिक्यूटिव कौंसिल में सीट न हो दोनों चीजें उचित नहीं दिखाई पड़ती हैं। यह मुनासिब है कि जब आपने उसको कांस्टीट्यूएन्ट कालेज बनाया है तब यह उचित ही है कि प्रिन्सिपल को एक्जिक्यूटिव कौंसिल में सीट मिलनी चाहिये, ताकि उनको इस बात का मौका मिले कि

[श्री नवलकिशोर]

वह मीटिंग में आवें और उसकी नीति को समझें जो वहां के द्वारा निर्धारित होती हों और उनकी कठिनाइयों का ज्ञान कार्यकारिणी को रहे।

जहां तक एकेडेमिक कौंसिल की बात है वह इस तरह से है जो कि खंड २ के उपखंड में बतायी गयी है।

"The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualification and emolument of teachers and the fees payable to examiners except after considering the advice of the Academic Council."

इसका मतलब सिर्फ यह है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल की एडवाइस की क्या टीचर्स का नम्बर हो, क्या योग्यता हो, इस तरह की बातें एकेडेमिक कौंसिल तय करेगी। मैं समझता हूं कि यह उचित है और यह स्पेशल मांग भी है। इससे एकेडमिक कौंसिल के थोड़े से अधिकार बढ़ ही जाते हैं।

एक आपत्ति डीन के बारे में की गयी कि आगरा यूनिवर्सिटी में डीन हैड आफ दि डिपार्टमेंट होता है और यहां पर डीन किस तरह से नियुक्त होगा इसको केवल स्टेट्यूट से प्रोवाइड किया जायगा। यह तो एक इन्नोसेंट प्रपोजल है इसमें आपत्ति क्या हो सकती है। यह जो आर्डिनेंस आया वह इस स्थिति में आया कि १२ महीने का समय तय किया था मगर १२ महीने के अन्दर जितने स्टेट्यूटस हैं वह बन नहीं पाये लिहाजा उस पीरियड को बढ़ाने के लिए यह बात उनके सामने आयी एक बात मैं जरूर कहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि आगरा यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरान के सामने आते तो यह भी अच्छा होता कि इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टेटयूट्स जो बन गये हैं वे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स के पास भेज दिये जायं और भवन में रख दिये जायें तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह विधेयक आया किस प्रकार से है? यह विधेयक और इससे पहले जो सरकारी भूगृहादि का विधेयक प्रस्तुत हुआ था वे दो-दो दफा आर्डिनेंस के द्वारा लाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--सदन में जोर-जोर से बातें हो रही हैं। माननीय सदस्य वक्ता का भाषण शांतिपूर्वक सुनें।

श्री तेजप्रताप सिंह--मैं यह कहा रहा था कि एक तो आर्डिनेंस फरवरी में आया और उसके बाद जब उसका समय समाप्त होने को हुआ तो दूसरा आर्डिनेंस जारी कर दिया गया और मैं समझता हूं कि शायद सदन की बैठक उस समय चल रही थी लेकिन उस समय सदन के सामने लाना उपयुक्त न समझा गया। तो अध्यक्ष महोदय, यह रवैया चल रहा है कि जो काम सरकार को करना होता है उसको इमरजेंसी के प्रावीजन्स के आधार पर कर डालती है, उसके कारण चाहे जो कुछ हों। हो सकता है उसको यह ख्याल हो कि उसका विरोध होगा, जनमत उसके प्रतिकूल होगा और अगर उसको सदन में लाया गया तो उसका विरोध किया जायगा। इन सब कारणों से ऐसे ऐसी परम्परा पड़ती जा रही है कि यहां जो कानून बनाये जाते हैं और उनमें जो संशोधन लाया जाता है वह आर्डिनेंसेज के द्वारा लाया जाता है। मैं बहुत जोरदार शब्दों में इस परम्परा का विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है। मैंने इसके आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स को पढ़ा। उसमें सबसे पहली बात यह बतायी गयी है कि जो समय लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकों में संक्रमणकालीन उपबंधों को जारी करने के लिए लिया गया था उसको तब्दील

करना चाहते हैं। उस समय माननीय मंत्री जी यह समझते थे कि उस संक्रमण काल का समय एक साल का होगा और उस समय में प्राधिकारी का संगठन आदि समूचे रूप से कर सकेंगे तथा और भी काम जो विश्वविद्यालय से संबंधित होंगे उनको कर सकेंगे, लेकिन हमें देखना है कि जो समय उन्होंने अपने लिए उचित समझा था उसके अन्दर वे काम क्यों नहीं कर सके हैं, जैसा कि वह खुद मानते हैं। उसका कारण उन्होंने यह बतलाया कि जिस समय के अन्दर वे उस काम को करना चाहते थे उसके अन्दर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी जो उनके लिये बाधक बन गयीं। मैं समझता हूं कि उनको यह स्पष्ट करना चाहिये था कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गयीं कि समय के अन्दर वे इस काम को नहीं कर सके। मैं इसको नितान्त अनुचित समझता हूं। उसमें काफी ढील की गयी और यदि आप इजाजत दें तो मैं इतना कहने की धृष्टता करूंगा कि जान बूझकर न तो प्राधिकारी का संगठन और न निर्वाचन ही किया है। इसलिये आपत्ति इस बिल के बारे में यह है कि वह समय के अन्दर यह काम क्यों न कर सके जिस को कि हो जाना चाहिये था। अब इस के साथ-साथ मैं उनसे इतनी प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा कि वह कम से कम आगे जब जवाब दें तो इस बात को स्पष्ट करें कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से वह यह काम पहले से न कर सके और उन्हें समय बढ़ाने की मांग बिल के द्वारा करना पड़ी। दूसरा प्रमुख कारण मैं समझता हूं यह है कि कानपुर में जो मेडिकल कालेज खुला है उसको वह इस बिल के द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करना चाहते हैं। आप जानते होंगे कि कानपुर में जो मेडिकल कालेज खोलने की बात तय हुई थी वह कानपुर के निवासियों, वहां के प्रतिनिधियों के मत के आधार पर हुई थी। उन्होंने बार-बार यह मांग की है कि इस बड़े शहर में एक मेडिकल कालेज की जरूरत है और मैं समझता हूं कि उसी जनमत के आधार पर मंत्री जी ने उसको खोला था लेकिन अब उस कालेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करना क्या कानपुर के निवासियों के मत की अवहेलना नहीं करता है? क्या आपने कानपुर के निवासियों से यह पूछा है कि इस कालेज को इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन रखा जाय, या लखनऊ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जाय या आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जाय?

मैं माननीय शम्भू नाथ चतुर्वेदी की राय से बिलकुल सहमत हूं कि इस मेडिकल कालेज को आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जाय जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में धारा ४६ के अनुसार व्यवस्था है कि कनवोकेशन हाल से दस मील के बाहर का कोई कालेज यूनिवर्सिटी द्वारा सम्बद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें एक प्राविजो जरूर है कि टैकनिकल या एग्रीकल्चरल संस्था को सम्बद्ध किया जा सकता है, अब आप उसमें बढ़ा रहे हैं कि मेडिकल संस्था को भी सम्बद्ध किया जा सकेगा, इससे आपका केवल कानपुर के मेडिकल कालेज को सम्बद्ध करने का मकसद है, लेकिन यह चीज कानपुर के जनमत की अवहेलना करता है। मैं कुछ और चीजों पर भी प्रकाश डालना चाहता था, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि जो उपखंड (४) है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में कुछ कहा गया है और उपखंड (४) में जो क्लाज ४ है वह केवल एक सब्सटीट्यूट है। इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि एग्जामिनर्स के अप्वाइन्टमेंट के बारे में एग्जीक्यूटिव एकेडेमिक कौंसिल से राय क्यों न ले। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि कोई एग्जामिनर अप्वाइन्ट किया जायगा एग्जीक्विटिव कौंसिल द्वारा तो इस अप्वाइन्टमेंट के पहले अकेडेमिक कौंसिल से राय ली जायगी। लेकिन इसमें आपने हटा दिया। मैं इसे भी अनुचित समझता हूं। अकेडेमिक कौंसिल प्यौरली टीचर्स की बाडी है। उससे सलाह लेनी चाहिये कि कौन एग्जामिनर हों; एग्जीक्यूटिव कौंसिल को ही यह पावर्स दे देना ठीक नहीं है। पहले १९५४ में जो विधेयक उपस्थित किया था उसमें यह पावर्स दी हुई थीं। लेकिन अब उस पावर को हटाने के लिए आपने संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं उसका विरोध करता हूं। दूसरे कोर्ट और अकेडेमिक कौंसिल के मेम्बर्स को खत्म कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह बातें नारायणदत्त तिवारी जी कह ही चुके हैं। उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं विरोध करता हूं जो प्राविजन हटा दिया गया कि नम्बर न हो। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है १०० का नम्बर कोर्ट में हो, और अकेडेमिक कौंसिल में ज्यादा से ज्यादा पचास का नम्बर हो। लेकिन ७५, १२५ और १६० रख कर कुछ न कुछ ठीक ही रखा था। लेकिन अब हटा रहे हैं। अब अनलिमिटेड नम्बर हो जायगा। ऐसी व्यवस्था आ रही है। वह बहुत अनवील्डी हो जायगी। यह भी अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, आप क्षमा करेंगे....।

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये दो घंटे थे। एक घंटा चालीस मिनट हुआ। तो क्या इसको एक घंटे में खत्म करने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष—आज सबेरे आप थे नहीं। मैंने दो-दो घंटे दोनों के लिए रख रखा था। लेकिन चूंकि एक प्रस्ताव आय और सदन ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि उसके लिये साढ़े तीन बजे तक समय रहे, यानी पहले जो भूगृहादि विधेयक था उसके लिये साढ़े तीन बजे से पांच बजे तक डेढ़ घंटा प्रस्तुत विधेयक के लिए समय रहे। यह निश्चय हुआ था। उस निश्चय के अनुसार अब मैं कार्य कर रहा हूं क्योंकि सदन ने सबेरे जो निश्चय किया उसमें चार घंटे में इस प्रकार बटवारा कर दिया था।

श्री मोहनलाल गौतम—स्पीकर महोदय, आप उस समय नहीं थे जब इस पर प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज हुआ था। उसमें आधा घंटा लगा और इस पर बहस चार बजे शुरू हुई। अगर डेढ़ घंटा भी है तो साढ़े पांच बजे तक होता है।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई कांस्टीट्युशनल बहस हो तो उसी में शामिल होगी।

श्री मोहनलाल गौतम—बहस नहीं थी, प्वाइन्ट आफ आर्डर था।

श्री अध्यक्ष—प्वाइन्ट आफ आर्डर भी उसीमें शामिल हो जाता है। उसके लिए अलग समय नहीं होता।

श्री तेजप्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव हो सकता है अगर सर्वसम्मति से हो। कल केवल एक ही विधेयक लिया जाने वाला है।

श्री अध्यक्ष—मैंने सबेरे पूछ लिया था एक दफा और कहा था कि समय का जो रिवाइज्ड बटवारा हो रहा है उसके परिवर्तन का दुबारा मैं और मौका नहीं दूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम—आपने पहले, जैसा मुझे याद है, थोड़े ही दिन हुये, एक बिल के ऊपर जो उसके अन्दर प्वाइन्ट आफ आर्डर था, उस पर आपने कहा था कि जितना समय उस बिल के लिये निर्धारित था उसमें प्वाइन्ट आफ आर्डर का समय काट दिया जायगा। ऐसी आपकी व्यवस्था हुई थी। इसलिये मैंने कहा कि आध घंटा प्वाइन्ट आफ आर्डर में हो गया और चार बजे से बहस शुरू हुई है। अभी चालीस, बयालीस मिनट ही हुये हैं। इसमें डेढ़ घंटा लगना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही है तो मंत्री महोदय पांच मिनट ही में जवाब दें, लेकिन कुछ थोड़ी बहस होना आवश्यक मालूम पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--अभी मैं निर्णय दे चुका हूं कि जब विधेयक विचार के लिये आ जाय, अगर उसके बीच में कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर आ जाता है तो उसी समय में गिना जाता है। किसी वक्त में, निश्चित समय न हो, कोई ऐसी बात हो गयी हो, मुझे याद नहीं है, तो उस वक्त मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर का समय किसी भाषण के समय से निकाल देने का निश्चय किया होगा। लेकिन मुझे यह याद नहीं पड़ता है कि मैंने ऐसा कभी निर्णय दिया था कि प्वाइन्ट आफ आर्डर में जो समय लगा था वह किसी विधेयक के निश्चित समय में शामिल नहीं होता बल्कि मेरी समझ में वह समय शामिल होता ही है।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, जवाब में कुछ अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन दो तीन बातें कही गयी हैं। एक बात तो यह कि दो दफा आर्डिनेंस पास हुआ। यह बात ठीक है। पहली दफा फरवरी में जो आर्डिनेंस निकाला गया वह इस कारण निकाला गया कि मेडिकल कालेज की स्थापना उसी वक्त आवश्यक थी। बिना आर्डिनेंस निकाले मेडिकल कालेज की स्थापना नहीं हो सकती थी। इस वजह से पहला आर्डिनेंस निकला।

दूसरा आर्डिनेंस खत्म होता था मार्च के आखीर में। लोगों के बजट में फंसे रहने के कारण क्योंकि बजट को भी मार्च के आखीर में पूर्णतया खत्म हो जाना था इसलिये यह संभव नहीं हुआ कि उस पर समय दिया जा सके। इसलिये दूसरा आर्डिनेंस निकला। उसमें कोई यह नीयत तो थी नहीं जैसा तेज प्रताप सिंह जी ने कहा था, उनकी तरफ से तो हर एक अच्छी चीज का विरोध होना आवश्यक है। लेकिन आर्डिनेंस का विधेयक बनाना यह जरूरी है, यह भवन के सामने आता ही।

दूसरी बात यह कही गई चतुर्वेदी जी द्वारा, जिसका सचमुच में हमें जरूरी भी है कि उसका जवाब दें कि कानपुर में अगर मेडिकल कालेज खोला गया तो आगरा से उसको सम्बन्धित क्यों नहीं किया गया। आगरा के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ ऐसा उनको आभास हुआ। उनके ध्यान में यह बात नहीं थी, दो बातें थीं। आगरे के अन्दर एक कालेज जो है वह गवर्नमेंट का कालेज है ही लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी चूंकि टीचिंग यूनिवर्सिटी नहीं है लिहाजा उसके अन्दर कोई कांस्टीट्यूएंट कालेज नहीं बन सकता था, उसके अन्दर केवल बन सकता था एफीलियेटेड कालेज और चुंकि एफीलियेटेड कालेज से कहीं ऊंचा स्तर लोगों की दृष्टि में समझा जाता है कांस्टीट्यूएंट कालेज का इसलिये कांस्टीटुयेंट कालेज चूंकि उसको बनाना था, चूंकि एक नया मेडिकल कालेज खुल रहा था इसलिये उसको एक ऊंचे स्तर पर रखना भी आवश्यक था। और इसलिये यह हुआ कि चूंकि आगरा यूनीवर्सिटी में कांस्टीटुएंट कालेज की कोई व्यवस्था हो नहीं सकती चूंकि वह टीचिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी है लिहाजा यह मजबूरी हुई कि उसको लखनऊ से सम्बद्ध किया जाय, वर्ना और कोई बात नहीं थी। वह कांस्टीटुएंट कालेज गवर्नमेंट से मेंटेन होगा चाहे आगरे में होता या लखनऊ में होता, लेकिन चूंकि आगरे में उसको हम कांस्टीटुएंट कालेज नहीं बना सकते थे इसलिये यह असंभव हुआ।

दूसरी बात एक और थी, वह कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं थी लेकिन जो मेन चीज थी वह यही थी कि हम इस कालेज को स्टार्ट से ही उच्च स्थान दें। लिहाजा आप देखेंगे कि काफी कोशिश के बाद हमको एक ऐसा उपयुक्त प्रिंसिपल भी मिल सका जिसकी वजह से उसकी ख्याति शुरू से ही ऊंची रहे।

दूसरी बात यह थी कि जिस समय यह हुआ कि कालेज अब खुलेगा तो भी लड़के सब लखनऊ भर्ती किये गये क्योंकि एक वर्ष या दो वर्ष कोई लेबोरेटरी की आवश्यता नहीं होती। वह लड़के लखनऊ में पढ़ाये गये। कानपुर में कोई स्थान था ही नहीं बिल्कुल

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कि वहां १००, १५० लड़के पढ़ाये जा सकें। यही स्थान था और जब लेबोरेटरी बन जायगी तो यह लड़के कानपुर चले जायंगे। इसलिये भी यह हुआ कि उसको लखनऊ यूनीवर्सिटी का अंग बनाया जाय। और बहुत सी छोटी-छोटी बातें कही गई उनका जवाब दे करके मैं समय नहीं लेना चाहता।

लेकिन कोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। सिर्फ इस वजह से कि अब यह मेडिकल कालेज, कांस्टीटुएंट कालेज, यूनिवर्सिटी का हो जाने से कितनी संख्या कोर्ट की होगी, कितने मेम्बर्स एकेडेमिक कौंसिल के होंगे यह सब निश्चित नहीं हो सकता था इसलिये यह उसमें प्रतिबन्ध हटा दिया गया कि उसमें जो संख्या निर्धारित की गई थी वह उस समय की गई थी, जिस समय कानपुर मेडिकल कालेज का कोई स्थान ही नहीं था। इसलिये उसको हटा दिया गया। हां एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कानपुर मेडिकल कालेज का एक प्रिंसिपल आवेगा, यह उसमें कहा गया। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर दलील देते समय सदस्य कुछ तो पढ़ लिया करें। एक साहब ने कहा कि आगरे में सब डीन हैड आफ दी डिपार्टमेंट होते हैं। आगरे में तो टीचिंग यूनिवर्सिटी है ही नहीं वहां कोई हेड आफ दी डिपार्टमेंट होता नहीं, वह तो हर एक डिग्री कालेजेज में वहां उनके अपने हैड आफ़ दी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें से सीनियर मोस्ट डीन बनाया जाता है। तो इसलिये वह यहां हैड आफ दी डिपार्टमेंट बनाया जाता था। यहां हेड आफ दी डिपार्टमेंट इसलिये हटाया कि कुछ ऐसी फैकल्टीज हैं जहां कि एक ही फैकल्टी है एक उसका हेड आफ दी डिपार्टमेंट है वह परमानेंटली डीन रहे फार आल टाइम्स टु कम, जब तक यूनिवर्सिटी है या जब तक वह हेड आफ दी डिपार्टमेंट है तब तक या जब तक वह फैकल्टी है। यह बहुत ठीक नहीं था इसलिये यह लाया गया कि अगर प्रोफेसर भी हो तो उसको भी रोटेशन से चांस होना चाहिये। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में यह क्यों अप्वाइन्टमेंट वगैरह रखा गया एकेडेमिक कौंसिल में से क्यों ले लिया गया? अब इसके लिये आप यह समझते हैं कि ७५ आदमी तो वैसे ही एकेडेमिक कौंसिल में हैं और अब शायद इस मेडिकल कालेज के आने से और संख्या बढ़ जायगी और वह शायद १०० आदमियों के सामने एक्जामिनर्स के अप्वाइन्टमेंट को लाया जाय यह तेजप्रताप सिंह जी ही ऐसा कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता कि सौ आदमी बैठकर के एक्जामिनर्स का अप्वाइन्टमेंट करें और सब लोग उसको जानें। यह मेरी हीन बुद्धि में ठीक नहीं मालूम हुआ। और वह तो यह था ही कि वह हर अच्छी चीज का विरोध करेंगे ही, इसलिये उन्होंने विरोध किया। अब मेडिकल कालेज, कानपुर का प्रिंसिपल एक्जीक्यूटिव का मेम्बर होगा उससे अगर नारायणदत्त जी की आटोनामी खंडित होती है तो मजबूरी है। लेकिन मेडिकल कालेज इतना बड़ा बनाया जाय, और उसके प्रिंसिपल को एक्जीक्यूटिव में स्थान न दें यह मेरी समझ में नहीं आता और क्यों? पढ़ाने का काम करता है, टीचर बाई प्रोफेशन है, इंस्टीच्यूशन का हेड है लेकिन चूंकि गवर्नमेंट से उसको तनख्वाह दी जायगी इसलिये उसको नहीं होना चाहिये तो यह मैंने इसको उचित नहीं समझा। मैं समझता हूं कि आप अब खंडों पर विचार कर लीजिये और फिर इसके बाद इसको पारित कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

२––लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० में––

यू० पी ऐक्ट संख्या ५, १९२० का संशोधन।

(१) धारा १६ की उपधारा (१) की मद (७) में शब्द "medical" तथा "services" के बीच में शब्द "and Health" रख दिये जायं,

(२) धारा १६ की उपधारा (२) तथा (२–ए) निकाल दी जायं।

(३) धारा (१९) की उपधारा (१) की मद (४) के पश्चात् मद (४–ए) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(iv-*a*) One Principal of a Constituent College who is not otherwise a member of the Council, to be appointed in such manner by such authority and for such term as may be prescribed by Statutes."

(४) धारा २० की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualification and emoluments of teachers and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council."

(५) धारा २१ की उपधारा (१) का प्रतिबन्धक (proviso) निकाल दिया जाय।

(६) धारा २३ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes."

(७) धारा २६ निकाल दी जाय।

(८) धारा ४६ के प्रतिबन्धक में शब्द "agricultural or other technical institution established and maintained by the University." के स्थान पर शब्द "Medical, agricultural, or technical institution established or maintained by the University or by the State Government." रख दिये जायं।

३––इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ में––

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ का संशोधन।

(१) धारा १७ की उपधारा (२) और (३) निकाल दी जायं,

(२) धारा २२ की उपधारा (१) का प्रतिबन्धक निकाल दिया जाय; और

(३) धारा २४ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्निलिखित रख दिया जाय:

"(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes."

४––इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४३ की उपधारा (१) के––

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५५ की धारा ४३ का संशोधन।

(१) खंड (ख) में आये हुये शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अठारह मास" रख दिये जायं।

(२) अन्त के प्रतिबन्धक में आये हुये शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "अठारह" रख दिया जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५५ की धारा ४३ का संशोधन।

५—लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४३ की उपधारा (१) के—

(१) खंड (ख) में आये हुए शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अठारह मास" रख दिये जायं।

(२) अन्त के प्रतिबन्धक में आये हुये शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "अठारह" रख दिया जाय।

निरसन। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५६, यू० पी० ऐक्ट १, १९०४।

६—एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ निरसित किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खड २, ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी ऐक्ट सं० ५, १९२०, यू०पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५५, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५५।

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२०, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ और लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ को संशोधित करने का

विधेयक

उ० प्र० अध्यादेश सं० ५, १९५६, यू०पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२०, यू०पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१।

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२०, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ और लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४, संशोधित किये गये थे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५५।

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा बनाये गये अधिनियम की व्यवस्था करना इष्टकर है,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५५।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष--इसके ऊपर तो कोई संशोधन नहीं है, सशोधनों पर ही आप बोल सकते थे।

श्री मोहनलाल गौतम--अगर कोई अपोज़ करना चाहे तो कर सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--अपोज़ करना चाहते हों तो दूसरी बात है।

*श्री मोहनलाल गौतम--तो आप मुझको मौका दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सरकार की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि आर्डिनेंसेज जितने कम जारी किये जायं डेमोक्रेसी में उतना ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--यह तो विरोध नहीं हुआ।

श्री मोहनलाल गौतम--जरा सुनिये तो साहब ! अगर एक आर्डिनेंस पास किया जाय तो उसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन कांस्टीट्यूशन में यह दिया हुआ है कि अगर एक आर्डिनेंस हुआ तो जब दोनों सदन मीट करेंगे उसके ६ हफ्ते के अन्दर पास हो जाना चाहिये। कांस्टीट्यूशन ने नहीं सोचा था कि दोनों हाउस मीट करने पर आर्डिनेंस पास हुआ हो और उसके बाद भी फिर दूसरे आर्डिनेंस की जरूरत हो जायगी और हाउसेज के मीट करने के बाद वह आर्डिनेंस पास नहीं होगा और ला नहीं बनेगा। दूसरे आर्डिनेंस के पास होने की प्रथा बहुत ही गैरमामूली है और मैं चाहता हूं कि इस प्रथा को गवर्नमेंट जितना हो दोहराये नहीं। इस तरह के एक नहीं कई आर्डिनेंस हुए हैं और इस तरह के आर्डिनेंसेज एक के बाद दूसरे आये। यह ऐसी चीज है मैं अर्ज करूंगा स्पीकर महोदय, कि आप इस सदन की रक्षा के लिए अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए, डिमोक्रेसी की रक्षा के लिये यह देख लें कि इस तरह से, डेमोक्रेसी का हनन न हो कि ४-४, ५-५ आर्डिनेंस आयें और फिर लैप्स हो जायं और आर्डिनेंस हो, वह तरीका गलत है और मैं चाहता हूं कि इस हाउस की रक्षा के लिए आप गवर्नमेंट को वार्न कर दें कि दोबारा ऐसी गलती न करे कि दोनों हाउस मीट करें फिर भी आर्डिनेंस का बिल पास न हो और फिर आर्डिनेंस की जरूरत हो। इसकी जरूरत न पड़े तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने कुछ कारण ऐसे बतलाये जिसकी वजह से आगरा यूनिवर्सिटी से इस कालिज का एफिलिएशन न हो सका, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, उससे बहुत हमको धक्का पहुंचा। अभी तक तो आगरा यूनिवर्सिटी का स्टेट्स कम हुआ था, अब आगरा मेडिकल कालेज का भी स्टेट्स कम हो गया, क्योंकि कानपुर के कालिज को लखनऊ के कालिज के स्तर पर रखना जरूरी था और आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होकर उसका स्तर गिर जाता, इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया गया।

* वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

में निवेदन करता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो जैसा कि मैंने आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक पर जब बहस हो रही थी तो कहा था कि यह अभी से क्यों हरिजन यूनिवर्सिटी करार दी जा रही है, वही स्थिति सामने आ गयी इस मेडिकल कालिज के सम्बन्ध में। अगर ऐसी स्थिति है तो जल्दी से जल्दी माननीय मंत्री जी कदम उठावें कि उस यूनिवर्सिटी में टीचिंग साइड हो जाय ताकि उसका भी स्तर ऊंचा हो सके और इस तरह का भेदभाव न रहे।

इन शब्दों के साथ जो बात मैंने कही थी उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मंत्री जी को अब कुछ कहना नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ मई, १९५६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९३ पर)

No. 1175R/I-B

FROM

SRI P. N. KAPUR, I. A. S.,
Joint Secretary to Government,
Uttar Pradesh,

TO ALL DISTRICT OFFICERS IN UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, May 1, 1955.

Subject: **Expeditious disposal of applications for taqavi loans**

REVENUE (B) DEPARTMENT

SIR,

I AM directed to address you on the above subject and to say that instances come to the notice of Government now and then to show that there is sometimes great delay in the disposal of applications for *taqavi*. With a view to avoiding such delays I am to convey the following instructions which should be carefully studied and strictly followed by the officers and staff of Revenue Department in the districts:

(i) Sufficient number of printed application forms for *taqavi* should be made available for supply at tahsil headquarters and in the office of the departmental officers at the district headquarters. If these are not available the possibility of their local printing in the district should be explored.

(ii) The time-schedule as given below should be followed in receiving applications :

	Purpose of loan	Date by which applications should be received
1.	Seed for *kharif* crops ..	May 15.
2.	Seed for *rabi* crops—	
	(*a*) for eastern districts	August 31.
	(*b*) for western districts	September 15.
3.	Bundhis	January 31.
4.	Fertilizers—	
	(*a*) for *kharif* crops ..	May 15.
	(*b*) for *rabi* crops ..	Between August 31 and September 15.
5.	Improved cane seeds ..	December 31.
6.	Bullocks and *kuchcha* wells	Between April 1 and May 15 and again between August 31 and September 15.
7.	All other kinds of *taqavi* ..	Between April 1 and May 15 and again between August 31 and September 15.

(iii) It should be borne in mind that the work regarding distribution of *taqavi* for *kharif* should finish by June and for *rabi* by the middle of October in respect of the amounts available.

(iv) The officers at district-level should give wide publicity to the dates by which applications for *taqavi* for seed, bullocks, fertilizers and *kachcha* wells are to be made. The above time-schedule does not, however, apply to the distribution of *taqavi* which may be necessary in connexion with an *agricultural calamity*.

(v) If an application is received by any officer other than the Collector he should ensure that such application together with his recommendations reaches the Collector *within a week* of the of its presentation.

(vi) All applications, as and when received, should be entered in a register, and the deficiencies and discrepancies, if any, should be got removed by the officer concerned within a week of the receipt of the application. The applications should then be sent at once to the officer concerned for verification of the security or the sureties. The agency called upon to verify the security or the sureties should not take more than *two weeks* for the purpose. All applications for *taqavi* should be disposed of finally within *four weeks* from the date of their presentation.

(vii) The disbursing officers should decide within a week of the return of the application from the officer or official who is to verify the security or the sureties as to who should get *taqavi* loans and to what extent. This would obviously be decided with reference to the amount placed at their disposal. In this connexion they should follow the orders separately issued about preference being shown to the smaller cultivators. For example, *A* and *B* apply for a *taqavi* loan of Rs.1,000 each and the amount available for distribution is sufficient for just one of them. If both *A* and *B* are found to have suitable securities for the loan; but *A* possesses a holding, say of 25 acres, while *B* possesses a holding of 50 acres, preference should be given to *A*. It would be at this stage that the disbursing officers will be in a position to decide if additional funds are required and if necessary they should approach the head of the department concerned for additional funds.

(viii) Applications in which *taqavi* cannot be advanced on account of paucity of funds, should not be destroyed. These should be considered when additional funds become available in the same financial year or in the next financial year, as the case may be.

(ix) The movement of the application till the loan is granted and the file is prepared or till orders saying that *taqavi* cannot be given should be entered in the register mentioned in sub-para (vi) above.

(x) Applications for *taqavi* loan under Act XIX may also be disposed of in accordance with the instructions laid down in the land

Reforms Commissioner's circular letter no. 9/2—18555, dated January 21, 1956, which are summarized below:

"Applications may first be received in the Planning Office by fixed date after giving wide publicity through the agency of local press, Panchayat Secretaries, Lekhpals and other field staff. The applications should be scrutinized in the Planning Office and thereafter sent to the respective tahsils. At each tahsil the applications should be put up before the Tahsil Planning Committee which is a Sub-Committee of the District Planning Committee. This Tahsil Committee would consist of the Sub-Divisional Officer, members of the Legislature of the tahsil, members of the District Planning Committee residing in the tahsil, the Tahsildar, the Sub-Registrar, Panchayat Raj, Agriculture, Co-operative Inspectors, etc. It should be made incumbent on the Lekhpals and Panchayat Secretaries to be present on the date fixed for the meeting. This Committee should scrutinize each application and make recommendation to the District Magistrate keeping in view the funds allotted by the District Planning Committee for various purposes of *taqavi* under Act XIX for that tahsil. The Tahsil Committee should give notice of its meetings which are normally held at tahsil headquarters, to all the applicants informing them to be present at the tahsil with their sureties etc., so that in case their applications are approved by the Committee the necessary formalities may be completed in the tahsil that very day. The amount of *taqavi* should then be distributed in tahsils by the Sub-Divisional Officers on a date fixed for this purpose after receiving the approval of the District Magistrate to the recommendations of the tahsil Committees."

Yours faithfully,

P. N. KAPUR,
Joint Secretary.

No. 1175--R (i)/I-B

COPY forwarded to the Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh, for information.

No. 1175--R (ii)/I-B

COPY also forwarded to all Commissioners of divisions including the Deputy Commissioner Incharge, Kumaun Division and the Collector Incharge, Jhansi Division.

By order,

P. N. KAPUR,
Joint Secretary.

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९६ पर)

Copy of concluding para no. 54 of the Audit and Inspection on the Accounts of Municipal Board, Allahabad, for the year 1953-54

"The accounts showed signs of improvement since the appointment of the Civil Administrator, although there was still ample room therefor almost in every direction. All the main heads of income more or less seemed to suffer from lack of adequate supervision and defective policy in one respect or another and were capable of producing better results with a little more interest on the part of the officials concerned. Instances of utter disregard and non-observance of rules, of incompleteness, defective maintenance and lack of security in respect of some of the important records, doubtful and possible misuse of several receipt books and foils, of loss and suspected misappropriation of several articles of public works and other stores, of apathy towards collection of the Board's dues and loss of income through unbusiness-like methods, of non-deposit of adequate security by several employees charged with the custody of cash and stores, of double and irregular drawals of Government grant and subsidy, and of irregular, excess, wasteful, doubtful and questionable payments and entertainment of unnecessary staff, as set forth in the preceding paragraphs are among the important matters which call for special attention of the Board and its executive authorities. The incompleteness and defective maintenance of the general cash-book, the house connection register, the assessment list and demand and collection registers of house and water-taxes, the costing register and stock-books of the Mahila Shilp Bhawan, and the store register and stock-books of the various departments in charge of the general store-keeper, have already resulted in loss and suspected misappropriation of the Board's dues and property, and should be attended to immediately with a view to avoid further serious irregularities. The non-assessment or under-assessment of several buildings to the municipal taxes, grant of irregular remissions and unauthorized exemptions, non-observance of regulations, and sections of the Municipalities Act, as pointed out in the various paragraphs of this note, have been causing a recurring loss to the Board and demand immediate attention."

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६६ एल० ए०—१९५६—७९६ ।